

टाइटल डीड जमा करने का ज्ञापन

- एक. अनुसूची में उल्लिखित तिथि और स्थान पर, बंधककर्ता या बंधककर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता/अटॉर्नी/पार्टनर/निदेशक/सदस्य/कर्ता/अधिकारी/ट्रस्टी ("जमाकर्ता") ने अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित) के कार्यालय में भाग लिया और ऋणदाता के प्रतिनिधि (जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है) के साथ वितरित और जमा करने और जमा करने के लिए सहमत हुए, ऋणदाता के लिए कार्य करना, शीर्षक, साक्ष्य, कर्मों और लेखन के दस्तावेज, विशेष रूप से अनुसूची में वर्णित (इसके बाद उक्त "शीर्षक विलेख" के रूप में कहा जाता है) अनुसूची में उल्लिखित अचल संपत्ति के संबंध में और संबंधित बंधक/जमाकर्ता के स्वामित्व में, जैसा कि लागू हो, अनुसूची में उल्लिखित है।
- दो. उक्त शीर्षक विलेखों को जमा करते समय, बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने कहा कि वह बंधककर्ता की अचल संपत्ति के मालिक के रूप में ऐसा कर रहा है/बंधककर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि/वकील/भागीदार/निदेशक/करता/सदस्य/अधिकारी/बंधककर्ता के ट्रस्टी के रूप में बंधक के माध्यम से मूल शीर्षक विलेख और उसके आकस्मिक अन्य दस्तावेजों को जमा करके एक सुरक्षा बनाने के इरादे से बंधककर्ता की अचल संपत्ति पर विशेष रूप से अनुसूची में वर्णित है इसके तहत सभी भवन और संरचनाओं, वर्तमान और भविष्य और सभी फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग आदि (इसके बाद "बंधक संपत्ति" के रूप में जाना जाता है) के साथ लिखा गया है ताकि ऋण/सुविधा के उचित पुनर्भुगतान/निर्वहन और मोचन को सुरक्षित किया जा सके, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित ऋण समझौते के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित है, इसके साथ ब्याज, दंड प्रभार, अतिदेय ईएमआई/किश्त/राशि/ब्याज, परिसमापन क्षति, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिबद्धता प्रभार, पूर्व भुगतान पर या मोचन पर प्रीमिया, लागत, प्रभार, व्यय और समय-समय पर यथा संशोधित ऋण करार/स्वीकृति पत्र के तहत देय अन्य धन शामिल हैं।
- तीन. मौखिक सहमति देते हुए और मूल शीर्षक विलेख और उसके आनुषंगिक दस्तावेजों को जमा करते हुए, बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि वह बंधक संपत्ति के मालिक के रूप में उपरोक्त के रूप में बंधक बनाने के इरादे से मूल शीर्षक विलेख और उसके आनुषंगिक अन्य दस्तावेजों के माध्यम से बंधक बनाने के लिए अधिकृत है/बंधककर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि/वकील/भागीदार/निदेशक/कर्ता/ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तारीख को पारित संकल्प के अनुसरण में माननीय सदस्य/अधिकारी/न्यासी ने ऋणदाता के प्रतिनिधि को उक्त संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की और आगे कहा कि उक्त संकल्प पूरी तरह से लागू था और इसे किसी भी तरह से संशोधित या रद्द नहीं किया गया था।
- चार. बंधक/जमाकर्ता (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि इस प्रकार जमा किए गए उक्त शीर्षक विलेख संबंधित बंधककर्ताओं के कब्जे, शक्ति और नियंत्रण में बंधक संपत्ति से संबंधित शीर्षक के एकमात्र दस्तावेज थे और संबंधित बंधककर्ताओं के पास उक्त बंधक संपत्ति के लिए एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक था; (ख) बंधककर्ताओं के पास अच्छे, स्पष्ट, वैध, विपणन योग्य और निर्वाह करने वाले पंजीकृत फ्रीहोल्ड शीर्षक और उनकी संबंधित बंधक संपत्ति के अधिकार हैं; और (ग) कोई बंधक, मुख्तारनामा (जो भी नाम से कहा जाता है), आरोप, ग्रहणाधिकार या अन्य सुरक्षा हित किसी भी व्यक्ति या किसी भी अन्य समझौते या व्यवस्था के किसी भी दायित्व को सुरक्षित करने के लिए एक समान प्रभाव (सामूहिक रूप से "भार") पर या उसके संबंध में मौजूद है किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में।
- पाँच. बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि बंधककर्ताओं के पास पूर्ण शक्ति और पूर्ण अधिकार है (कॉर्पोरेट या अन्यथा) ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने के लिए। बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने यह भी कहा कि बंधककर्ताओं ने ऋणदाता के पक्ष में अपनी बंधक संपत्ति के संबंध में न्यायसंगत बंधक के निर्माण के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित सहमति, सरकारी अनुमोदन और अन्य प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- छः. बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि बंधककर्ताओं ने बंधक संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के अंतरण, बिक्री, समनुदेशन, भार या हस्तांतरण के लिए कोई अनुबंध नहीं किया है।
- सात. बंधक/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि लागू कानून के तहत या किसी भी अनुबंध, मुकदमे, कार्यवाही, डिक्री, आदेश, निर्णय, पुरस्कार या दस्तावेज या साधन के तहत कोई बाधा या बाधा नहीं है जो बंधक को ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्ति पर बनाए गए न्यायसंगत बंधक को बनाने और पूर्ण करने से रोकता है।
- आठ. बंधककर्ताओं/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने यह भी कहा है कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति/प्राधिकार प्राप्त कर लिए हैं/प्राप्त करेंगे।
- नौ. बंधक/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि कर कानून या निषेधात्मक आदेश के तहत आयकर प्राधिकरण या किसी भी राजस्व प्राधिकरण से उक्त बंधक संपत्ति के बंधक और हस्तांतरण के लिए कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही उक्त बंधक संपत्ति के संबंध में किसी भी अदालत में कोई मुकदमा लंबित है और न ही कोई एलआईएस पेडेन पंजीकृत है और न ही निर्णय से पहले या बाद में कोई कुर्की है। उसी का सम्मान।
- दस. बंधक/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) ने आगे कहा कि बंधक संपत्ति में शामिल भूमि का विवरण, अनुसूची में उल्लिखित सत्य, सटीक और पूर्ण है।
- ग्यारह. संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह ज्ञापन केवल बंधक/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) द्वारा ऋणदाता के पास मूल स्वामित्व विलेख और उसके आनुषंगिक अन्य दस्तावेजों को जमा करने का एक रिकॉर्ड है और ऐसा नहीं किया जाएगा ऐसे जमाकर्ताओं/बंधककर्ताओं और ऋणदाता के बीच एक समझौते के रूप में माना जाएगा।

- बारह. इस ज्ञापन में निहित सभी मामले विच्छेदनीय हैं और हर दूसरे मामले से अलग हैं और यदि किसी भी समय कोई मामला किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है, तो इस ज्ञापन के शेष हिस्सों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित नहीं होगी।
- तेरह. मूल शीर्षक विलेख और उसके आनुषंगिक अन्य दस्तावेजों की उपरोक्त जमा राशि बंधक/जमाकर्ता (जैसा लागू हो) द्वारा ऋणदाता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की गई थी।
- चौदह. पूर्वगामी के प्रयोजनों के लिए, इस ज्ञापन में उपयोग की जाने वाली पूंजीकृत शर्तें, जहां यहां परिभाषित नहीं की गई हैं, का अर्थ ऋण समझौते में निर्धारित अर्थ होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- पंद्रह. इस ज्ञापन के निष्पादन की तारीख नीचे उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस ज्ञापन में तारीख को खाली रखा गया है और यदि दस्तावेज डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस ज्ञापन के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब ऋणदाता के एक अधिकारी द्वारा ज्ञापन पर अंतिम बार डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से ("अंतिम डिजिटल तिथि") हस्ताक्षर किए गए थे।
- मामले में, जहां कई बंधक/जमाकर्ता (जैसा लागू हो) हैं, तो अभिव्यक्ति बंधक/जमाकर्ता (जैसा लागू हो), में सभी बंधक/जमाकर्ता (जैसा लागू हो) शामिल होंगे और उनके द्वारा स्वामित्व वाली और/या गिरवी रखी जा रही संपत्तियों के संबंध में सभी बंधक/जमाकर्ताओं (जैसा लागू हो) को संदर्भित किया जाएगा।

अनुसूची 1.

उधारकर्ता का विवरण

विवरण	या क्रिस्म			
MODTD निष्पादन तिथि				
MODTD निष्पादन स्थान				
उधारकर्ता का नाम				
उधारकर्ता का पता				
सह-उधारकर्ता का नाम और पता				
शाखा का नाम				
बंधक का नाम एक पता एन डी				
या क्रिस्म का गिरवी रखी गई संपत्ति				
सुविधा				

ऋण समझौते की तारीख				
निष्पादन का स्थान				

2. बंधक/जमाकर्ता का विवरण

विवरण	संपत्ति 1
बंधक का नाम	
नाम का जमाकर्ता (स्वयं / बंधक के प्रतिनिधि)	
अधिकार पत्र तिथि: स्थान:	
बंधककर्ता के बोर्ड संकल्प विवरण (यदि लागू हो)	
नाम तथा उपाधि का ऋणदाता का MODTD निष्पादित करने वाला प्रतिनिधि	
मूल शीर्षक विलेख जमा करने की तिथि	
मूल शीर्षक विलेखों के जमा करने का स्थान	
बंधक संपत्ति का विवरण	
सीमाओं	

क) संपत्ति के शीर्षक विलेखों की सूची 1

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास जमा दस्तावेजों की सूची:

कानूनी रिपोर्ट के अनुसार,

हम, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि ऊपर उल्लिखित तिथि को उपरोक्त सूचीबद्ध विलेख और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और उसी को फिर से वितरित करने का वचन देते हैं (आग या अन्य अपरिहार्य दुर्घटना से क्षति को केवल छूट दी गई है) उक्त बंधक/जमाकर्ता, जैसा लागू हो, हमारे द्वारा सुविधा की मूल राशि की प्राप्ति पर, ब्याज, प्रतिबद्धता और अन्य प्रभार और उधारकर्ता/बंधक/जमाकर्ता द्वारा देय कोई अन्य देय।

नोट: ऐसे मामलों के लिए जहां बंधक/जमाकर्ता द्वारा एक से अधिक संपत्ति गिरवी रखी जा रही है, मूल शीर्षक विलेख और उसके आनुषंगिक दस्तावेजों की जमा की उपरोक्त सूची को गिरवी रखी गई संपत्तियों की संख्या के आधार पर दोहराया जा सकता है।

दिनांक और स्थान	तिथि : स्थान :
ऋणदाता के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम	

घोषणा

वह व्यक्ति जिसका विवरण इसके तहत अनुसूची में उल्लिखित है और अचल संपत्ति ("बंधक") का मालिक है, व्यक्ति के मामले में स्वयं बंधक, या निदेशक/अटॉर्नी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/भागीदार/कर्ता/ट्रस्टी/बंधककर्ता के अधिकारी ("बंधककर्ता का प्रतिनिधि") जिसका विवरण इसके तहत अनुसूची में है, इसके द्वारा, पुष्टि और पुनः पुष्टि करें और निम्नानुसार कहें:

- एक. बंधककर्ता (ओं) को छोड़कर और छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास अनुसूची में वर्णित अचल संपत्तियों में किसी भी प्रकार का कोई शेयर, अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है (इसके बाद ("बंधक संपत्ति") और उक्त बंधक संपत्ति के लिए बंधक का शीर्षक विपणन योग्य और सभी ऋणों से मुक्त है।
- दो. बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में उक्त बंधक संपत्ति के मूल शीर्षक विलेखों को जमा करके बंधक बनाने के इरादे से इस घोषणा को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार और पूर्ण अधिकार है, एक लघु वित्त बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए है, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर- 302001 (राजस्थान) (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी (ओं) और असाइन (ओं) शामिल होंगे)।
- तीन. बंधक संपत्ति को सभी ब्याज, दंडात्मक शुल्क, अतिदेय ईएमआई / किश्त / राशि/ ब्याज, परिसमापन क्षति, लागत, शुल्क, व्यय, गारंटी कमीशन और अन्य धन के साथ यहां लिखित अनुसूची ("सुविधा") में उल्लिखित ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए मूल शीर्षक विलेख जमा करने के माध्यम से प्रभारित और गिरवी रखने का प्रस्ताव है। अनुसूची में उल्लिखित ऋण समझौते के तहत देय, ("ऋण समझौता(ओं)") ऋणदाता और बंधककर्ता और/या उधारकर्ता के बीच निष्पादित किया गया जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है ("उधारकर्ता"), जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- चार. बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को सुविधा के तहत संवितरण बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा ऋणदाता को बंधक संपत्ति को गिरवी रखने के विचार में है और उधारकर्ता को इस तरह के संवितरण को बंधककर्ता को संवितरण माना जाएगा।
- पाँच. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार बंधककर्ताओं ने आयकर अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति/प्राधिकार प्राप्त कर लिए हैं/प्राप्त कर लेंगे।
- छः. उक्त बंधक संपत्ति के बंधक और/या हस्तांतरण के लिए आयकर प्राधिकरण या किसी राजस्व प्राधिकरण से कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है और न ही उक्त बंधक संपत्ति के संबंध में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है और न ही कोई एलआईएस पेंडेन पंजीकृत है और न ही उसके संबंध में निर्णय से पहले या बाद में कोई कुर्की है।
- सात. बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया न्यायसंगत बंधक, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता द्वारा सुविधा के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए पहले और विशेष शुल्क के आधार पर ऋणदाता के पक्ष में इस घोषणा को निष्पादित करके, पूरी तरह से लागू होगा और तब तक प्रभावी होगा जब तक कि सुविधा के तहत सभी बकाया राशि संतुष्ट नहीं हो जाती, संबंधित खाते को क्रेडिट में लाया जाने के बावजूद, पूरी सीमा तक तैयार किया गया और फिर फिर से क्रेडिट में लाया गया।
- आठ. बंधक संपत्ति के संबंध में बंधक संपत्ति के संबंध में कोई विश्वास नहीं बनाया है और बंधक संपत्ति बंधककर्ता (संपत्तिओं) के अनन्य, निर्बाध और अबाधित कब्जे और आनंद में है।
- नौ. कोई बंधक, पावर ऑफ अटॉर्नी (जो भी नाम से कहा जाता है), चार्ज, ग्रहणाधिकार या अन्य सुरक्षा हित किसी भी व्यक्ति या किसी भी अन्य समझौते या व्यवस्था के किसी भी दायित्व को सुरक्षित करने के लिए एक समान प्रभाव (सामूहिक रूप से एक "भार") जो भी बंधक संपत्ति पर बनाया जाएगा, सिवाय और ऋणदाता की अनुमति के छोड़कर।
- दस. ऋण समझौते के तहत विचार के अलावा, बंधककर्ता (ओं) को बेचना, पट्टा, उप-पट्टा, लाइसेंस, उप-पट्टे, हस्तांतरण, असाइन करना, बंधक संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा और इसके किसी भी हिस्से को बेचना, पट्टे पर नहीं देना चाहिए।
- ग्यारह. जब तक सुविधा के तहत सभी देय राशि ऋणदाता को चुकाई नहीं जाती है, तब तक बंधक संपत्ति को किसी भी तरह से बंधक संपत्ति से नहीं निपटाया जाएगा जो बंधक संपत्ति के लिए बंधक के शीर्षक को प्रभावित या कम करेगा या किसी भी तरह से जो बंधक संपत्ति पर ऋणदाता के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- बारह. गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कोई अतिक्रमण या अतिचार नहीं है।
- तेरह. बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि को किसी भी कार्य, विलेख, मामले या परिस्थिति के बारे में पता नहीं है जो बंधककर्ता को एक न्यायसंगत बंधक के माध्यम से ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्ति को गिरवी रखने और चार्ज करने से रोकेगा।
- चौदह. बंधक, जहां यह एक कंपनी है, तुरंत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगा: (ए) कंपनी के क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार के साथ दाखिल करना, कंपनियों (शुल्कों का पंजीकरण) नियम, 2014 का फॉर्म सीएचजी -1, संपत्तियों पर न्यायसंगत बंधक के निर्माण का प्रमाण देता है; और (बी) जिले या उप-जिले में जहां बंधक संपत्ति स्थित है, संबंधित रजिस्ट्रार या आश्वासन उप-पंजीयक के समक्ष प्रवेश ज्ञापन का प्रवेश और पंजीकरण; और (ग) ऐसे सभी कार्य और कर्म, और ऐसे सभी दस्तावेजों, कर्मों और उपकरणों का निष्पादन, जैसा कि ऋणदाता द्वारा बंधक संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने और पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

- पंद्रह. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 ("टीपी अधिनियम") की धारा 67-ए के प्रावधान, बंधक संपत्ति पर बनाए गए न्यायसंगत बंधक पर लागू नहीं होंगे, भले ही ऋणदाता बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित दो या दो से अधिक न्यायसंगत बंधक रख सके, जैसा भी मामला हो, या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके संबंध में ऋणदाता को टीपी अधिनियम की धारा 67 के तहत डिफ्री प्राप्त करने का अधिकार है। ऋणदाता ऐसे सभी बंधक पर मुकदमा करने और ऐसी डिफ्री प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके संबंध में बंधक धन देय हो जाता है।
- सोलह. ऋणदाता, उसके नामांकित व्यक्तियों, एजेंटों या प्रतिनिधियों के पास बंधक संपत्ति में पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार और स्वतंत्रता होगी, जैसा कि सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान पारित करने, फिर से पास करने और निर्बाध पहुंच के माध्यम से होगा।
- सत्रह. ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्ति के संबंध में न्यायसंगत बंधक के निर्माण के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित सहमति, सरकारी अनुमोदन और अन्य प्राधिकरण बंधक द्वारा प्राप्त किए गए हैं।
- अठारह. ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति नहीं है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, या जो बंधककर्ता (ओं) के स्वामित्व वाली, कब्जे या उपयोग की गई किसी भी भूमि या परिसर के उपयोग या आनंद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, या बंधक संपत्ति में शामिल बंधक (ओं) के कब्जे में, या बंधक संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक का निर्माण कर सकती है।
- उत्तीस. किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा बंधककर्ता (ओं) को कोई नोटिस नहीं दिया गया है जो बंधक संपत्ति में बंधककर्ता (ओं) के अधिकार को बाधित कर सकता है, रोक सकता है या अन्यथा हस्तक्षेप कर सकता है या बंधक संपत्ति के बंधक के रूप में ऋणदाता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है।
- बीस. बंधककर्ता ने सभी किराए, रॉयल्टी और सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान किया है, और भुगतान करेगा, जिसमें भविष्य निधि बकाया, ग्रेच्युटी बकाया, कर्मचारी राज्य बीमा बकाया, आयकर, बिक्री कर, निगम कर और अन्य सभी कर और सरकारी प्राधिकरण को देय राजस्व शामिल हैं और वर्तमान में इस तरह के बकाये, किराए, रॉयल्टी, करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है और कोई नोटिस नहीं है, बंधक संपत्ति के संबंध में बंधक पर अनुलग्नक या वारंट दिए गए हैं।
- इक्कीस. बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता द्वारा आवश्यक ऐसी घोषणाएं, उपक्रम, क्षतिपूर्ति और अन्य लेखन देगा और ऋणदाता के पक्ष में बंधक संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक के निर्माण और पूर्णता के संबंध में ऋणदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत अन्य सभी आवश्यकताओं और मांगों का संतोषजनक ढंग से अनुपालन करेगा।
- बाईस. बंधक (ओं) या बंधककर्ता के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सभी लागतों, शुल्क और खर्चों, करों, स्टॉप शुल्क (घाटे स्टाम्प शुल्क सहित), पंजीकरण शुल्क और जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा, जैसा कि मूल शीर्षक विलेख और अन्य दस्तावेजों की डिलीवरी और जमा के माध्यम से बंधक संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक के निर्माण के संबंध में लागू कानून के तहत भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, इस घोषणा और अन्य सभी दस्तावेजों पर बिना किसी सीमा के किसी भी स्टॉप ड्यूटी शुल्क सहित, जो बंधक या बंधक के प्रतिनिधि को इसके संबंध में निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है, या जैसा कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।
- तेईस. बंधककर्ता (ओं) के पास मूल शीर्षक विलेखों को जमा करके बंधक रखने और मूल शीर्षक विलेखों और दस्तावेजों को जमा करके उक्त बंधक संपत्ति को स्थानांतरित करने का अच्छा अधिकार, पूर्ण शक्ति और पूर्ण अधिकार है और न ही बंधककर्ता और न ही उनकी ओर से किसी ने कोई कार्य, विलेख, मामला या चीज की है जिससे मूल शीर्षक विलेखों की उक्त जमा राशि और/या शीर्षक विलेख जमा करके उक्त बंधक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- चौबीस. कोई अन्य व्यक्ति उक्त बंधक संपत्ति की हिरासत, कब्जे, कब्जे में नहीं है और कोई अन्य व्यक्ति किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लाइसेंस, उप-लाइसेंस, देखभाल करने वाले या किसी अन्य तरीके से या बंधक संपत्ति में किसी भी व्यावसायिक अधिकार या हित और बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी प्रकार के किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित का दावा करने का हकदार नहीं है। जैसा भी मामला हो, ऋणदाता द्वारा उक्त बंधक संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में उक्त बंधक संपत्ति के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को सौंपने के लिए सहमत होता है।
- पच्चीस. बंधककर्ता (ओं) ने उसके या बंधक संपत्ति के किसी भी हिस्से या भागों की बिक्री, हस्तांतरण या अलगाव के लिए कोई समझौता नहीं किया है।
- छब्बीस. इसके तहत लिखित अनुसूची में निर्दिष्ट दस्तावेज बंधक संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित एकमात्र शीर्षक विलेख या दस्तावेज हैं और बंधक संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के कब्जे, शक्ति, अभिरक्षा या नियंत्रण में गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में शीर्षक के कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं और/या इसके किसी भी प्रतिनिधि या एजेंट।
- सत्ताईस. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी कॉर्पोरेट प्रस्ताव, बंधक संपत्ति के बंधक के संबंध में, बंधककर्ता (बंधक) (जहां बंधककर्ता एक कॉर्पोरेट निकाय है) द्वारा पारित किए गए हैं, और पारित किए गए ऐसे प्रस्ताव वैध, कानूनी रूप से बाध्यकारी और पूर्ण बल और प्रभाव में हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है या रद्द नहीं किया गया है या उन्हें परिवर्तित या रद्द नहीं किया जाएगा।
- अठ्ठाईस. बंधक संपत्ति विपणन योग्य, मुक्त और सभी ऋणों से मुक्त है और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नहीं आती है, या यदि किसी सहमति की आवश्यकता है, तो उसे प्राप्त कर लिया गया है।
- उन्तीस. उपरोक्त कथन और बंधककर्ता या बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा किए गए आश्वासनों और अनुरोध के आधार पर, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता सभी ब्याज, दंड शुल्क, अतिदेय ईएमआई पर ब्याज/किस्त/राशि/ब्याज के साथ सुविधा को सुरक्षित करने के लिए मूल शीर्षक विलेख और दस्तावेजों को जमा करके उक्त बंधक संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। परिसमापन क्षति, लागत, शुल्क, व्यय, गारंटी कमीशन और अन्य धन, ऋण समझौते के तहत देय है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, इसके द्वारा ऋणदाता और उसके अधिकारियों को सभी कार्यों, मुकदमे, लागत, शुल्क, व्यय, कार्यवाही और क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और जो भुगतान पड़ सकता है और/या खर्च किया जा सकता है
- ऋणदाता या उसके अधिकारी, यदि ऊपर दिए गए कथनों में से कोई भी असत्य और/या गलत है।

- तीस. बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, इस बात से सहमत हैं कि इस घोषणा में निहित सभी शर्तें, लाभ और अधिकार ऋणदाता के लाभ के लिए लागू होंगे। बंधककर्ता को पता है कि इस घोषणा के विश्वास पर ऋणदाता उधारकर्ता को सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।
- इक्तीस. बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, इसके द्वारा कहा गया है कि ऊपर जो भी बयान दिए गए हैं, वे उसके ज्ञान, जानकारी के लिए सही हैं और स्वतंत्र इच्छा के साथ किए गए हैं और इसे सच मानते हैं।
- बत्तीस. पूर्वगामी के प्रयोजनों के लिए, इस घोषणा में उपयोग की जाने वाली पूंजीकृत शर्तें, जहां यहां परिभाषित नहीं की गई हैं, का अर्थ ऋण समझौते में निर्धारित अर्थ होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- तैंतीस. मामले में, जहां कई बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि हैं तो अभिव्यक्ति बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि में सभी बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधियों को उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा गिरवी रखी जा रही संपत्तियों के संबंध में संदर्भित करना शामिल होगा।
- चौत्तीस. उपरोक्त के बावजूद, बंधककर्ता या बंधककर्ता का प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, इसके द्वारा ऋणदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ('कोड') की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' का प्रकटीकरण/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है, जिसे संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संशोधित और समय-समय पर लागू होता है और समय-समय पर उसके तहत निर्दिष्ट किया जाता है, ऋणदाता से समय-समय पर ऋणदाता द्वारा प्राप्त ऋण/वित्तीय सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बंधककर्ता द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी भी संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित सूचना उपयोगिता ('आईयू'), संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और इसके द्वारा संबंधित 'आईयू' द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने के लिए विशेष रूप से सहमत हैं।
- पैंतीस. इस घोषणा के निष्पादन की तारीख नीचे उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस घोषणा में तारीख को खाली रखा गया है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस घोषणा के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब घोषणा की गई थी अंतिम बार किसी भी पक्ष द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए ("अंतिम डिजिटल तिथि")। ऋण/सुविधा के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
- छत्तीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इस घोषणा और संबंधित दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या निष्पादन के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत है और सहमति देता है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा उचित समझा जाता है, जिसमें आधार या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करना शामिल है, लेकिन सीमित नहीं हैं।
- सैंतीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और ऋणदाता को इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि आधार विवरण और बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए कोर बायोमेट्रिक जानकारी। बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि ओटीपी दर्ज करके और/या बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि का फिंगरप्रिंट इंप्रेशन (बायोमेट्रिक केवाईसी) प्रदान करके, इसे पैन को मान्य करने और आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए ऋणदाता को बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि की निहित और स्वेच्छा से सहमति के रूप में माना जाएगा और बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा ऋणदाता को पैन को प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है (ख) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से क्रमशः बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि व्यक्तिगत बल्ले।
- अड़तीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और स्वीकार करता है कि घोषणा और संबंधित दस्तावेजों को ऋणदाता के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से निष्पादित/डिजिटल रूप से मुहर लगाई जा सकती है / संग्रहीत किया जा सकता है और निष्पादन, अनुमान, डेटा भंडारण आदि से संबंधित ऐसे प्लेटफॉर्म की शर्तों को भी स्वीकार किया जा सकता है। बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि स्वीकार करता है कि ऐसे ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किए गए और/या निष्पादित दस्तावेज, बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि पर वैध और बाध्यकारी होंगे और ऋणदाता द्वारा साक्ष्य के एक उचित रूप के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है और उस पर स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठाने का वचन देता है। ऋणदाता या ऐसे तीसरे पक्ष के विक्रेता आईपी पते, निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर या अन्य उपकरण के स्थान और लेनदेन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के सभी डेटा एकत्र करने के हकदार होंगे।
- उन्तालीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता द्वारा नियुक्त ऋणदाता/तीसरे पक्ष के विक्रेताओं/एजेंटों आदि से प्राप्त और/या भेजा गया कोई भी संचार, चाहे ऋणदाता के पास उपलब्ध बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से हो, उसे बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि पर वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। बंधक/ बंधककर्ता का प्रतिनिधि भी सहमति से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को संचार के लिए वैध और अनुमत सेल नंबर/ईमेल आईडी के रूप में मानने के लिए स्वतंत्र होगा।
- चालीस. बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के खते में ऋण/सुविधा का सवितरण ऋण/सुविधा (सुविधाओं) का लाभ उठाने और घोषणा और संबंधित दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि की सहमति निहित होगी और यह बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि पर वैध और बाध्यकारी होगा और प्राधिकृत भागीदारों/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार के संबंध में या अन्यथा ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज।

इक्तालीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि अपरिवर्तनीय रूप से सहमत है और सहमति देता है कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा किसी भी ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटलीकृत प्लेटफॉर्म पर टाइटल डीड जमा करने के उद्देश्य से डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित/ई-हस्ताक्षर/चिपकाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा वांछित हो सकता है। बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि समझता है और सहमत है कि बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इस घोषणा के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से अद्यतन और किसी भी वायरस, खराबी या साइबर संबंधी खतरों से सुरक्षित रखेगा। बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इस बात से सहमत है कि न तो ऋणदाता या किसी भी ई-सेवा/सॉफ्टवेयर प्रदाता मध्यस्थ को बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि उपकरण, अन्य सॉफ्टवेयर, सुविधाओं, बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा नियोजित तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों, या इंटरनेट कनेक्टिविटी या ऋणदाता के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से किसी भी कारण से किसी भी विफलता या दोष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल मुद्रांकन और/या इस घोषणा और संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन।

बयालीस. खंड 35-41 में उल्लिखित प्रावधान उन सभी दस्तावेजों पर लागू होंगे जो सुविधाओं के संबंध में बंधककर्ता द्वारा डिजिटल रूप से निष्पादित किए जाते हैं।

तैतालीस. बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब-आधारित साधनों के माध्यम से किसी भी परिशिष्ट सहित इस घोषणा की ऑनलाइन स्वीकृति पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का परिणाम है।

चवालीस. बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि को पता है कि इस घोषणा के संचरण, घोषणा के परिशिष्ट, नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ('संचार') को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से प्रसारित करने में धोखाधड़ी वाले परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं। हालांकि, बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इस घोषणा के तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैंक से संचार प्राप्त करने और उसे संचार प्रदान करने का इच्छुक है, जिसमें प्रतिज्ञा और उसके संचालन के संबंध में भी शामिल है।

पैंतालीस. बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने को ध्यान में रखते हुए, बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि एतद्वारा बैंक को निम्नानुसार पुष्टि करता है और वचन देता है: (ए) बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का हकदार होगा (और इसे वास्तविक मानता है)। इस प्रश्न के मामले में कि कौन से संचार प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए थे, बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। (ख) बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि ने यह सुनिश्चित किया है और यह सुनिश्चित करेगा कि संचार बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान की गई बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जाती है और इसके द्वारा सहमत और पुष्टि की जाती है कि बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (ग) बंधक/बंधककर्ता का प्रतिनिधि इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक संचार के पूरे या किसी भी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि यह संचार में दिखाई दे सकता है इस प्रकार संप्रेषित संचार और यह बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के एकमात्र जोखिम पर होगा। (घ) बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी भी कार्य या कार्य करने से इनकार या चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (ङ) बैंक को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस घोषणा के तहत या अन्यथा बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। (च) बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि को प्रदान की गई सुविधा/सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है। (छ) बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि को इस बात की जानकारी है और वह इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक इस खंड में निहित वचन और क्षतिपूर्तियों के कारण और उन पर भरोसा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है।

यहां निहित सभी मामले हर दूसरे मामले से अलग और अलग हैं और यदि किसी भी समय कोई मामला किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है, तो इसके शेष भागों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बिगड़ा नहीं जाएगी।

उपर्युक्त बंधककर्ता (बंधक) की मुहर, इसके निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार, मनीष केवट/483926 या की उपस्थिति में इस संबंध में पारित की गई है

उपर्युक्त नामित बंधक(ओं) द्वारा अनुसूचीबद्ध के हाथ से हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

एक. उधारकर्ता का विवरण:

विवरण	या क्रिसम
घोषणा तारीख	निष्पादन
घोषणा	निष्पादन
स्थान	

उधारकर्ता का नाम				
उधारकर्ता का पता				
सह-उधारकर्ता का नाम और पता				
शाखा का नाम				
बंधक का नाम एक पता एन डी				
MODTD का विवरण				
या क्रिस्म का गिरवी रखी गई संपत्ति				
सुविधा				
ऋण समझौते की तारीख				
निष्पादन का स्थान				

दो. बंधक/जमाकर्ता का विवरण:

विवरण	संपत्ति 1
बंधक का नाम	
नाम का जमाकर्ता (स्वयं / बंधक के प्रतिनिधि)	
अधिकार पत्र तिथि: स्थान:	
बंधककर्ता के बोर्ड संकल्प विवरण (यदि लागू हो)	

नाम तथा उपाधि का ऋणदाता का MODTD निष्पादित करने वाला प्रतिनिधि	
मूल शीर्षक विलेख जमा करने की तिथि	
मूल शीर्षक विलेखों के जमा करने का स्थान	
बंधक संपत्ति का विवरण	
सीमाओं	
	पश्चिम:घर

क) संपत्ति के शीर्षक विलेखों की सूची 1

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास जमा दस्तावेजों की सूची:

कानूनी रिपोर्ट के अनुसार,

हम, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि ऊपर उल्लिखित तिथि को उपरोक्त सूचीबद्ध विलेख और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और उक्त बंधक/जमाकर्ता को उसी अक्षुण्ण (आग या अन्य अपरिहार्य दुर्घटना से क्षति को केवल छूट दी गई है) को फिर से वितरित करने का वचन देते हैं, यदि सुविधा की मूल राशि की प्राप्ति पर हमारे द्वारा लागू हो, ब्याज, प्रतिबद्धता और अन्य प्रभार और उधारकर्ता/बंधक/जमाकर्ता द्वारा देय कोई अन्य देय।

नोट: ऐसे मामलों के लिए जहां बंधक/जमाकर्ता द्वारा एक से अधिक संपत्ति गिरवी रखी जा रही है, संपत्ति का उपरोक्त विवरण और मूल शीर्षक विलेखों की सूची को एक ही बंधक/जमाकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों की संख्या के आधार पर दोहराया जा सकता है।

बंधककर्ता इस दस्तावेज की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ने और समझने की बात स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि इस दस्तावेज में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इस दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जो इसका प्रमाण देता है। बंधककर्ता आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

बंधककर्ताओं ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव के पूर्ण ज्ञान के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ, जिसे इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

दिनांक और स्थान	तिथि : स्थान :
नाम का द बंधक / बंधक का प्रतिनिधि	(बंधक/बंधककर्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

गृह ऋण समझौता

यह समझौता उस स्थान पर और अनुसूची ("अनुसूची") में निर्धारित तिथि पर किया और निष्पादित किया जाता है

"उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता, इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" और गारंटर" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जिनका विवरण में दिया गया है। अनुसूची, (जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, में शामिल होंगे: (i) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक कंपनी है या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत निर्गमित एक सीमित देयता भागीदारी, इसके उत्तराधिकारी; (ii) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रयोजनों के लिए एक साझेदारी फर्म है, फिलहाल और समय-समय पर भागीदार और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी; (iii) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर एकमात्र स्वामित्व है, एकमात्र मालिक और उसके कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि; (iv) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर एक व्यक्ति है, उसके कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक; (v) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार है, कर्ता और एचयूएफ के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य और उनके उत्तरजीवी (ओं) और उसके / उसके / उसके / उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादक, प्रशासकों; (vi) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर एक सोसायटी है, सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य और उस पर निर्वाचित, नियुक्त या सहयोजित कोई भी नया सदस्य; (vi) इस घटना में कि उधारकर्ता/गारंटर एक ट्रस्ट है, उस समय के लिए ट्रस्टी या ट्रस्टी और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उत्तराधिकारी), पहले भाग के;

और

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक लघु वित्त बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 में है और भारत में एक शाखा कार्यालय है, जिसे यहां अनुसूची में उल्लिखित पते पर "बैंक/ऋणदाता" कहा जाता है, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, दूसरे भाग के इसके उत्तराधिकारियों और असाइनमेंटों का अर्थ और शामिल माना जाए

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, गारंटर और बैंक को इसके बाद सामूहिक रूप से 'पक्षकार' और व्यक्तिगत रूप से 'पार्टी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि, उधारकर्ता और गारंटर ने राशि और उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए ऋण अनुदान/मंजूरी के लिए बैंक से संपर्क किया है/किया है, जैसा कि यहां अनुसूची में बताया गया है, जिसके लिए बैंक ने स्वीकृति पत्र के माध्यम से उधारकर्ता को अनुदान/विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यहां के पक्ष बैंक द्वारा उधारकर्ता और गारंटर को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में नियमों और शर्तों को इसके बाद निहित नियमों और शर्तों पर दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अब, ये गवाह प्रस्तुत करते हैं और इसके द्वारा पक्षों द्वारा और उनके बीच इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

एक. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, गायन सहित जहां भी उपयोग किए जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

अ. "समझौते" का अर्थ है कि यह अनुबंध सभी अनुसूचियों, अनुलग्नकों, मुख्य तथ्य कथन, परिशिष्टों, अनुलग्नकों और परिशिष्टों के साथ पढ़ा जाता है और इसके सभी संशोधन/पूरक और समय-समय पर निष्पादित किए गए पुनर्कथन के साथ पढ़ा जाता है।

आ. "लागू ब्याज दर" का अर्थ है ऋण पर लागू ब्याज की निश्चित दर या फ्लोटिंग ब्याज दर।

इ. "आवेदन पत्र" का अर्थ है ऋण आवेदन पत्र में विधिवत भरा हुआ, एक प्रपत्र और तरीके से बैंक को निर्धारित और स्वीकार्य तरीके से, साथ ही ऐसे दस्तावेजों और जानकारी के साथ जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं, सभी विवरण और दस्तावेज, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक को भरे और जमा किए गए हैं।

ई. "अनुलग्नक" का अर्थ है इस समझौते के अनुलग्नक (अनुलग्नक) के रूप में समय-समय पर संशोधित/संशोधित किया गया है, जो इसके एक अभिन्न अंग का रूप होगा।

उ. "उपलब्धता अवधि" का अर्थ उस अवधि से होगा, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, जिसके दौरान ऋण ड्रॉ के लिए उपलब्ध रहेगा।

ऊ. "शाखा" का अर्थ है अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर बैंक की शाखा जहां से ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाता है और इसमें कोई अन्य शाखा शामिल होगी जहां बैंक के विवेकाधिकार पर समय-समय पर ऋण खाते का रखरखाव या हस्तांतरण किया जा सकता है। छ. "बिल्टर भुगतान": खंड 7.A.ww में इसका अर्थ दिया जाएगा।

ल. "व्यावसायिक दिवस" का अर्थ एक ऐसा दिन होगा जिस दिन शाखा सामान्य व्यवसाय के साथ-साथ भुगतान, निपटान और समाशोधन के प्रयोजनों के लिए खुली होगी। यदि इस समझौते के तहत किसी भी बकाया राशि के भुगतान की कोई भी तारीख उस दिन आती है जो व्यावसायिक दिवस नहीं है, तो ऐसे भुगतान अगले व्यावसायिक दिन पर किए जाएंगे।

एँ. "कन्वर्जन चार्ज" का अर्थ है वह शुल्क, यदि कोई हो, जो उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बैंक को भुगतान किया जाना है, जो लागू ब्याज दर को निश्चित ब्याज दर से फ्लोटिंग ब्याज दर में बदलने के उद्देश्य से या इसके विपरीत।

ज. "गारंटी" का अर्थ होगा गारंटर द्वारा ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को स्वीकृत सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटी।

ए. "डिफॉल्ट" का अर्थ है डिफॉल्ट और/या डिफॉल्ट की संभावित घटना, या कोई अन्य घटना जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है या बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर माना जा सकता है;

ऐ. "दंड प्रभार", का अर्थ होगा बैंक की अनुसूची 2 (प्रभारों की अनुसूची) में उल्लिखित दर पर लागू प्रभार, जो खंड 8.1 में उल्लिखित चूक की घटना होने पर उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय होगा

ऑ. "देय तिथि": का अर्थ है, (ए) ईएमआई और/या पुनर्भुगतान तिथियों पर बकाया राशि (बी) ऋण दस्तावेजों के तहत बैंक द्वारा किए गए या भुगतान किए गए लागत, शुल्क और खर्च, ऐसी लागत, शुल्क और खर्चों का विवरण प्रदान करने वाले नोटिस में बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि; और (ग) ऋण दस्तावेजों के तहत देय कोई अन्य राशि, जिस तारीख को ऐसी राशि ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में देय होती है, या मांग पर यदि नियत तारीख ऐसे ऋण दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं है;

ओ. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या ईसीएस या "एनएसीएच" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित डेबिट क्लियरिंग स्कीम, एक क्लियरिंग हाउस या इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य प्लेटफॉर्म या तंत्र की सेवाओं का उपयोग करके एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक निधियों के अंतरण के माध्यम हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा भी शामिल है।

ओ. "समान मासिक किस्त (ईएमआई)" का अर्थ है आनुपातिक मासिक भुगतान की राशि जिसमें ऋण की मूल राशि और/या उस पर देय ब्याज शामिल है।

औ. "चूक की घटना": खंड 8.1 में इसका अर्थ और मामले के आधार पर बैंक की ऐसी अन्य शर्तों का उल्लेख किया जाएगा;

अं. "ब्याज की निश्चित दर" का अर्थ है अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट अवधि के लिए ऋण पर लागू ब्याज की विशिष्ट दर।

अः. "फ्लोटिंग ब्याज दर" का अर्थ है सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) या बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) के योग के रूप में गणना की गई ऋण पर लागू ब्याज दर और अनुसूची में उल्लिखित मार्जिन, जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। एस "गारंटर" का अर्थ है अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों)।;

आआ. "ब्याज और वार्षिक प्रतिशत दर ("एपीआर")": ऋण के संबंध में समय-समय पर गणना के अनुसार इस समझौते / केएफएस के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और एपीआर से है

इइ. "अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज" पर ब्याज" ऋण के लिए लागू ब्याज की संविदात्मक दर पर प्रभारित किया जाएगा और नीचे दी गई अनुसूची 2 (प्रभारों की अनुसूची) में निर्दिष्ट किया जाएगा।

ईई. "ऋण" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करके आवेदन किया गया है और बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र के साथ-साथ इस समझौते के तहत अनुसूची में उल्लिखित राशि के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता है, जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता को इस समझौते के संदर्भ में वितरित किया जा सकता है जो बैंक के विवेकाधिकार के अधीन होगा।

उउ. "ऋण खाता" का अर्थ है ऋण की मंजूरी के अनुसार उधारकर्ता के नाम पर बैंक द्वारा खोला गया खाता और यहां की शर्तों के अनुसार संचालित किया जाना है, और जिसका विवरण अनुसूची में है।

ऊऊ. "ऋण दस्तावेज" का अर्थ है सामूहिक रूप से (ए) आवेदन पत्र; (ख) पावर ऑफ अटॉर्नी; (ग) स्वीकृति पत्र; (घ) सुरक्षा दस्तावेज; (ङ) यह करार; (च) गृह-इकिटी ऋण, परिशिष्ट, यदि कोई हो; (छ) शपथ-पत्र-सह-वचन, यदि कोई हो; (ज) ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता और/गारंटर द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र, (i) पूर्वगामी में से किसी के अनुसार समय-समय पर निष्पादित कोई अन्य दस्तावेज जिसमें उधारकर्ता और/या गारंटर या बैंक एक पक्ष है; और (जे) कोई अन्य समझौता या दस्तावेज जिसे बैंक ऋण दस्तावेज के रूप में नामित करता है;

ऋऋ. "ऋण अवधि" का अर्थ है अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण की अवधि और समय-समय पर संशोधित, यदि कोई हो।

लल. "सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर)/बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर)" का अर्थ है बैंक द्वारा समय-समय पर अपनी सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) या बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) के रूप में घोषित लागू ब्याज दर।

एँएँ. "भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ है एक घटना, परिस्थिति, घटना या स्थिति जो निर्धारण की किसी भी तारीख के रूप में, बैंक के उचित निर्णय में एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनी है:

- (अ) उधारकर्ता और/या गारंटर का व्यवसाय, संचालन, संपत्ति या स्थिति (वित्तीय या अन्यथा); या
- (आ) उधारकर्ता और/या गारंटर की ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और करने की क्षमता, जिसमें उधारकर्ता और/या गारंटर एक पक्ष है या होगा; या (सी) सुरक्षा हित, संपत्ति या उसके संबंध में कोई अधिकार; या
- (घ) ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज या बैंक के अधिकारों या उपचारों की वैधता या वैधता या प्रवर्तनीयता।
- ऐऐ. बंधक/प्रतिभूति प्रदाता: का अर्थ होगा संपत्ति का मालिक या किसी अन्य संपत्ति का जिस पर ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज, उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।
- एए. "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)" का अर्थ है बैंक द्वारा ऋण खाते का गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा ऋण के तहत मूल राशि और/या ब्याज के भुगतान में चूक पर, विशेष रूप से अनुलग्नक ए में या समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार।
- ऐऐ. "बकाया बकाया": का अर्थ है, किसी भी समय, इस समझौते की शर्तों और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों के अनुसार, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बैंक को की जाने वाली सभी बकाया और देय या दायित्व, जिसमें (ए) ऋण राशि, ईएमआई के हिस्से के रूप में देय है; (ख) ईएमआई के भाग के रूप में देय ऋण राशि पर कितना ब्याज देय है; (ग) दंड प्रभार क्या हैं; (घ) अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज पर ब्याज; (ई) उधारकर्ता के अन्य सभी दायित्व और देनदारियां, क्षतिपूर्ति, परिसमापन क्षति, लागत, प्रभार।
- ऑऑ. "पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)" का अर्थ है इस समझौते के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बैंक के पक्ष में (सुरक्षा के रूप में तैयार किए गए पीडीसी सहित) के भुगतान के लिए आहरित चेक।
- ओओ. "डिफॉल्ट की संभावित घटना" का अर्थ है कोई भी घटना या परिस्थिति, जो बैंक द्वारा नोटिस देने से प्रदान की गई किसी भी छूट अवधि की समाप्ति के साथ, ऋण दस्तावेज के तहत किसी भी निर्धारण या किसी भी या सभी लागू शर्तों (जैसा भी मामला हो) की संतुष्टि (या पूर्वगामी का कोई संयोजन) डिफॉल्ट की घटना होगी; जीजी। "पूर्व-भुगतान" का अर्थ इस समझौते के खंड 5.10 में दिया गया है।
- औऔ. "पूर्व-समान मासिक किश्तें" या "पूर्व-ईएमआई" का अर्थ ब्याज की कोई भी राशि होगी जो उधारकर्ता द्वारा ऋण के पहले संवितरण की तारीख से लेकर उधारकर्ता को ऋण राशि तक संवितरण की तारीख तक बैंक को देय है या ऐसी अन्य तारीख जो बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- अंअं. गृह ऋण के संबंध में "संपत्ति" का अर्थ है, आवासीय अचल संपत्ति का विवरण अनुसूची में प्रदान किया गया है, जिसकी सुरक्षा के खिलाफ बैंक द्वारा इस समझौते के संदर्भ में ऋण दिया जा रहा है, जिसमें ऋण आय का उपयोग करके किए गए या नहीं किए गए सुधार शामिल हैं और ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ भी शामिल हैं।
- उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 'संपत्ति' में यह भी शामिल होगा:
- (अ) एक फ्लैट के मामले में, पूरे निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई अतिरिक्त), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट स्थित है/होगा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से ऐसे फ्लैट को आवंटित कोई भी खुला/ढका हुआ गैरेज/पार्किंग स्थान शामिल है; और/या
- (आ) एक व्यक्तिगत घर के मामले में, घर और भूमि का पूरा भूखंड जिस पर घर स्थित है या जिस पर घर बनाया जाएगा, जिसमें सभी सुखभोग अधिकार शामिल हैं; और/या
- (इ) भूमि के एक भूखंड के मामले में, इसके साथ संलग्न किसी भी सुखभोग अधिकार को रद्द किए बिना भूमि; और/या
- (ई) सभी अचल फर्नीचर और जुड़नार स्थायी रूप से पृथ्वी या दीवारों पर बांधे जाते हैं और संपत्ति का हिस्सा बनाते हैं; और/या
- (उ) कोई अन्य अचल संपत्ति, जैसा कि अनुसूची में वर्णित है, जिसमें संपूर्ण निर्मित क्षेत्र, आनुपातिक भूमि और ऐसी संपत्ति से जुड़े अन्य सभी अधिकार शामिल हैं;
- अ:अ: "उद्देश्य" का अर्थ है वह वैध उद्देश्य जिसके लिए बैंक द्वारा उधारकर्ता को ऋण दिया जाएगा/दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की जाएगी और इसमें अनुसूची में वर्णित उद्देश्य शामिल होगा।
- अअअ. "चुकोती तिथि": (ए) ईएमआई के संबंध में, का अर्थ है वह तारीख, जिस पर या उससे पहले प्रत्येक ईएमआई को उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा चुकाया जाना है; और (बी) अन्य बकाया राशि के संबंध में, उस तारीख का अर्थ है जिस पर या उससे पहले संबंधित बकाया बकाया और/या संपूर्ण बकाया राशि, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा चुकाई जानी है; ॥ "पुनर्भुगतान लिखत" - का अर्थ है पूर्व-समान मासिक पुनर्भुगतान ब्याज या समान मासिक किस्त का भुगतान, नियत तिथियों (तिथियों) पर या उससे पहले, और/या इस समझौते के तहत देय अन्य राशियों में, निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से, जो विकल्प अनुसूची में निर्धारित

किए गए हैं: (ए) ईसीएस/एनएसीएच; (ख) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण); (ग) पीडीसी; (घ) आरटीजीएस; (ई) बैंक में स्थायी निर्देश; और (च) समय-समय पर उपयुक्त कोई अन्य उपकरण।

इइइ. "रेरा" का अर्थ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 ("रेरा") और समय-समय पर संशोधित और लागू किए गए प्रासंगिक नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं से होगा, और इसमें प्राधिकरण ("रेरा प्राधिकरण") द्वारा दी गई सभी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश शामिल होंगे, जैसा कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है।

ईईई. "स्वीकृति पत्र" का अर्थ है बैंक द्वारा जारी किया गया स्वीकृति पत्र और उधारकर्ता और गारंटर द्वारा ऋण के संबंध में स्वीकार किया जाता है और इसमें समय-समय पर कोई भी बदलाव और संशोधन शामिल होंगे। स्वीकृति पत्र, जिसका विवरण अनुसूची में है, इस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा और इसे हमेशा उसी के साथ पढ़ा जाएगा।

उउउ. "अनुसूची" का अर्थ है इस समझौते की अनुसूची, और समय-समय पर संशोधित/संशोधित के रूप में, जो एक अभिन्न अंग होगा इस समझौते का। "सुरक्षा दस्तावेज": का अर्थ है:

(अ) गारंटी का विलेख, यदि कोई हो;

(आ) कोई भी दस्तावेज जिसके तहत संपत्ति पर सुरक्षा ब्याज बैंक के पक्ष में बनाया जाएगा;

(इ) कोई भी वर्तमान या भविष्य का दस्तावेज जो किसी भी ऋण दस्तावेज के तहत बकाया किसी भी रकम के लिए या उसके संबंध में किसी भी सुरक्षा ब्याज या गारंटी की पुष्टि करता है या प्रमाणित करता है;

(ई) पूर्वगामी में से किसी के अनुसार समय-समय पर निष्पादित किए गए सभी समझौते और अन्य दस्तावेज, जिसमें सुरक्षा दस्तावेजों और ऐसे नोटिसों की पावती के अनुसार दिए गए सभी नोटिस शामिल हैं;

"प्रतिभूति/प्रतिभूति ब्याज" का अर्थ होगा एक बंधक, प्रभार, भार, प्रतिज्ञा, हाइपोथिकेशन, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा असाइनमेंट या अन्य सुरक्षा हित जो ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य ग्रहणाधिकार, समझौते या व्यवस्था (किसी भी ट्रस्ट प्रतिधारण या एस्क्रो व्यवस्था सहित) के तहत उधारकर्ता और गारंटर के दायित्वों को सुरक्षित करता है। आरआर। "मुख्य तथ्य कथन/केएफएस" का अर्थ इस समझौते के साथ संलग्न प्रमुख तथ्य कथन होगा।

1.2. जब तक कोई विपरीत संकेत प्रकट न हो, इस अनुबंध में कोई भी संदर्भ:

अ. सभी बड़े अक्षरों में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन यहां विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उनके संबंधित अर्थ होंगे अनुसूची/प्रासंगिक अनुलग्नक;

आ. कोई भी अभिव्यक्ति जिसे यहां परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में परिभाषित किया गया है, उसमें ऐसी अभिव्यक्ति को सौंपा गया अर्थ या व्याख्या भी यहां एक ही अर्थ रखेगा;

इ. एक व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सरकार, राज्य या किसी राज्य की एजेंसी या कोई संघ, ट्रस्ट या साझेदारी (चाहे अलग कानूनी व्यक्तित्व हो या नहीं) शामिल है;

ई. एकवचन में बहुवचन (और इसके विपरीत) शामिल है;

उ. मर्दाना लिंग के संदर्भ में स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ शामिल हैं और इसके विपरीत।

ऊ. जब तक संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है या अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, उधारकर्ता के संदर्भ में सह-उधारकर्ता भी शामिल होगा;

ऋ. किसी भी घटना, घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, चूक, दावे, उल्लंघन, डिफॉल्ट या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता या तर्कसंगतता के बारे में बैंक और उधारकर्ता/गारंटर के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, पूर्वगामी में से किसी की भौतिकता या तर्कसंगतता के बारे में बैंक की राय अंतिम और उधारकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी होगी।

2. ऋण राशि

उधारकर्ता बैंक से उधार लेने के लिए सहमत होता है और बैंक उधारकर्ता को स्वीकृति पत्र और इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ऋण राशि ("ऋण राशि") के रूप में अनुसूची में निर्दिष्ट राशि प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

तीन. संवितरण

3.1. बैंक, इस करार के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जब तक उधारकर्ता, गारंटर और बैंक के बीच अन्यथा सहमति न हो, बैंक के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट को "केवल खाता आदाता" या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली के रूप में पार करके एक या अधिक किशतों में ऋण राशि का वितरण करेगा:

अ. संपत्ति के क्रय मूल्य के भुगतान के लिए बिल्टर/डेवलपर या विक्रेता या विक्रेता के नाम पर, जिससे संपत्ति के क्रय मूल्य का भुगतान किया जा सके। ऋण का उपयोग करके संपत्ति खरीदी जा रही है; या

आ. सामग्री आपूर्तिकर्ता, सिविल ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, जैसा कि उधारकर्ता/गारंटर द्वारा संपत्ति के निर्माण या सुधार या मरम्मत या विस्तार के लिए सामग्री, श्रम या व्यावसायिक लागत के लिए अधिसूचित किया गया है; या

इ. ऋण का उपयोग करके लिए जाने वाले पिछले ऋण की अदायगी के लिए पिछले फाइनेंसर के नाम पर; या

ई. बैंक के विवेक पर उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधक/गारंटर या किसी अन्य तीसरे पक्ष के नाम पर।

उपरोक्त (ए) से (डी) के संदर्भ में किए गए संवितरण को उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा। उधारकर्ता को बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार बैंक को संवितरण अनुरोध करना आवश्यक होगा। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.2. बैंक किसी भी समय, ऋण राशि का वितरण या आगे संवितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि बैंक के विवेकाधिकार में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है:

अ. उधारकर्ता और/या गारंटर ने बैंक द्वारा निर्धारित ऋण दस्तावेजों या ऐसे अन्य दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित किया होगा;

आ. उधारकर्ता ने संपत्ति के लिए उधारकर्ता/गारंटर के स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक के बैंक को संतुष्ट किया होगा;

इ. यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता/गारंटर ने संपत्ति के निर्माण की प्रगति के संबंध में बैंक द्वारा अनुमोदित वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत किया होगा।

ई. उधारकर्ता/गारंटर ने अपने नियोक्ता से रोजगार का प्रमाण पत्र और अपने वित्तीय विवरण बैंक को प्रस्तुत किए होंगे;

उ. उधारकर्ता और/या गारंटर ने बैंक को पुनर्भुगतान लिखत जमा कर दिया होगा; स्त्री-विषयक। डिफॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई होगी;

ग्राम। उधारकर्ता और/या गारंटर ने बैंक के पक्ष में बीमा पॉलिसी सौंपी होगी, जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकती है; h. कोई अन्य दस्तावेज या लेखन जैसा कि बैंक को अपने विवेकाधिकार में आवश्यकता हो सकती है।

3.3. इसके बावजूद, इसके विपरीत कुछ भी, उधारकर्ता/गारंटर एतद्वारा पुष्टि करता है कि संवितरण उस तारीख को किया गया माना जाएगा जिस दिन बैंक ऋण खाते को खंड 3.1 के संदर्भ में ऋण राशि के संवितरण के साथ-साथ लाभार्थी/प्राप्तकर्ता द्वारा इस तरह के संवितरण की प्राप्ति से संबंधित नहीं है।

3.4. उधारकर्ता/गारंटर इस बात से सहमत है और वचन देता है कि यदि उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि नहीं निकाली जाती है, तो बैंक ऋण के तहत ऋण राशि के किसी भी और संवितरण को रोकने और/या पूरी तरह से रद्द करने का हकदार होगा।

3.5. इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, उधारकर्ता/गारंटर बिना शर्त सहमत होता है, बैंक की बकाया अप्राप्त प्रतिबद्धता को बिना शर्त रद्द करने या उधारकर्ता की साख में गिरावट की स्थिति में बिना किसी कारण बताए ऋण के आगे के संवितरण को निलंबित या रद्द करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करता है और ऐसी स्थिति में, बैंक ऋण की किसी भी संवितरित राशि को वापस लेने का हकदार होगा। ब्याज, शुल्क, लागत, शुल्क और व्यय और इस समझौते के तहत देय अन्य सभी राशियां।

उपरोक्त खंड के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता/गारंटर की साख में गिरावट में बिना किसी सीमा के शामिल होंगे:

(अ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा डाउनग्रेड;

(आ) भारतीय रिजर्व बैंक की विलफुल डिफॉल्टर सूची में उधारकर्ता/गारंटर और/या इसके किसी भी निदेशक को शामिल करना;

(इ) उधारकर्ता/गारंटर की परिचालन क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बंद करना;

(ई) बैंक की प्रचलित नीति के अनुसार उधारकर्ता/गारंटर के कर पश्चात लाभ में कमी।

(उ) उधारकर्ता/गारंटर के सांविधिक लेखा परीक्षक की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी; तथा

(ऊ) समझौते और/या सुरक्षा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने में उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता/गारंटर की विफलता।

3.6. इसके विपरीत, इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए, बैंक किसी भी घटना या परिस्थिति में किसी भी कारण से ऋण राशि से अधिक किसी भी राशि का वितरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या यह नहीं माना जाएगा।

3.7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194आईए के तहत अचल संपत्ति की खरीद पर कर की कटौती और जमा करने का दायित्व, यदि लागू हो, उधारकर्ता के पास है और बैंक उधारकर्ता की ओर से इस तरह के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

चार. ब्याज/एपीआर/शुल्क/शुल्क/लागत आदि।

4.1. ब्याज और एपीआर

अ. उधारकर्ता समय-समय पर बकाया ऋण की मूल राशि पर बैंक को अनुसूची में उल्लिखित लागू ब्याज दर के बराबर दर पर ब्याज/एपीआर का भुगतान करेगा और इस तरह के भुगतान की गारंटी गारंटर द्वारा दी जाती है।

आ. उधारकर्ता बैंक के साथ इस बात की पुष्टि करता है कि फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, एमसीएलआर/ईबीएलआर में कोई परिवर्तन/रीसेट होने पर लागू ब्याज दर बदल जाएगी। उधारकर्ता और गारंटर को इस तरह के परिवर्तन की सूचना तब दी जाएगी जब भी बैंक द्वारा इसकी घोषणा/अधिसूचित/प्रदर्शित किया जाता है या अन्यथा ऐसा माना जाएगा। उपरोक्त के कारण लागू ब्याज दर में परिवर्तन इस तरह के रीसेट के बाद आने वाली ईएमआई भुगतान तिथि से प्रभावी हो जाएगा, और डिफॉल्ट रूप से ऋण अवधि को बदल देगा जब तक कि बैंक को ईएमआई में लागू ब्याज दर में इसे प्रभावी करने के लिए उधारकर्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं होता है। हालांकि, ईएमआई राशि में ऐसा बदलाव संभावित रूप से प्रभावी होगा।

इ. उधारकर्ता सहमत होता है और गारंटर स्वीकार करता है कि यदि चुनी गई ब्याज की लागू दर फ्लेक्सी योजना के तहत है, तो उधारकर्ता को दिया जाने वाला ब्याज शुरूआती 3 वर्षों के लिए तय किया जाएगा। निर्धारित अवधि की प्रारंभिक अवधि के पूरा होने के बाद, ब्याज दर को फ्लोटिंग ब्याज दर में बदल दिया जाएगा जो रीसेट की तारीख को प्रचलित सीमांत ऋण दर (एमसीएलआर)/बाहरी बेंचमार्क दर (ईबीआर) से जुड़ा होगा। इसके बावजूद, बैंक की आंतरिक नीतियों में परिवर्तन के कारण या मुद्रा बाजार की स्थितियों में अप्रत्याशित या असाधारण परिवर्तन होने या किसी भी लागू कानूनों या विनियमों में कोई परिवर्तन या किसी अन्य कारण से ब्याज की निश्चित दर को उपयुक्त और संभावित रूप से बदला जा सकता है। यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा संशोधित ब्याज दर से सहमत नहीं है, तो परिवर्तन की सूचना देने वाले बैंक से नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह व्यावसायिक दिनों के भीतर, उधारकर्ता बैंक से ऋण समाप्त करने का अनुरोध करेगा और ब्याज, लागत और ऐसी अन्य राशियों के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करेगा, जो बैंक को पूरी तरह से देय हो सकती हैं, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार पूर्व भुगतान।

ई. इस करार में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए ब्याज दर में परिवर्तन के अधीन होगा। उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि उसने कम बैलेंस दर पर ऋण पर ब्याज की गणना करने की बैंक की विधि को समझा और समझा है, और ईएमआई की गणना भी की है।

उ. ऋण पर ब्याज बैंक द्वारा संवितरण भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट जारी करके या अन्यथा बैंक के बिना लाभार्थी/प्राप्तकर्ता द्वारा इस तरह के संवितरण की प्राप्ति के साथ और इस तरह के भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति या इस तरह की वसूली में लगने वाले समय के साथ ऋण राशि के संवितरण के साथ-साथ अर्जित होना शुरू हो जाएगा।

ऊ. ऋण पर ब्याज की गणना की जाएगी और ऋण खाते में निम्नानुसार डेबिट किया जाएगा-

i. प्रत्येक कैलेंडर माह/तिमाही/छमाही/वर्ष के दिन जैसा कि अनुसूची में बताया गया है; एक वर्ष में 360 दिनों का आधार लेते हुए, जैसा भी लागू हो; iii.

अनुसूची में बताए गए एक महीने/तिमाही/छमाही/वर्ष की पिछली अवधि के अंतिम दिन बकाया राशि पर।

iv. संवितरण की तारीख से ईएमआई शुरू होने तक ब्याज अनुसूची में उल्लिखित पी-ईएमआई के अनुसार हर महीने देय होगा, यदि लागू हो।

ग्राम। उधारकर्ता जानता है और सहमत है, और गारंटर स्वीकार करता है कि ऋण दस्तावेजों के तहत बैंक के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के भुगतान में चूक करने की स्थिति में उधारकर्ता अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज पर ब्याज के अलावा ऐसे दंडात्मक प्रभारों का भुगतान करेगा, जब तक कि पूरी चूक की गई राशि बैंक की संतुष्टि के लिए चुकाई नहीं जाती, और यदि उधारकर्ता ऋण दस्तावेजों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उधारकर्ता और/या गारंटर डिफॉल्ट की तारीख से अनुसूची 2 में निर्दिष्ट ऐसे दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि इस तरह के डिफॉल्ट को उधारकर्ता द्वारा बैंक की संतुष्टि के लिए ठीक नहीं किया जाता है।

4.2. शुल्क/शुल्क/लागत

अ. उधारकर्ता ने बैंक द्वारा मांगे जाने पर प्रसंस्करण प्रभार, सेवा शुल्क, संवितरण प्रभार, संग्रह प्रभार, दंड (यदि कोई हो), पंजीकरण प्रभार, अन्य प्रभार/शुल्क/लागत आदि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जैसा कि अनुसूची या अनुलग्नक या स्वीकृति पत्र में उल्लिखित है या समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। उधारकर्ता और गारंटर समझते हैं और सहमत होते हैं कि पूर्वगामी प्रभार/शुल्क/लागतों को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और बैंक द्वारा पत्र या ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट (www.au.bank.in) या उसके संयोजन को अपडेट करके अधिसूचित किया जाएगा, जो उधारकर्ता और गारंटर को पर्याप्त नोटिस देगा। प्रोसेसिंग शुल्क, सेवा शुल्क और/या अन्य शुल्क/शुल्क/लागत गैर-वापसी योग्य होगी और बैंक को देय होगी, चाहे ऋण वापस लिया गया हो या नहीं।

आ. उधारकर्ता और गारंटर बैंक के साथ सहमत और अनुबंध करते हैं कि बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता और/या गारंटर को तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता कर सकता है (ए) ऋण दस्तावेजों पर लागू स्टॉप शुल्क और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर भी जो इन उपहारों के संबंध में या आनुषंगिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं; (ख) ऋणदाता के पक्ष में ऋण के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टॉप शुल्क में किसी भी कमी को पूरा करने की सभी लागतों को वहन करना; (ग) सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण जिनमें ऋण दस्तावेजों, ऋण, संपत्ति और/या सुरक्षा ब्याज के संबंध में कोई भी कर्तव्य, व्यय और अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं और (डी) इस समझौते और/या किसी भी सुरक्षा ब्याज के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य सभी शुल्क, लागत और व्यय (बैंक द्वारा किए गए या भुगतान किए गए सभी लागतों और खर्चों सहित), जिसमें संपत्ति के पुनर्कब्जे और/या बिक्री और/या सुरक्षा हित के प्रवर्तन और/या ऋण या उसके किसी भी हिस्से की वसूली के लिए खर्च किए गए शामिल हैं।

पूर्वगामी भुगतान करने में उधारकर्ता/गारंटर की विफलता के मामले में, बैंक इस करार के तहत उधारकर्ता/गारंटर द्वारा देय और देय ऐसी सभी राशि को ऋण खाते में डेबिट करने का हकदार होगा और यह उस ऋण का हिस्सा होगा जिस पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

इ. उधारकर्ता और गारंटर स्वीकार करता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि बैंक ऋण राशि से अग्रिम कटौती करने का हकदार होगा (संवितरण से पहले उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में), जैसा कि मंजूरी में विशेष रूप से उल्लिखित शुल्क है पत्र/केएफएस (केएफएस जैसा कि यहां संलग्न है) और/या ऋण राशि के संवितरण के समय ऋण से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज। बैंक उधारकर्ता की ओर से उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को शेष ऋण राशि का वितरण करेगा, जैसा भी मामला हो, और उधारकर्ता/गारंटर पूरी ऋण राशि को ब्याज के साथ और ऐसी तिथियों/अंतरालों पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

पाँच. चुकौती

5.1. इस करार के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और किसी भी अन्य शुल्क, प्रीमियम, शुल्क, कर लेवी या अन्य देय राशि के साथ ऋण राशि उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान तिथि को या उससे पहले बैंक को चुकाई योग्य होगी-

अ. शाखा में (या बैंक की किसी अन्य शाखा में या किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि बैंक द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) पुनर्भुगतान लिखत के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से जैसा कि बैंक समय-समय पर लिखित रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।

आ. मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अनुसूची में उल्लिखित ईएमआई के माध्यम से; तथा

इ. मूलधन अधिस्थगन अवधि के दौरान, पी-ईएमआई के अनुसार गणना की गई राशि के माध्यम से और अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार, ऐसे मामले में जहां ऋण का भुगतान ईएमआई शुरू होने से पहले या ईएमआई शुरू होने से पहले ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

पाँच. दो. प्रत्येक नियत तारीख पर इस समझौते के तहत ऋण/अन्य देय राशियों को चुकाने के लिए उधारकर्ता के दायित्व के संबंध में उधारकर्ता को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी।

पाँच. तीन. इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, उधारकर्ता और गारंटर इस बात से सहमत हैं कि बैंक को किसी भी समय या समय-समय पर ऋण या उसकी बकाया राशि की पुनर्भुगतान शर्तों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

पाँच. चार. उधारकर्ता इस समझौते के तहत ऋण और अन्य लागतों/प्रभारों पर ब्याज का भुगतान करने का वचन देता है और सहमत होता है, जो किसी भी कटौती से मुक्त है, चाहे वह कर के कारण हो या अन्यथा। यदि किसी भी समय किसी भी लागू कानून को भुगतान से किसी भी कटौती या रोक की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के भुगतान के संबंध में उधारकर्ता की देयता एक संशोधित राशि के लिए होगी जैसे कि इस तरह की कटौती या रोक करने के बाद, शुद्ध भुगतान उस राशि के बराबर होगा जो बैंक को प्राप्त हुई होगी, अगर ऐसी कोई कटौती या रोक नहीं की गई थी। उधारकर्ता किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में किए जा सकने वाले किसी भी दावे के लिए बैंक को हानिरहित और पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देगा और ऐसी किसी भी मांग का भुगतान करने का वचन देगा जिसका भुगतान बैंक करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को बैंक से मांगी गई और भुगतान की गई राशि के साथ ऋण खाते को डेबिट करने और/या उक्त कर राशि की वसूली के उद्देश्य से प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए अधिकृत करता है।

पाँच.पाँच. उधारकर्ता और गारंटर इस समझौते के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा विभिन्न लागतों और शुल्कों के लिए विभिन्न प्रमुखों के तहत देय राशियों पर सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं और इस बात से अवगत हैं कि उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों को बैंक द्वारा उन संबंधित लागतों और शुल्कों के लिए उधारकर्ता द्वारा निर्णायक भुगतान के रूप में माना जाएगा। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि बैंक को कोई राशि देय है जिसके लिए बैंक द्वारा गलती से ऋण पारित किया गया था, तो बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आदि के बावजूद, बैंक उधारकर्ता से ऐसी राशि का दावा करने का हकदार होगा और उधारकर्ता बैंक द्वारा इस आशय की मांग पर ऐसा भुगतान करेगा।

पाँच.छः. बैंक द्वारा लगाए गए सभी शुल्क/इस समझौते/अनुसूची 2 (प्रभारों की अनुसूची) में इंगित किए गए हैं, या जैसा भी मामला हो, स्वीकृति पत्र में दिए गए हैं, जिनमें प्रसंस्करण शुल्क, सेवा शुल्क, संचितरण शुल्क, संग्रह शुल्क, दंड (यदि कोई हो), पंजीकरण शुल्क, पुनर्भुगतान लिखत अवमानना प्रभार, स्वेप शुल्क और अन्य शुल्क/शुल्क/लागत आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो उन पर लागू हो सकते हैं, सभी करें और सांविधिक शुल्कों से अलग होंगे, इसमें वस्तु एवं सेवा कर और उपकर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और यह केवल बैंक द्वारा इसे लगाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने पर देय होगा, जो भेजे गए आवधिक खाता विवरणों या अलग-अलग सलाह या अन्य समान दस्तावेजों में परिलक्षित हो सकता है। ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता और/या गारंटर के किसी भी उल्लंघन या चूक पर बैंक को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक बैंक के ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को या तो ऋण दस्तावेजों के तहत या आम तौर पर किसी अन्य कानून के तहत लागू होने पर प्रभावित नहीं करेगी। इस समझौते के तहत प्रभार लगाने से संबंधित निर्दिष्ट घटना के संबंध में कोई भी छूट स्वीकृति बैंक के विवेकाधिकार पर होगी, चाहे उधारकर्ता और/या गारंटर को सूचित किया गया हो या नहीं। बैंक किसी भी निर्दिष्ट घटना के संबंध में समान शुल्कों की आगे की श्रेणी को जोड़ने या अपने विवेकाधिकार पर ऐसे किसी भी शुल्क की छूट सहित शुल्कों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उधारकर्ता और गारंटर पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि यह शुल्क की प्रकृति या सीमा में इस तरह के किसी भी संशोधन से बाध्य होगा, भले ही यह स्पष्ट रूप से प्रलेखित या सूचित नहीं किया गया हो, और इसे इस समझौते की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन माना जाएगा।

पाँच.सात. उधारकर्ता और गारंटर सहमत हैं, घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि, इस समझौते में निहित किसी भी नियम और शर्तों के बावजूद भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के विपरीत हैं, बैंक अपने पूर्ण विवेक पर, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी भुगतान या सुरक्षा ब्याज के प्रवर्तन द्वारा बैंक द्वारा वसूल की गई किसी भी राशि को उचित कर सकता है या अन्यथा, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय देय राशि और/या उधारकर्ता और/या गारंटर और बैंक के बीच किए गए अन्य समझौते और किसी भी तरीके से।

पाँच.आठ. पी-ईएमआई/ईएमआई आदि के भुगतान में विलंब/चूक।

इस समझौते के तहत देय किसी भी पी-ईएमआई (ओं)/ईएमआई (ओं) या अन्य धन के भुगतान में चूक या देरी की स्थिति में, इस तरह की चूक की गई राशि में संबंधित देय तिथियों से गणना की गई अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज पर दंडात्मक शुल्क और ब्याज लगेगा, जब तक कि पूरी चूक की गई राशि उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा चुकाई नहीं जाती है।

पाँच.नौ. चुकोती लिखत (पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/स्थायी निर्देश (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस)):

अ. इस समझौते के तहत देय ईएमआई या बकाया राशि या अन्य राशि के लिए उधारकर्ता द्वारा सभी भुगतान, यदि बैंक ऐसा निर्णय लेता है, तो पुनर्भुगतान लिखत के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। पीडीसी के मामले में, उधारकर्ता बैंक के साथ समय-समय पर निर्धारित पीडीसी की न्यूनतम संख्या प्रस्तुत करेगा और ऐसे पीडीसी को जमा करने को उधारकर्ता द्वारा बैंक को ईएमआई या बकाया राशि के भुगतान के लिए अपनी संबंधित तिथियों पर पीडीसी प्रस्तुत करने के लिए दिया गया एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय प्राधिकरण माना जाएगा। बैंक के पास ऐसे सभी लिखतों को भरने और अंतिम रूप देने का अधिकार होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि उधारकर्ता ईएमआई के पुनर्भुगतान के लिए ईसीएस/एनएसीएच अधिदेश के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देश प्रदान करता है और यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण या अन्यथा ऐसे पुनर्भुगतान लिखत संसाधित नहीं किए जाते हैं, तो बैंक को ऐसी ईएमआई के भुगतान में उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

आ. ऐसे पीडीसी को उधारकर्ता द्वारा पहले से प्राप्त पर्याप्त प्रतिफल के लिए दिया गया माना जाएगा और जब तक पीडीसी विधिवत प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उधारकर्ता को इसके तहत उक्त राशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

इ. यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि उधारकर्ता किसी भी समय पुनर्भुगतान लिखत की प्रस्तुति को रोकने या स्थगित करने के लिए बैंक को कोई संचार जारी नहीं करेगा और बैंक ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है और जो, यदि जारी किया जाता है, तो इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा।

ई. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि किसी भी पुनर्भुगतान लिखत के अनादर की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज में चूक होती है, बैंक अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज पर दंड प्रभार और ब्याज तब तक वसूलेगा जब तक कि ऐसी चूक की गई ईएमआई किस्त राशि/ब्याज का भुगतान बैंक की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है।

उ. उधारकर्ता इसमें किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसा करता है:

(१) पी-ईएमआई/ईएमआई या इस समझौते के तहत देय किसी अन्य राशि के भुगतान की तारीख;

(२) ब्याज, मूलधन या पी-ईएमआई/ईएमआई की राशि;

(३) उसकी संख्या; या

(४) संपत्ति का मूल्य, या

यदि बैंक द्वारा अन्यथा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता बैंक को नए पुनर्भुगतान लिखत की व्यवस्था करेगा जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

ऊ. बैंक उधारकर्ता से बाहरी संग्रह शुल्क का हकदार होगा और यदि ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता किसी भी पीडीसी को दूसरे के साथ बदलना चाहता है तो उधारकर्ता को पीडीसी स्वेप शुल्क का भुगतान करना होगा जैसा कि बैंक द्वारा प्रतिस्थापित प्रत्येक पीडीसी के लिए निर्धारित किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बैंक के विवेकाधिकार पर होगा कि वह या तो पीडीसी को प्रतिस्थापित करे या उसे अस्वीकार करे। इस तरह के शुल्कों में किसी भी बदलाव को बैंक द्वारा पत्र या ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट या उसके संयोजन को अपडेट करके अधिसूचित किया जाएगा, जो उधारकर्ता को पर्याप्त नोटिस का गठन करेगा।

ऊ. उधारकर्ता एतद्वारा वचन देता है कि उधारकर्ता उस खाते को बंद नहीं करेगा जिस पर पुनर्भुगतान लिखत जारी किया गया है और बैंक की पूर्व सहमति के बिना उक्त खाते में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/आईई को भी नहीं बदलेगा।

ल. इस करार में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी और उधारकर्ता द्वारा चुनी गई पुनर्भुगतान की विधि चाहे जो भी हो, इस करार के तहत देय किसी भी ईएमआई/पीईएमआई/किसी अन्य राशि के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक पर, बैंक ऋण दस्तावेजों या कानून के तहत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए पुनर्भुगतान लिखत को प्रस्तुत करने और/या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए।

ए. उधारकर्ता किसी भी समय ऋण के संबंध में बैंक को प्रदान किए गए पुनर्भुगतान लिखत के संबंध में उक्त पीडीसी या किसी अन्य दस्तावेज की किसी भी वापसी की मांग नहीं करेगा; ऋण के फोरक्लोजर के मामले में, ऐसे पीडीसी को बैंक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।

ऐ. जहां एक से अधिक उधारकर्ता हैं या जहां भुगतान दायित्व किसी भी गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं, यहां बताई गई किसी भी बात के बावजूद, ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता/गारंटर की देयता और इस समझौते और/या अन्य ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए संयुक्त और कई है और उधारकर्ता/गारंटर को मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता/गारंटर द्वारा खातों के निपटान द्वारा छुट्टी/जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऋण सभी एक साथ न हो बकाया देय राशि का भुगतान बैंक की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से किया जाता है और बैंक उधारकर्ता को लिखित रूप में प्रतिभूति के संबंध में विमोचन/रिलीज देता है।

5.10. ऋण का पूर्व भुगतान

उधारकर्ता के लिखित अनुरोध पर, बैंक बकाया राशि ("पूर्व-भुगतान") के पूर्व-भुगतान को स्वीकार करके ऋण के फौजदारी की अनुमति दे सकता है। बकाया देय राशि का पूर्व-भुगतान या तो पूर्ण-पूर्व भुगतान या आंशिक पूर्व भुगतान हो सकता है जैसा कि नीचे वर्णित है:

(क) पूर्ण पूर्व-भुगतान: उधारकर्ता के अनुरोध पर, बैंक बकाया राशि का पूरा पूर्व-भुगतान स्वीकार कर सकता है और यदि उधारकर्ता ने कम से कम एक ईएमआई का भुगतान किया है तो ऋण को फोरक्लोज़ कर सकता है।

(बी) भाग पूर्व-भुगतान: उधारकर्ता के अनुरोध पर, बैंक एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बार तक ऋण का आंशिक पूर्व-भुगतान स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऋण के तहत एक ईएमआई की न्यूनतम राशि का भुगतान करता है। दोनों पक्ष इस बात से भी सहमत हैं कि उधारकर्ता को ऋण का आंशिक रूप से पूर्व-भुगतान करने से पहले कम से कम एक ईएमआई का भुगतान करना चाहिए था। उधारकर्ता द्वारा किए गए प्री-पेमेंट के आधार पर, जैसा कि यहां बताया गया है, या तो लोन की अवधि को पार्ट प्री-पेमेंट की सीमा तक कम किया जाएगा या पार्टियों की आपसी लिखित सहमति से लोन अवधि को बनाए रखकर ईएमआई राशि कम की जाएगी।

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि कोई भी पूर्व-भुगतान पूर्व-भुगतान शुल्क के भुगतान के अधीन होगा जैसा कि इसमें बताया गया है अनुसूची और समय-समय पर यथा संशोधित। बैंक अनुसूची में उल्लिखित उधारकर्ता पूर्व-भुगतान प्रभारों से वसूली करने का हकदार होगा और ऋण राशि पर समय-समय पर यथा संशोधित किया गया है, जिसे उधारकर्ता द्वारा अनुसूची में उल्लिखित समय-सीमा से पहले चुकाया जाता है।

5.10 ए. विनियोग

इस समझौते की किसी अन्य अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को किए गए किसी भी भुगतान को बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा-

(ए) लागत, शुल्क और व्यय जो बैंक सुरक्षा को सेवा करने, लागू करने और बनाए रखने के लिए खर्च कर सकता है और इसलिए ऋण की वसूली कर सकता है, और इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय सभी लागत, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क और अन्य धन; (ख) अतिदेय ईएमआई/किस्त/राशि/ब्याज पर दंडात्मक प्रभार और ब्याज;

(इ) ब्याज दर पर बकाया राशि पर ब्याज;

(ई) बकाया ऋण की मूल राशि; तथा

(उ) ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई अन्य राशि/प्रभार।

5.11. बीमा

अ. उधारकर्ता और/या गारंटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण के लंबित रहने के दौरान, भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, तूफान, तूफान, चक्रवात, नागरिक हंगामा आदि जैसे सभी जोखिमों के खिलाफ संपत्ति का हमेशा विधिवत और उचित रूप से बीमा किया जाए और ऋणदाता को पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी बनाया जाए।

आ. उधारकर्ता पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी के रूप में ऋणदाता के साथ अपने लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा कवर का लाभ उठा सकता है।

5.12. बैंक द्वारा ऋण की वापसी:

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय, अपने विवेक से, उधारकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर ऋण वापस लेने का हकदार होगा। यह निर्दिष्ट किया जाता है कि इस समझौते की अनुसूची में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची ऋण को वापस लेने और संपूर्ण बकाया राशि के भुगतान की मांग करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। नोटिस की अवधि की समाप्ति पर, यदि कोई दिया गया है, तो बकाया बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत चुकाई जाएगी।

6. सुरक्षा/सुरक्षा हित:

उधारकर्ता यह वचन देता है कि:

(अ) ईएमआई और अन्य बकाया देय राशि का पुनर्भुगतान अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे प्रतिभूति ब्याज द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, और उधारकर्ता और गारंटर इस संबंध में बैंक की संतुष्टि के लिए सुरक्षा दस्तावेजों का निष्पादन और निष्पादन सुनिश्चित करेंगे;

(आ) बैंक का संपत्ति पर पहला और अनन्य प्रभार होगा। ऋण दस्तावेजों के तहत बनाए गए सुरक्षा ब्याज और उधारकर्ता और/या गारंटर की देयता को दिवालियापन, दिवालियापन या परिसमापन या समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी भी विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) द्वारा प्रभावित, बिगड़ा या डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा;

(इ) उधारकर्ता और गारंटर, बैंक के अनुरोध पर, ऐसे कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करेंगे, निष्पादित करेंगे और निष्पादित करेंगे, जिन्हें बैंक या तो इस समझौते के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा हित को पूरा करने के लिए या इस समझौते के इरादे को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे (संपत्ति से संबंधित शीर्षक विलेखों की मूल प्रतियां और/या प्रमाणित सच्ची प्रतियां शामिल हैं) और/या ऐसे अन्य दस्तावेज बैंक के पक्ष में प्रभार के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीका;

(ई) उधारकर्ता और/या गारंटर इस समझौते के तहत दायित्वों की निरंतरता के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ब्याज पैदा करने, या संपत्ति/सुरक्षा हित या उसके किसी भी हिस्से में सौदा करने, प्रभार, पट्टे, समर्पण, समनुदेशन, हस्तांतरण, प्रतिभूती, नवीकरण, लेट, आगे बोल या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ब्याज पैदा करने, स्थानांतरित करने, स्थानांतरित करने, या उसके किसी भी हिस्से के साथ सौदा नहीं करेगा।

(उ) उधारकर्ता और/या गारंटर, चूक की घटना की घटना पर, बैंक को संपत्ति/प्रतिभूति हित का कब्जा लेने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा। बैंक के अधिकारी या प्रतिनिधि किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना, सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी संधि द्वारा संपत्ति / सुरक्षा हित को बेचने, किराए पर देने, या अन्यथा सौदा करने के हकदार होंगे;

(ऊ) प्रतिभूति हित (सृजित या सृजित किया जाना) बैंक के लिए एक सतत प्रतिभूति बना रहेगा, जो उधारकर्ता और गारंटर पर बाध्यकारी होगा और उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा निर्वहन नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होगा और न ही किसी अन्य प्रतिभूति का अवमानना करेगा जो बैंक किसी भी समय बकाया राशि के संबंध में धारण कर सकता है, और बैंक के लिए तब तक उपलब्ध रहें जब तक कि बैंक और उधारकर्ता के बीच सभी खातों का अंततः निपटान न हो जाए;

(ऋ) उधारकर्ता और/या गारंटर, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो (i) आग, भूकंप, बाढ़ और किसी भी अप्रत्याशित घटना या ईश्वर के कार्य या अन्य नुकसान के कारण संपत्ति को होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा कंपनी के साथ संपत्ति का व्यापक रूप से बीमा और बीमा करेगा; (ii) उधारकर्ता की मृत्यु और चोट के जोखिम के विरुद्ध बीमा कवर प्राप्त करना, बैंक को एकमात्र लाभार्थी के रूप में रखना, और बैंक को मूल बीमा पॉलिसी दस्तावेज और उसकी प्रीमियम भुगतान

रसीदें प्रस्तुत करना। उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा इस खंड में निर्दिष्ट आवश्यक कार्य करने में विफल रहने पर, बैंक को उधारकर्ता और/या गारंटर की लागत पर, संपत्ति का बीमा करने या संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार होगा।

(ल) बैंक उधारकर्ता और/या गारंटर को बुलाने का हकदार होगा और उधारकर्ता और/या गारंटर बैंक को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऋण के तहत बकाया संपत्ति के बाजार मूल्य से अधिक होने की स्थिति में बैंक द्वारा तय किया गया है (जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है और यह अंतिम और बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता) या अन्यथा बैंक द्वारा आवश्यक है।

(ए) इस समझौते के तहत बकाया राशि के उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान की स्थिति में, लेकिन बैंक से उधारकर्ता या बैंक के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई बकाया होने पर, जिसके लिए उधारकर्ता ने अपनी गारंटी दी है, तो ऐसी स्थिति में, बैंक उस संपत्ति को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा जिस पर प्रतिभूति ब्याज बनाया गया है और उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को ऐसी बकाया वित्तीय सुविधा को कवर करने के लिए इस तरह के सुरक्षा ब्याज का विस्तार करने के लिए अधिकृत करता है।

7. उधारकर्ता के अनुबंध और उपक्रम:

बैंक को ऋण प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, उधारकर्ता, एतद्वारा बैंक के साथ अनुबंध/वचन देता है कि

एक. उधारकर्ता को कोई कंपनी या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी नहीं है, तो उधारकर्ता की संविधान, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व या नियंत्रण, शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं करेगा, या ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई समामेलन, विलय या समझौता नहीं करेगा।

दो. उधारकर्ता हर समय अनुपालन करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का बिल्टर या डेवलपर भी रेरा अधिनियम सहित प्रचलित कानून का अनुपालन करता है और किसी भी कानून/नियम/विनियमन के तहत उधारकर्ता से किसी भी सहमति का अनुरोध करने के लिए डेवलपर या संपत्ति के बिल्टर से किसी भी नोटिस और/या अनुरोध के बारे में ऋणदाता को तुरंत सूचित करेगा। जिसमें रेरा अधिनियम भी शामिल है।

तीन. ऋणदाता के पक्ष में और अनुसूची में उल्लिखित वैध प्रतिभूति हित के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसे अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना, प्रस्तुत करना और जारी करना।

चार. उधारकर्ता संपत्ति को किसी अन्य आसन्न संपत्ति के साथ समामेलित या विलय नहीं करेगा या संपत्ति पर कोई सुख-सुविधा अधिकार नहीं बनाएगा; 5. उधारकर्ता किसी के लिए जमानतदार नहीं होगा, या किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी नहीं देगा;

छः. उधारकर्ता रोजगार या व्यवसाय के लिए, या लंबे समय तक विदेश में रहने के लिए भारत नहीं छोड़ेगा या बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान किए बिना अपनी कर निवास स्थिति को नहीं बदलेगा;

सात. उधारकर्ता किसी भी तरह से संपत्ति के सौदे के लिए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी दस्तावेज को निष्पादित नहीं करेगा

आठ. उधारकर्ता रेरा अधिनियम के तहत संपत्ति के संबंध में बिल्टर और/या डेवलपर और/या किसी अन्य व्यक्ति को कोई सहमति प्रदान नहीं करेगा

नौ. उधारकर्ता संपत्ति के किसी भी मौखिक या अन्य विभाजन को प्रभावित नहीं करेगा या किसी भी पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा। संपत्ति;

दस. उधारकर्ता संपत्ति के उपयोग को नहीं बदलेगा;

ग्यारह. उधारकर्ता संपत्ति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा; तथा

बारह. ऋण का उपयोग: उधारकर्ता पूरे ऋण का उपयोग संपत्ति की खरीद और/या निर्माण के लिए, या इसके तहत अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए करेगा, न कि किसी भी सट्टा उद्देश्य के लिए, जो ऋण के लिए सुरक्षा होगी, जैसा कि आवेदन पत्र में दर्शाया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि ऋणदाता द्वारा न केवल आवासीय उपयोग के लिए संपत्ति के संबंध में ऋण दिया जाता है, बल्कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भी दिया जाता है और ऋण के लिए आवेदन करते समय ऐसा घोषित किया जाता है।

अ. ऋण/निर्माण: उधारकर्ता अनुबंध करता है कि वह अपने आवेदन पत्र में और स्वीकृत योजना के अनुसार या अन्यथा उसके द्वारा दर्शाए गए ऋण/निर्माण को पूरा करेगा और संबंधित नगर निगम या नगर पालिका या प्राधिकरण द्वारा जारी व्यवसाय का प्रमाण पत्र और ऋणदाता को प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा। उधारकर्ता आगे अनुबंध करता है कि यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी कि संपत्ति का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार है और उसमें निर्धारित सुरक्षा मानकों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को पूरा करता है, और उस क्षेत्र के लिए जोखिम और भेद्यता पैदा करने वाले सभी प्राकृतिक खतरों का सामना करने में सक्षम है जहां यह स्थित है।

आ. देरी के कारणों को सूचित करें: उधारकर्ता किसी भी घटना या परिस्थितियों को तुरंत सूचित करेगा जो संपत्ति के निर्माण/खरीद के शुरू होने या पूरा होने में देरी के कारण के रूप में काम कर सकती है।

इ. संपत्ति का रखरखाव: उधारकर्ता संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और ऋण के लंबित रहने के दौरान उसमें सभी आवश्यक परिवर्धन और सुधार करेगा और उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का मूल्य कम न हो। उधारकर्ता ऋणदाता के अनुरोध पर ऐसे कार्यों, कर्मों, मामलों और

चीजों को करेगा, निष्पादित करेगा और निष्पादित करेगा जिन्हें ऋणदाता या तो इस समझौते के लिए प्रदान की गई सुरक्षा को पूरा करने या पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

7.A. उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व और वारंटी

उधारकर्ता इसके द्वारा निम्नानुसार निरंतर आधार पर ऋणदाता का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है:

- अ) उधारकर्ता के पास इस समझौते में प्रवेश करने की क्षमता और अधिकार है ताकि ऋण का लाभ उठाया जा सके जिसका उपयोग केवल इस उद्देश्य के लिए किया जा सके;
- आ) उधारकर्ता/बंधक के पास संपत्ति के लिए पूर्ण स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है और यह कि संपत्ति पूरी तरह से भारमुक्त है और किसी भी देयता या किसी तीसरे पक्ष के हित से मुक्त है;
- इ) उधारकर्ता इस ऋण का लाभ उठाकर ऋण दस्तावेजों और/या उधारकर्ता द्वारा किसी भी पार्टी के साथ किए गए किसी भी अन्य समझौते के तहत किसी भी अनुबंध, शर्तों या शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा;
- ई) उधारकर्ता समझता है कि ऋणदाता अपने आंतरिक जोखिम ग्रेडिंग और मापदंडों के आधार पर और जोखिम समायोजित मार्जिन के अनुसार अपने विवेकाधिकार पर ऋण पर लागू ब्याज दर को बदलने का हकदार है, और उधारकर्ता घोषणा करता है कि

उधारकर्ता बदली हुई ब्याज दर से बाध्य होगा और तदनुसार ऋण चुकाएगा;

- उ) ऋण या ऋण दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई सभी जानकारी हर तरह से सत्य, पूर्ण और सटीक है और ऋण के उद्देश्य के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सभी प्रतियां सत्य, वास्तविक, पूर्ण और सटीक हैं। उधारकर्ता गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है;
- ऊ) आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है जो इस अधिनियम के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऋण;
- ऋ) उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति में कोई भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई घटना हुई है जो बैंक के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है जो इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता को भौतिक रूप से और/या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है;
- ल) उधारकर्ता/बंधककर्ता ने इस समझौते या सुरक्षा हित के साक्ष्य में निष्पादन, वितरण, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता या ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता/बंधक द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में सरकारी या सार्वजनिक निकायों या प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण या घोषणा के संबंध में सभी आवश्यक अनुमोदन, प्राधिकरण, सहमति या लाइसेंस, या पंजीकरण प्राप्त कर लिया है और समय-समय पर पूर्वागामी प्राप्त करेगा ऋणदाता द्वारा जब भी आवश्यकता हो या मांग की जाए।
- एँ) उधारकर्ता संपत्ति की आवासीय स्थिति को नहीं बदलेगा और संपत्ति को अच्छी स्थिति और रहने योग्य स्थिति में बनाए रखेगा और उसी के संबंध में देय सभी करों और अन्य कर्तव्यों का भी विधिवत भुगतान करेगा। उधारकर्ता पूर्वागामी के भुगतान के लिए बैंक के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा
- ऐ) उधारकर्ता ऋणदाता के पक्ष में सूचना/पावती / ग्रहणाधिकार / प्रभार या संबंधित उप पंजीयक कार्यालय और/या लागू कानूनों और ऋणदाता द्वारा आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण के साथ संपत्ति पर बनाए गए सुरक्षा हित के संबंध में ऐसे अन्य विवरण दर्ज करेगा।
- ए) ऋणदाता द्वारा जब भी ऋणदाता की आवश्यकता होगी, तो वह ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आयकर अधिकारियों के पास दायर कर रिटर्न की एक प्रति और अपने रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, पेशे या अन्यथा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी ऋणदाता को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है।
- ऐ) जहां भी लागू हो, उधारकर्ता ऋणदाता को अपने रोजगार में किसी भी संभावित परिवर्तन या उसकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित करेगा।
- ऑ) उधारकर्ता (एक से अधिक उधारकर्ता के मामले में) संयुक्त रूप से और अलग-अलग ऋण, ब्याज, दंड शुल्क, अतिदेय ईएमआई/किश्त/राशि/ब्याज, यदि कोई हो, और इस समझौते के तहत देय और देय अन्य सभी राशियों को चुकाने और इसके नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ओ) कानून की किसी अदालत या सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उधारकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ या संपत्ति के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है और न ही उधारकर्ता को नगरपालिका अधिनियम या स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या किसी अन्य प्रक्रिया के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस दिया गया है इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत;
- ओ) कोई बंधक, शुल्क, लिस पेंडेंस या ग्रहणाधिकार या अन्य भार या रास्ते के किसी भी अधिकार, या संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से पर अन्य सुख-सुविधाएं या समर्थन का अधिकार नहीं हैं;
- औ) उधारकर्ता संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाएगा (लाइसेंस या किरायेदारी के माध्यम से या गेस्ट हाउस या अन्यथा के रूप में उपयोग सहित)। संपत्ति सभी मामलों में बैंक के प्रभार के अधीन होगी;

- अं) संपत्ति केंद्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है या केंद्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगरपालिका समिति, ग्राम पंचायत, आदि की किसी भी योजना के तहत सड़क के किसी भी संरक्षण चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित नहीं है;
- अ:) उधारकर्ता बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए संपत्ति तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा;
- अअ) उधारकर्ता (जब संपत्ति अस्तित्व में है) या होगा (जब संपत्ति ऋण के प्रस्तावित उपयोग पर अस्तित्व में आएगी) पूरी तरह से जबाबदार बन ली गई है और संपत्ति के साथ है और पर्याप्त रूप से हकदार है और इस समझौते के कार्यकाल के दौरान संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर कोई भार पैदा नहीं करेगा। उधारकर्ता संपत्ति को किसी अन्य संपत्ति के साथ संयोजित, विलय, समामेलित या समेकित नहीं करेगा, जिसमें किसी भी तरह के अधिकार या संपत्ति में या उस पर आसानी होगी;
- आआ) उधारकर्ता ने सरकारी अधिकारियों को देय करें और राजस्व जैसी सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान किया है और वर्तमान में ऐसे करें और राजस्व का कोई बकाया नहीं है और बकाया और उधारकर्ता ऐसे भुगतान दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगा; (u) ऋण प्राप्त करने और संपत्ति और/या किसी अन्य संपत्ति पर सुरक्षा ब्याज बनाने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं या ऋणदाता द्वारा आवश्यक समय-सीमा के भीतर प्राप्त किए जाएंगे;
- ईई) उधारकर्ता उधार लेने, सुरक्षा दस्तावेज प्रदान करने, ऋण के संबंध में ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने का हकदार और सशक्त है और निष्पादन पर, वही उधारकर्ता पर कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व बनाएगा;
- उउ) इस समझौते के तहत उधारकर्ता का दायित्व निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और किए गए निजी और वाणिज्यिक कार्यों का गठन करेगा और उधारकर्ता इस समझौते के संबंध में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या कानूनी प्रक्रिया से अपने लिए या संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के लिए प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं होगा;
- ऊऊ) ऋणदाता को बताए गए के अलावा, उधारकर्ता ने किसी अन्य ऋणदाता से किसी भी अन्य ऋण, अग्रिम या किसी भी प्रकृति का ऋण नहीं लिया है और न ही किसी भी ऋणदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को दिए गए किसी भी प्रकार के ऋण, अग्रिम या ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है;
- ऋऋ) उधारकर्ता ने गारंटर को ऋण की शर्तों, इस समझौते और अन्य प्रासंगिक ऋण दस्तावेजों के बारे में बताया है।
बंधक;
- लल) उधारकर्ता स्वीकार करता है, समझता है और सहमत होता है कि उधारकर्ता का ऋण खाता नंबर (ऋणदाता के पास रखा जाता है) ऋणदाता की प्रणालियों में ऋण के रोल-ओवर/नवीनीकरण के अनुसार भिन्न और/या परिवर्तित हो सकता है और इसके लिए एक से अधिक ऋण खाता संख्या हो सकती है। उधारकर्ता आगे स्वीकार करता है, समझता है और सहमत होता है कि कभी-कभी ऋणदाता की प्रणाली में उधारकर्ता के विभिन्न ऋण खाता संख्याओं को भी समय-समय पर ऋण के रोलओवर/नवीनीकरण के अनुसार एक ऋण खाता संख्या में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, उधारकर्ता एतद्वारा स्वीकार करता है, समझता है और सहमत है कि ऋण खाता संख्या में इस तरह की भिन्नता या परिवर्तन ऋणदाता को प्रदान की गई सुरक्षा की प्राथमिकता को प्रभावित नहीं करेगा।
ऋण;
- एँएँ) उधारकर्ता स्वीकार करता है, समझता है और सहमत होता है कि ऋणदाता किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा या किसी भी तकनीकी या सिस्टम त्रुटियों या समान प्रकृति के अन्य मुद्दों के कारण ऋण के वितरण में कोई देरी होने की स्थिति में उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।
- एबी) जहां भी लागू हो, उधारकर्ता बैंक को निवासी/अनिवासी भारतीय के रूप में अपनी स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा। अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्यक्ति होने के मामले में, उधारकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का पालन करेगा और समय-समय पर संशोधित और भारत में अचल संपत्ति की खरीद, रखने, उपयोग करने, बेचने और भारत के बाहर आय को वापस भेजने के संबंध में अन्य सभी लागू कानूनों का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा और उस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा। एसी) संपत्ति के साथ-साथ प्रतिभूति के संबंध में भुगतान/देय स्वयं के अंशदान की राशि सहित सभी राशियां वैध स्रोत के माध्यम से होंगी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं है/नहीं होगी।
- (ad) उधारकर्ता एतद्वारा प्रमाणित करता है कि उसने इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 285BA के तहत लागू नियमों के अनुसार अपनी/अपनी स्थिति की घोषणा की है।
- ए) उधारकर्ता प्रमाणित करता है कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी उधारकर्ता के ज्ञान और विश्वास के अनुसार है, सही, सही और पूर्ण है और उधारकर्ता ने ऐसी कोई भी भौतिक जानकारी नहीं रोकी है जो रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में या अन्यथा खाते के मूल्यांकन/वर्गीकरण को प्रभावित कर सकती है।
- एएफ) उधारकर्ता परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैंक को प्रदान की गई जानकारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन की घोषणा और खुलासा करने की जिम्मेदारी लेता है।
- उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि उधारकर्ता को अभी या भविष्य में ज्ञात किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता, उधारकर्ता के आवेदन को अमान्य कर सकती है और बैंक ऋण खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी नियामक और/या इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार (जीओआई) /भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने या कोई अन्य कार्रवाई करने के अपने अधिकार के भीतर होगा बैंक द्वारा उचित समझा जा सकता है यदि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उधारकर्ता द्वारा कमी को दूर नहीं किया जाता है।

एएच) उधारकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं को शिक्षित करे और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए)/(सीआरएस) रिपोर्टिंग से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों का हर समय अनुपालन करे। ai) उधारकर्ता बैंक को कोई भी अन्य विवरण प्रस्तुत करने और सूचित करने के लिए सहमत है, जो उधारकर्ता को यहां विषय वस्तु में भारत या विदेश में कानून में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

aj) उधारकर्ता किसी भी घटना या परिस्थितियों के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करेगा जो संपत्ति के निर्माण/खरीद/संशोधन के शुरू, निर्माण या पूरा होने में देरी का कारण बन सकती है या बन सकती है।

ak) उधारकर्ता, यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो उधारकर्ता के स्वामित्व या प्रबंधन या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा, जिससे उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तरह से बदल जाएगा;

ए) उधारकर्ता, यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना विलय, समामेलन, समझौता या पुनर्निर्माण की किसी भी योजना में निर्णय नहीं लेगा या उसमें प्रवेश नहीं करेगा;

एएम) उधारकर्ता के मामले में, उधारकर्ता एक कंपनी होने के नाते, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के ज्ञापन और लेखों में कोई संशोधन नहीं करेगा; ए) उधारकर्ता के मामले में, उधारकर्ता एक कंपनी होने के नाते, किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेगा यदि मूलधन या ब्याज के लिए कोई किस्त उसकी नियत तारीख पर भुगतान नहीं की जाती है; एओ) उधारकर्ता के मामले में, यदि उधारकर्ता एक सीमित देयता भागीदारी है, तो बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना एलएलपी समझौते, फर्म के गठन, अपने भागीदारों/नामित भागीदारों की संरचना और उधारकर्ता के पंजीकृत कार्यालय में कोई बदलाव नहीं करेगा;

एपी) यदि उधारकर्ता एक सीमित देयता भागीदारी है, तो उधारकर्ता पुष्टि करता है कि बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 33(2) के प्रावधानों पर भरोसा करके उधारकर्ता को ऋण स्वीकृत किया है और इस स्थिति में कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को नोटिस दिए बिना एलएलपी समझौते में कोई संशोधन किया जाता है, बैंक उधारकर्ता और भागीदारों के दायित्वों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्रत्येक भागीदार के खिलाफ लागू करेगा।

aq) उधारकर्ता, यदि उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है, तो बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपने भागीदारों की संरचना को नहीं बदलेगा;

एआर) बैंक को बताई गई सीमा को छोड़कर: (i) किसी भी सहयोगी या समूह कंपनियों (यदि लागू हो) के साथ उधारकर्ता के सभी अनुबंध या समझौते, या उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता हथियारों की लंबाई के आधार पर है; (ii) (ए) जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, वह एक निदेशक या एक बैंकिंग कंपनी के निदेशक के निकट रिश्तेदार के निकट संबंध नहीं है; (ख) जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म/एचयूएफ/सीमित देयता भागीदारी फर्म है, एचयूएफ के कोई भी भागीदार या सदस्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक का निदेशक या निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है; और (ग) जहां उधारकर्ता एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, उसका कोई भी निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक का निदेशक या निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है; (iii) (ए) जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, वह बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के निकट संबंध में निर्दिष्ट नहीं है, (बी) जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म/एचयूएफ/सीमित देयता साझेदारी फर्म है, एचयूएफ के भागीदारों या सदस्यों में से कोई भी बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है, और (ग) जहां उधारकर्ता एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है, उसका कोई भी निदेशक बैंक के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है

जैसे) उधारकर्ता एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति/निदेशक/प्रमोटर की क्षमता में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जो एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति/निदेशक/भागीदार/सदस्य/किसी कंपनी का ट्रस्टी है/फर्म/व्यक्तियों का संघ/ट्रस्ट/प्रभारी व्यक्ति है और उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जैसा भी मामला हो, विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया। यदि ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति/निदेशक/भागीदार/सदस्य/ट्रस्ट/किसी कंपनी का ट्रस्टी पाया जाता है/फर्म/व्यक्तियों का संघ/ट्रस्ट/प्रभारी व्यक्ति और उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि मामले को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना जा सकता है, उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाएगा। न तो उधारकर्ता और न ही उसके प्रमोटर, निदेशक और भागीदार, सहयोगी, सहायक कंपनियां या सहयोगी कंपनियां या समूह कंपनियां डिफॉल्ट में हैं या डिफॉल्टरों की किसी भी सूची में शामिल हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते का उल्लंघन किया है, जिसने उधारकर्ता या किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण को ऋण या जमा या अग्रिम या गारंटी या अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान की हैं।

पर) उधारकर्ता, इस समझौते की अवधि के दौरान, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति की सुरक्षा पर किसी और ऋण या सुविधा का लाभ नहीं उठाएगा या प्राप्त नहीं करेगा।

au) उधारकर्ता ब्याज की दरों और इसकी गणना विधि, अन्य शुल्क, शुल्क और इस समझौते की शर्तों के अनुसार देय अन्य सभी राशियों को उचित मानता है और स्वीकार करता है और उधारकर्ता ने इस समझौते के तहत बनाई गई प्रत्येक शर्तों और वित्तीय निहितार्थों, देय राशियों और देनदारियों और दायित्वों के अर्थ को समझ लिया है।

अव) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बिल्टर, डेवलपर, प्रमोटर या संपत्ति के विक्रेता ("बिल्टर भुगतान") से किसी भी कारण से (ब्याज का भुगतान, उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए गए धन की पूर्ण या आंशिक वापसी या बिल्टर, डेवलपर, प्रमोटर या विक्रेता द्वारा किसी भी क्षतिपूर्ति सहित) जो उधारकर्ता के कारण है, ऐसे बिल्टर द्वारा भुगतान किया जाएगा, ऐसे बिल्टर द्वारा भुगतान किया जाएगा, बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए सीधे बैंक को संपत्ति के डेवलपर, प्रमोटर या विक्रेता। यदि उधारकर्ता को कोई बिल्टर भुगतान प्राप्त होता है, तो उधारकर्ता को तुरंत, और किसी भी स्थिति में उधारकर्ता द्वारा ऐसे किसी भी धन की प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर, बकाया राशि के पूर्व भुगतान के रूप में बैंक को बिल्टर भुगतान की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व भुगतान की न्यूनतम राशि और पूर्व भुगतान से पहले कम से कम एक ईएमआई का भुगतान करने की आवश्यकता इस खंड के अनुसार किए गए किसी भी पूर्व भुगतान पर लागू नहीं होती है। बैंक को बिल्टर भुगतान के भुगतान के साथ, उधारकर्ता बैंक को बिल्टर भुगतान के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें उधारकर्ता द्वारा धन प्राप्त करने की तारीख, प्राप्त राशि और धन के ऐसे भुगतान का कारण शामिल है।

7. बी बैंक का अधिकार

बैंक, ऋण के संबंध में:

- (अ) स्वीकृत ऋण राशि में वृद्धि या कमी के लिए उधारकर्ता के अनुरोध से सहमत होने के लिए, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो वह उचित समझे, एकमात्र और पूर्ण विवेक रखता है;
- (आ) ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय ईएमआई या बकाया राशि की पुनर्भुगतान शर्तों/पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन का एकमात्र अधिकार है और उधारकर्ता द्वारा अधिसूचित किए जाने पर बैंक को इस तरह की संशोधित अनुसूची के अनुसार बैंक को भविष्य के सभी पुनर्भुगतान करेगा। इस तरह के संशोधन या पुनर्निर्धारण का बैंक;
- (इ) इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार है (जिसमें ब्याज दर, दंड शुल्क, प्रसार, चक्रवृद्धि ब्याज दर की आवश्यकता, पूर्व भुगतान शुल्क (चाहे आंशिक पूर्व भुगतान या पूर्ण के लिए) के संशोधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, बिना कोई कारण बताए लिखित रूप में उधारकर्ता को नोटिस द्वारा पुनर्भुगतान के क्रेडिट को प्रभावित करने की विधि और उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि इस तरह के संशोधन ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू हो जाएंगे उधारकर्ता; (घ) उचित समय पर संपत्ति में प्रवेश करने, इसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है (निर्माण के चरण और खातों सहित) और उधारकर्ता द्वारा बनाए गए खातों और अन्य अभिलेखों की पुस्तकों का निरीक्षण करने का भी;
- (उ) संपत्ति का मूल्यांकन करने का अधिकार है, स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त विक्रेताओं के माध्यम से, बिना किसी सूचना के कर्जदार;
- (ऊ) उधारकर्ता की कीमत पर, संपत्ति का बीमा करने या संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के लिए कोई उपाय करने का अधिकार है;
- (ऋ) अपने पक्ष में या किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में संपत्ति पर सुरक्षा हित बनाने का अधिकार है;
- (ल) किसी भी समय किसी भी दस्तावेज की मूल प्रतियां मांगने या उसके सत्यापन की आवश्यकता करने का अधिकार है, जिसकी प्रतियां बैंक को प्राप्त हुई हैं। बैंक के कब्जे में ऐसी कोई भी प्रति केवल उधारकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी;
- (एँ) उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर, उधारकर्ता की बकाया राशि एकत्र करने और/या प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को संलग्न करने का अधिकार है, और ऐसे व्यक्ति को सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और उससे जुड़ी या उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार प्रदान कर सकता है, जैसा कि बैंक उचित समझे;
- (ऐ) ऋण के खिलाफ पुनर्वित्त प्राप्त करने का अधिकार है जैसा कि यह उचित समझ सकता है;
- (ए) अपने विवेकाधिकार में, बकाया बकाया राशि को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति ब्याज या अतिरिक्त प्रतिभूति ब्याज के निर्माण का तरीका, समय और स्थान, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, निर्णय लेने का अधिकार है और उधारकर्ता इस तरह के प्रतिभूति ब्याज या, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त सुरक्षा ब्याज बनाने के लिए बाध्य होगा, जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है। उधारकर्ता ऋण के लिए किसी भी बांड को निष्पादित करेगा और ऐसे सभी दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनाम, उपक्रम और समझौते जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं;
- उधारकर्ता एतद्वारा बिना शर्त सहमत होता है और स्वीकार करता है कि इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद इसके सभी अधिकार ऋण के संबंध में बैंक उस तारीख तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि उधारकर्ता और/या उसके किसी सहयोगी (बकाया देय राशि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) से बैंक या बैंक के समूह की किसी अन्य संस्था को देय सभी राशियां बैंक की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से चुकाई जाती हैं।

2. रिकॉर्ड और निरीक्षण

उधारकर्ता अच्छे व्यावसायिक व्यवहार और लागू कानूनों, सभी वैधानिक पुस्तकों, खातों की पुस्तकों, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक और उधारकर्ता के अन्य रिकॉर्ड के अनुसार रखेगा और विशेष रूप से, उधारकर्ता के संचालन और वित्तीय स्थितियों को दर्शाने वाले रिकॉर्ड बनाए रखेगा और ऐसे रिकॉर्ड बैंक और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे और उधारकर्ता यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो वे करेंगे, ऐसे अंतराल पर बैंक को प्रस्तुत करें कि बैंक उन सभी प्रविष्टियों की अनुसूची या प्रति का अनुरोध कर सकता है जो उक्त रजिस्ट्रारों में की गई होंगी। रजिस्टर में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि कौन सी संपत्ति बैंक या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को परिकल्पित/गिरवी रखी गई है/गिरवी रखी गई है या अन्यथा प्रभारित की गई है।

यदि उधारकर्ता के ऋण खाते को लागू कानून के अनुसार लाल-ध्वजांकित खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बैंक को उधारकर्ता की लागत और व्यय पर सीधे या एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक के माध्यम से ऑडिट या किसी अन्य प्रकार की जांच शुरू करने का अधिकार होगा।

उधारकर्ता इस तरह के ऑडिट या जांच के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सहमत है, जैसा भी मामला हो, जिसमें सभी प्रासंगिक पुस्तकों, रिकॉर्ड, दस्तावेजों, कर्मियों और प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है, लेकिन यह बैंक या उसके नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

यदि लेखापरीक्षा या जांच अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण उचित समय अवधि से अधिक देरी हो जाती है, तो बैंक को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और अपने स्वयं के आंतरिक मूल्यांकन और जांच के आधार पर उधारकर्ता के ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में निष्कर्ष निकालने का अधिकार होगा। ऐसा कोई भी निर्धारण उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा और इसके परिणामस्वरूप बैंक उधारकर्ता के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, साथ ही लागू कानून के अनुसार आवश्यक समझी जाने वाली उचित कानूनी कार्यवाहियों के साथ।

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, उधारकर्ता के ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में घोषित करने पर, बैंक लागू कानून के तहत और/या इस समझौते के तहत डिफॉल्ट की घटना के अनुसार उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

7C. गारंटर अनुबंध, प्रतिनिधित्व करता है और निम्नानुसार वारंट करता है:

गारंटर अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त, संयुक्त रूप से और अलग-अलग (जहां एक से अधिक गारंटर हैं), ऋणदाता को गारंटी और अनुबंध:

- (१) कि उधारकर्ता ऋणदाता को ऋणदाता को ब्याज की राशि, लागत, प्रभारों के साथ, जैसा कि ऋण पर लागू होता है और ऋणदाता के साथ निष्पादित स्वीकृति पत्र, केएफएस और ऋण समझौते में प्रदान किया जाता है, साथ ही ब्याज, दंड शुल्क और अतिदेय ईएमआई पर ब्याज/किश्त/राशि/ब्याज के साथ ऋण के संबंध में मासिक शेष के साथ भुगतान में चूक की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को स्वीकृत और इस समझौते के तहत देय सभी बकाया राशि।
- (२) ऋणदाता की किसी भी शाखा में ऋणदाता की किसी भी शाखा में ऋण की वसूली और परिसंपत्तियों के प्रवर्तन में किए गए ब्याज, लागत और शुल्क के साथ डिफॉल्ट राशि का भुगतान करना और/या ऋणदाता को ऋण के तहत सभी बकाया राशियों के भुगतान में किसी भी देरी और चूक के संबंध में क्षतिपूर्ति, बचत, बचाव और हानिरहित रखने के लिए सहमत होना संबंधित देय तिथि (तिथियां) और/या ब्याज, दंड प्रभार और अतिदेय ईएमआई पर ब्याज / किश्त / राशि / राशि / डिफॉल्ट राशि पर ब्याज के रूप में विशेष रूप से समझौते और केएफएस में उल्लेख किया गया है और/या सभी लागत, शुल्क, क्षति, हानि, दावों और व्यय जो किसी भी समय उधारकर्ता से ऋणदाता के कारण हो सकते हैं और/या जो ऋणदाता को भुगतान पड़ सकता है, ऋण के संबंध में उधारकर्ता की इस तरह की देरी और चूक (चूकियों) के परिणामस्वरूप बनाए रखना, वहन करना या नुकसान पहुंचाना होगा, भले ही उधारकर्ता के साथ कोई विवाद या मतभेद हो। गारंटर को उसकी देनदारियों से मुक्त नहीं किया जाएगा और इस समझौते के तहत दी गई गारंटी को इस समझौते के स्वीकृति पत्र/केएफएस की शर्तों में किए गए किसी भी बदलाव के कारण या ऋणदाता और उधारकर्ता की आपसी सहमति से ऋण के नवीनीकरण/विस्तार के कारण टालना, जारी या प्रभावित नहीं किया जाएगा।
- (३) उधारकर्ता के ऋण खाते में ऋण राशि का संवितरण उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी देने और इस समझौते में निर्धारित गारंटी के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए गारंटर की एक निहित सहमति होगी और यह गारंटरों पर वैध और बाध्यकारी होगा और इस समझौते के पक्ष में निष्पादित गारंटी के संबंध में गारंटर द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा। ऋणदाता।
- (४) इस समझौते के तहत गारंटर की देयता उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक है, और उन्हें इस समझौते के तहत ऋणदाता के पक्ष में किए गए सभी बकायाओं, दायित्वों, देनदारियों और जिम्मेदारियों के लिए ऋणदाता के लिए प्रमुख देनदार/बाध्यकारी के रूप में माना जाएगा। ऋणदाता से लिखित रूप में एक मांग एक निर्णायक सबूत और सबूत होगी कि उधारकर्ता ने चूक की है, और गारंटर मांग को चुनौती देने या यह तर्क देने का हकदार नहीं होगा कि उधारकर्ता द्वारा कोई चूक नहीं की गई है।
- (५) समझौते के तहत दी गई गारंटी एक सतत गारंटी होगी और इसे उधारकर्ता और/या गारंटर के भुगतान या परिसमापन से पूरी तरह या आंशिक रूप से संतुष्ट या समाप्त नहीं माना जाएगा।
- (६) इस समझौते के तहत गारंटी किसी भी परिस्थिति के कारण प्रभावित और/या डिस्चार्ज नहीं होगी, जिसमें दिवालियापन या दिवालियापन शामिल है और जिनके द्वारा उधारकर्ता और/या गारंटर का नाम या संविधान या चरित्र बदला जाता है/बदला जाता है या यदि उधारकर्ता और/या गारंटर या उसके उपक्रमों का प्रबंधन या प्रशासन केंद्र और/या राज्य सरकार/ कोई अन्य अधिनियम या कानून या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय या किसी भी कानून के तहत ऐसा करने के लिए सशक्त निकायों द्वारा। गारंटी को किसी भी तरह से निर्धारित नहीं किया जाएगा या पूर्वग्रह नहीं किया जाएगा यदि उधारकर्ता/गारंटर किसी अन्य कंपनी या कंपनी के साथ समामेलित या समामेलित है या यदि ऋणदाता किसी अन्य कंपनी या कंपनी के साथ समामेलित या अवशोषित है, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या कंपनी (जैसा भी मामला हो) के लिए और उसके द्वारा उपलब्ध होगा।
- (७) ऋण या ऋण के संबंध में या अन्यथा ऋण और/या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा मूल राशि/बकाया राशि या उधारकर्ता के खिलाफ प्राप्त किसी भी निर्णय, पुरस्कार या आदेश के संबंध में लिखित रूप में कोई भी प्रवेश या पावती गारंटर के लिए बाध्यकारी होगी, और गारंटर आगे सहमत है कि यदि उधारकर्ता पावती करता है या भुगतान करता है, उधारकर्ता को गारंटर के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा और उधारकर्ता को गारंटर की ओर से ऐसा भुगतान किया और/या दिया गया माना जाएगा और जो 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 18 और 19 के प्रयोजनों के लिए गारंटर पर बाध्यकारी होगा।

गारंटर आगे अनुबंधित करता है कि इस समझौते के तहत गारंटर की देयता न तो प्रभावित होगी और न ही कम होगी, न ही गारंटी का निर्वहन निम्नलिखित कारणों से किया जाएगा:

- (अ) ऋण राशि और/या समझौते के नियमों और शर्तों और/या किसी अन्य दस्तावेज में कोई भिन्नता, ब्याज दर में भिन्नता, किश्तों के पुनर्भुगतान की तारीख का विस्तार, यदि कोई हो, या ऋणदाता द्वारा दी गई किसी भी संपत्ति के साथ ऋणदाता का विभाजन, और/या किसी भी उपाय या प्रतिभूतियों को लागू करने या लागू करने से रोकने के लिए किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करना ऋणदाता को अपने विवेकाधिकार पर उपलब्ध है, बशर्ते कि इस तरह की किसी भी भिन्नता या संरचना या समझौते की स्थिति में, गारंटर की देयता, यहां निहित या उस समय लागू कानून के तहत कुछ भी होने के बावजूद, अर्जित माना जाएगा और गारंटर को उस तारीख या तारीखों को इसके तहत उत्तरदायी माना जाएगा जिस दिन उधारकर्ता देय राशि/राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा इस तरह की भिन्नता या संरचना या व्यवस्था के परिणामस्वरूप ऋण के तहत;
- (आ) ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किया गया कोई भी अनुबंध जिसके द्वारा उधारकर्ता को रिहा किया जाए;
- (इ) ऋणदाता गारंटर की पिछली सहमति के बिना उधारकर्ताओं पर मुकदमा करने या न करने के लिए समय या रियायत देने की देयता को अलग करना, निर्वहन करना, जारी करना, देयता को अलग करना या न करने का वादा करना;

(ई) ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच कोई विवाद;

(उ) उधारकर्ता या उसके एजेंटों, निदेशकों या अधिकारियों ने अपनी शक्तियों से अधिक या ऋणदाता के साथ व्यवस्था अधिकारातीत होने के कारण; (च) की मृत्यु गारंटर (व्यक्ति के मामले में);

(ऋ) किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण उधारकर्ता और/या गारंटर्स की अक्षमता, या

(ल) गारंटर के खिलाफ उसके वैवाहिक संबंध या उसके परिवार के विघटन के संबंध में शुरू की गई कोई भी कार्यवाही; या

(एँ) गारंटर की सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन की स्थिति में; या

(ऐ) समझौते के निष्पादन के बाद गारंटर्स के नाम में कोई भी परिवर्तन;

(ए) कोई अन्य कार्य या चूक जो गारंटर के दायित्व का निर्वहन या प्रभावित नहीं करता, यदि वह गारंटर के बजाय एक प्रमुख देनदार होता या कुछ भी किया या छोड़ा जाता था, जो लेकिन इस प्रावधान के लिए दोषमुक्त करने के लिए काम कर सकता है प्रतिभू; और/या

(ऐ) कोई अन्य कार्य, या चूक, जिस हद तक गारंटर ने समझौते के तहत और उसके अनुसार अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है, अन्यथा समझौते के तहत गारंटर के दायित्वों का कानूनी या न्यायसंगत निर्वहन हो सकता है।

गारंटर, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त, संयुक्त रूप से और अलग-अलग (जहां एक से अधिक गारंटर हैं) ऋणदाता का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

- (१) (यह एक निगम/एलएलपी होने के मामले में) यह एक निगम/एलएलपी है जिसे भारत के कानूनों के तहत विधिवत निगमित या गठित किया गया है और मौजूदा है, जिसके पास इस समझौते में प्रवेश करने की शक्ति है और प्रत्येक दस्तावेज जिसमें यह एक पक्ष है या होगा; तथा
- (२) सभी कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाईयां/अनुमोदन विधिवत किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति द्वारा इस समझौते के गारंटर द्वारा निष्पादन को अधिकृत करने के लिए और प्रत्येक संपार्श्विक दस्तावेज के गारंटर द्वारा किए जाने वाले दायित्वों के गारंटर द्वारा किए जाने और प्रत्येक संपार्श्विक दस्तावेज के तहत किए जाने की आवश्यकता है।
- (३) न तो इस समझौते का निष्पादन और वितरण और न ही समझौते के तहत अपने दायित्वों के गारंटर्स द्वारा प्रदर्शन संघर्ष करता है या किसी भी नियम, शर्तों या प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के साथ संघर्ष करेगा या इसके परिणामस्वरूप किसी भी नियम, शर्तों या प्रावधानों का उल्लंघन होगा, या उल्लंघन होगा या डिफॉल्ट का गठन करेगा या समझौते के तहत किसी भी सहमति की आवश्यकता होगी, कोई समझौता या अन्य साधन या व्यवस्था जिसके लिए वे एक पक्ष हैं या जिसके द्वारा वे बाध्य हैं या किसी का उल्लंघन करते हैं संवैधानिक दस्तावेजों या किसी भी प्राधिकरण, निर्णय, डिक्री या आदेश या गारंटर्स पर लागू किसी भी कानून, नियम या विनियमन की शर्तों या प्रावधान;
- (४) (यह एक समाज होने के मामले में) यह एक ऐसी सोसायटी है जिसे विधिवत निगमित या गठित किया गया है और भारत के कानूनों के तहत मौजूदा है, जिसके पास इस समझौते में प्रवेश करने की शक्ति है और प्रत्येक दस्तावेज जिसमें यह एक पक्ष है या होगा; और (v) गारंटर इस बात की पुष्टि करता है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक या किसी ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्ट घोषित नहीं किया गया है।
- (६) गारंटर, उस समय लागू कानून के तहत निहित किसी भी चीज और किसी अन्य दस्तावेज के बावजूद, उधारकर्ता के साथ ऋणदाता के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और इसके द्वारा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 131, 133, 134, 135, 139, 140 और 141 के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों को माफ कर देंगे और प्रतिभूति के रूप में ऋणदाता द्वारा धारित परिसंपत्तियों के उपस्थापन के लाभ के हकदार नहीं होंगे ऋण के लिए जब तक ऋणदाता को देय सभी संपूर्ण बकाया राशि ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती है।
- (७) गारंटर, एतद्वारा किसी भी अधिकार को माफ कर देता है जो गारंटर के पास पहले ऋणदाता (या किसी भी ट्रस्टी, एजेंट, रिसीवर या ऋणदाता की ओर से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति) की आवश्यकता हो सकती है, और ऋणदाता को किसी भी समय इसकी आवश्यकता नहीं होगी: (ए) उधारकर्ता को कोई नोटिस देना, मांग करना, या उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करना; (बी) इस समझौते के तहत गारंटर के खिलाफ दावा करने या कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, किसी भी अन्य अधिकार या सुरक्षा को लागू करने या किसी भी व्यक्ति से भुगतान की मांग या दावा करने से पहले, एक निर्णय प्राप्त करना, उधारकर्ता के समापन या विघटन में एक सबूत दर्ज करना, किसी भी अन्य अधिकार या सुरक्षा को लागू करना या किसी भी व्यक्ति से भुगतान की मांग या दावा करना।
- (८) न तो गारंटर और न ही उनकी संपत्ति को इस समझौते के तहत संपत्ति या उनके दायित्वों के संबंध में सेट, सूट या निष्पादन से प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त है;
- (९) ऋणदाता को प्रदान किए गए गारंटर्स से संबंधित सभी जानकारी सत्य और सटीक हैं और इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो किसी भी भौतिक संबंध में भ्रामक है और न ही यह किसी भी जानकारी को छोड़ता है जिसकी चूक किसी भी भौतिक संबंध में इसमें निहित जानकारी को भ्रामक बनाती है;

- (१०) वर्तमान अवधि के लिए गारंटर्स के समेकित और असमेकित वित्तीय विवरण/नेटवर्थ प्रमाणपत्र:
- अ) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिस तारीख तक उन्हें तैयार किया गया था और उनके व्यवसाय के संचालन के परिणाम, उस अवधि के दौरान समाप्त हो गया था;
- आ) उनकी सभी देनदारियों (आकस्मिक या अन्यथा), और ऐसी देनदारियों और उनके द्वारा दर्ज की गई प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न होने वाली सभी अवास्तविक या प्रत्याशित देनदारियों और नुकसानों के लिए उनकी सभी देनदारियों (चाहे ऐसी प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया गया हो या नहीं) ऐसी वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है या नहीं);
- (११) कानून द्वारा दाखिल किए जाने वाले सभी कर रिटर्न और रिपोर्ट विधिवत दायर किए गए हैं और गारंटर्स, या उनकी संपत्ति, आय या संपत्ति, जो देय और देय हैं, पर सभी करों, दायित्वों, शुल्कों और अन्य सरकारी शुल्कों का भुगतान किया गया है;
- (१२) गारंटर किसी भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या प्रशासनिक कार्यवाही में शामिल नहीं हैं और न ही धमकी दी जाती है, जिसका परिणाम, यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित किया जाता है, तो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को स्वीकृत / स्वीकृत किए जाने वाले ऋण पर यथोचित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है;
- (१३) गारंटर्स के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, उचित जांच के बाद, गारंटर्स द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई भौतिक सामाजिक या पर्यावरणीय जोखिम या मुद्दे नहीं हैं और वे अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में किसी भी प्राधिकरण के किसी भी कानून या विनियमन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और कोई निर्णय या आदेश जारी नहीं किया गया है जो यथोचित रूप से भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डालने की उम्मीद कर सकता है या हो सकता है ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को स्वीकृत/स्वीकृत किया जाने वाला ऋण;
- (१४) गारंटर्स को न तो प्राप्त हुआ है और न ही उन्हें (i) किसी भी प्राधिकरण से कोई मौजूदा या धमकी दी गई शिकायत, आदेश, निर्देश, दावा, उद्धरण या नोटिस या (ii) किसी भी व्यक्ति से कोई सामग्री लिखित संचार, किसी भी मामले में, उधारकर्ता के संचालन की विफलता के संबंध में, जो उधारकर्ता के संचालन का पालन करने में विफलता है, या उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है, उधारकर्ता के संचालन पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या कोई भौतिक प्रभाव;
- (१५) गारंटर्स को आरबीआई की निर्यातक की चेतावनी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है या आरबीआई, ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी या किसी भी सूचना उपयोगिता (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा अनुरक्षित या परिचालित डिफॉल्टर्स (विलफुल डिफॉल्टर्स सहित) की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गारंटर किसी भी जांच, प्रवर्तन या नियामक एजेंसी या निकाय द्वारा जांच के अधीन नहीं हैं;
- (१६) गारंटर्स द्वारा किसी अन्य ऋणदाता या वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी भी ऋण (ऋण की किस्तों के पुनर्भुगतान में चूक या ऐसे ऋण की शर्तों के अनुसार उस पर ब्याज के भुगतान सहित) के तहत कोई चूक नहीं हो रही है;
- (१७) गारंटर ऋण को सुरक्षित करने के लिए जारी की गई गारंटी के लिए उधारकर्ता से कोई कमीशन नहीं लेगा;
- (१८) उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, गारंटर इस समझौते के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों और अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक दायित्व के अधीन होगा क्योंकि ऋणदाता आवश्यक समझता है जिसमें ऋणदाता को ऋण के तहत पूरे बकाया का बिना शर्त पुनर्भुगतान शामिल है।
- (१९) गारंटर, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता को किसी भी नवीनीकरण/वृद्धि से इनकार करने या नई ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जब तक:
- अ) गारंटर या उसके निदेशक या भागीदार का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में दिखाई देता है और इसके बोर्ड में या फर्म के साथ जारी रहता है; और/या
- आ) उधारकर्ता, या उसके निदेशक या भागीदार का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में दिखाई देता है और इसके बोर्ड में या फर्म के साथ जारी रहता है।
- (२०) जब तक ऋण के संबंध में समझौते के तहत सभी गारंटर्स के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है और जब तक ऋणदाता अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक गारंटर इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के कारण नहीं होंगे:
- अ) सबरोगेशन, योगदान, क्षतिपूर्ति, सेट-ऑफ या प्रतिदावा या किसी भी समान अधिकारों के किसी भी अधिकार का प्रयोग करें उधारकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, या
- आ) उधारकर्ता के दिवालियापन या समापन में ऋणदाता के लिए प्रतिस्पर्धा में साबित करें; या
- इ) ऋणदाता के साथ प्रतिस्पर्धा में उधारकर्ता या उसकी संपत्ति के लेनदार के रूप में दावा करना, रैंक करना, साबित करना या वोट करना।

7D. ऋण का प्रमाण

उधारकर्ता और गारंटर, संयुक्त रूप से और अलग-अलग सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि:

- एक. बैंक इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि, बीमा, लागत, शुल्क और खर्चों को बैंक द्वारा खर्च की जा रही राशि के पर्याप्त प्रमाण के रूप में खाता है।
- दो. बैंक अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार, अपनी पुस्तकों में समय-समय पर अपने स्वामित्व वाली राशि का प्रमाण देने वाले खातों को बनाए रखेगा। बैंक के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र जिसमें किसी विशेष समय पर देय राशि का उल्लेख किया गया हो, उधारकर्ता और गारंटर दोनों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

तीन. हाइपोथेकेटेड एसेट की बिक्री, प्राप्ति और वसूली के बैंक खाते प्राप्त राशि और संबंधित खर्चों के पर्याप्त प्रमाण के रूप में।

चार. इस समझौते से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही या कार्यवाही, उपरोक्त खंडों के अनुसार बनाए गए खातों में की गई प्रविष्टियां बैंक द्वारा खर्च की जा रही राशि के पर्याप्त प्रमाण के रूप में खर्चों का प्रथम दृष्टया प्रमाण होंगी।

पाँच. यदि उधारकर्ता पावती देता है या भुगतान करता है, तो उधारकर्ता को गारंटर के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा और उधारकर्ता को गारंटर की ओर से ऐसी पावती / या भुगतान दिया गया माना जाएगा और जो 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 18 और 19 के प्रयोजनों के लिए गारंटर पर बाध्यकारी होगा।

आठ. डिफॉल्ट की घटनाएं और उसके परिणाम

8.1. उधारकर्ता और/या गारंटर को डिफॉल्ट का कार्य करने वाला माना जाएगा यदि उधारकर्ता इस अनुबंध में उल्लिखित अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है और निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं (प्रत्येक डिफॉल्ट की घटना) और सामूहिक रूप से "डिफॉल्ट की घटनाएं" और परिणामस्वरूप बैंक उधारकर्ता और/या गारंटर को लिखित नोटिस द्वारा कर सकता है, ऋण के तहत बकाया सभी राशियों (मूलधन, ब्याज, दंड प्रभार, अतिदेय ईएमआई / किश्त / राशि// ब्याज / ब्याज पर ब्याज सहित) को तुरंत देय और देय घोषित करें और प्रतिभूति ब्याज को लागू करें:

a: उधारकर्ता नियत तारीख को या उससे पहले बैंक को इस समझौते के तहत किसी भी ईएमआई/या बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, या उधारकर्ता और/या गारंटर इस समझौते और/या ऋण दस्तावेजों में निहित शर्तों के अनुबंधों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है; (ख) यदि उधारकर्ता बैंक को पुनर्भुगतान लिखित या उसकी अपेक्षित संख्या प्रदान करने या जमा करने में विफल रहता है, या यदि कोई पुनर्भुगतान लिखित अनादर हो जाता है; (ग) संपत्ति के निर्माण/खरीद/संशोधन के प्रारंभ, निर्माण या पूरा होने में देरी;

ई उधारकर्ता बैंक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देय और देय होने पर किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या बैंक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ऋण या बकाया या देयता के पुनर्भुगतान की मांग करता है, जैसा कि ऐसे व्यक्ति और उधारकर्ता के बीच पहले सहमति हुई थी;

उ उधारकर्ता और/या कोई गारंटर और/या सुरक्षा प्रदाता इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में चूक करता है या इस समझौते के किसी भी नियम या शर्तों या बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी अन्य सुरक्षा दस्तावेज, उपक्रम आदि का उल्लंघन करता है;

(ऊ) मृत्यु, दिवालियापन, व्यवसाय में विफलता, दिवालियापन के कार्य का कमीशन, समापन के लिए आदेश, विघटन (साझेदारी फर्मों के मामले में), लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य असाइनमेंट, यदि उधारकर्ता किसी भी लेनदार और/या उधारकर्ता को ऐसा करने की धमकी देता है और/या दिवालियापन/समापन / विघटन में किसी भी याचिका को दायर करना, या उधारकर्ता और/या गारंटर के खिलाफ;

(ऊ) कोई भी अभ्यावेदन, वारंटी आदि यहां गलत या असत्य पाया जा रहा है या हो रहा है;

(ल) यदि उधारकर्ता और/या गारंटर यहां दिए गए प्रतिभूति हित को बनाने में विफल रहता है या यदि संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है, बेचा जाता है, निपटाया जाता है, चार्ज किया जाता है, भारित किया जाता है, अलग किया जाता है, कुर्क किया जाता है या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, या यदि संपत्ति का मूल्य या कोई सुरक्षा हित उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बनाया या निविदा किया गया है, तो बैंक के विवेकाधिकार और निर्णय में, बैंक को आगे की सुरक्षा के लिए कॉल करने के लिए पात्र बनाता है और उधारकर्ता और/या गारंटर अतिरिक्त सुरक्षा देने में विफल रहता है;

(ए) यदि इस समझौते के साक्ष्य में निष्पादन, वितरण, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता के संबंध में उधारकर्ता द्वारा आवश्यक सरकारी या सार्वजनिक निकायों या प्राधिकरणों के साथ कोई सहमति, प्राधिकरण, अनुमोदन या लाइसेंस, या पंजीकरण या घोषणा या इसके तहत अपने दायित्वों के उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा किए गए प्रदर्शन को बैंक के लिए अस्वीकार्य तरीके से संशोधित किया गया है या प्रदान नहीं किया गया है या रद्द नहीं किया गया है या समाप्त नहीं किया गया है या समाप्त हो गया है और नहीं है और नहीं है नवीनीकृत या अन्यथा पूर्ण बल और प्रभाव में रहना बंद हो जाता है;

(ऐ) उधारकर्ता द्वारा बैंक या किसी अन्य बैंक और/या वित्तीय संस्थान के साथ किए गए किसी भी ऋण सुविधा समझौते या व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई भी डिफॉल्ट, इस समझौते के तहत डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगा और इसके विपरीत। तदनुसार, किसी अन्य ऋण सुविधा समझौते के तहत उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान की गई सुरक्षा इस समझौते के तहत डिफॉल्ट की घटना होने पर बैंक को उपलब्ध होगी और इसके विपरीत;

(ए) डिफॉल्ट की एक घटना चाहे जो भी वर्णित हो, बैंक या अन्य उधारदाताओं के साथ उधारकर्ता की किसी भी ऋणग्रस्तता से संबंधित किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत होती है, यदि कोई हो;

(ऐ) इस समझौते के तहत भुगतान करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता पर भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना वाली कोई अन्य घटना;

(ऑ) जहां कोई व्यक्ति उधारकर्ता होने के नाते, सेवानिवृत्ति की आयु से पहले इस्तीफा देने या रोजगार से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है या किसी भी कारण से ऐसी तारीख से पहले छुट्टी दे दी जाती है या सेवा से हटा दिया जाता है;

- (ओ) उधारकर्ता और/या बिल्डर और/या डेवलपर की रेरा अधिनियम सहित कानून के प्रावधानों का पालन करने में विफलता;
- (ओ) उधारकर्ता या गारंटर किसी भी लेनदार को भुगतान निलंबित कर देता है या ऐसा करने की धमकी देता है, अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता को स्वीकार करता है या कोई दिवालियापन या दिवालियापन याचिका उधारकर्ता या गारंटर या बंधक द्वारा या उसके खिलाफ दायर की जाती है या कोई आवेदन दिवालियापन के तहत शुरू किया जाता है और दिवालियापन संहिता 2016;
- (औ) उधारकर्ता एक व्यक्ति होने के नाते तलाक हो जाता है;
- (अं) उधारकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों को आंशिक रूप से या पूरे रूप से किसी भी व्यक्ति को सौंपता है;
- (अः) ऋणदाता, किसी भी नियामक या अन्य कारणों से, ऋण जारी रखने में असमर्थ या अनिच्छुक है;
- (अअ) ऋण के संवितरण के बाद ऋणदाता को प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज, ऋण के संवितरण के 60 (साठ) दिनों के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर ऋणदाता को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार में सहमति व्यक्त की जा सकती है;
- (आआ) यदि ऋण का उपयोग आवेदन पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है;
- (इइ) उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा सहमत है कि ऊपर उल्लिखित डिफॉल्ट की किसी भी घटना की घटना को उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा ऋणदाता से प्राप्त किए जा रहे किसी अन्य ऋण के तहत डिफॉल्ट की घटना के रूप में भी माना जाएगा, और ऋणदाता एतद्वारा उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बनाए रखने और / या सेट ऑफ करने के लिए अधिकृत किया जाता है, ऋणदाता और/या गारंटर की किसी भी संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्राप्त करना और/या बेचना और/या अन्यथा और ऋण पर कोई ब्याज, दंडात्मक शुल्क, अतिदेय ईएमआई/किश्त/राशि/ब्याज पर ब्याज और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय अन्य शुल्क सहित ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उसकी आय को समायोजित करना।

8.2. डिफॉल्ट की घटना के परिणाम:

उपरोक्त खंड 8.1 में उल्लिखित चूक की स्थिति में बैंक को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

- (१) पूरे ऋण को रद्द करना/वापस लेना और इस समझौते के तहत बकाया सभी धन को देय और तुरंत देय घोषित करना;
- (२) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता के ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करें, जिसे विशेष रूप से अनुलग्नक ए में समझाया गया है;
- (३) इस प्रकार बनाए गए सुरक्षा हित को अपने आप से या किसी भी वसूली एजेंट या वकील के माध्यम से बैंक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और इसे अलग-थलग करना, बेचना, स्थानांतरित करना चाहिए;
- (४) कोई अन्य कार्रवाई करें जैसा कि वह अपने बकाया की वसूली और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त समझ सकता है;
- (५) बैंक संपत्ति का कब्जा लेने का हकदार होगा, भले ही बैंक की राय में जब भी ऋण वापस लिया गया हो, किसी भी धन का भुगतान नहीं किए जाने या सुरक्षा ब्याज खतरे में पड़ने की आशंका हो; इस करार के तहत बैंक के अधिकारों और उपायों के अलावा, बैंक अपरिवर्तनीय रूप से हकदार होगा और उधारकर्ता के नियोक्ता से नियोक्ता द्वारा उधारकर्ता को देय वेतन/मजदूरी से कटौती करने और इस समझौते के तहत उधारकर्ता की संपूर्ण बकाया राशि पूरी तरह से निर्वहन होने तक बैंक को भेजने के लिए अधिकृत और प्राधिकृत होगा। उधारकर्ता इस समझौते के तहत बकाया राशि की संतुष्टि के लिए, नियोक्ता द्वारा बैंक को इस तरह की कटौतियों और उसके प्रेषण पर कोई आपत्ति नहीं उठाने का वचन देता है और सहमत नहीं है;
- (६) ऋण सहित बकाया राशि के पुनर्भुगतान में तेजी लाना;
- (७) ऋण को मांग पर रखें या ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा देय सभी बकाया राशि को देय और तुरंत देय घोषित करें;
- (८) अतिदेय ईएमआई/किश्त/राशि/ब्याज और किसी भी अन्य लागू शुल्क पर लागू दंड शुल्क और/या ब्याज;
- (९) अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता और/या गारंटर (विलफुल डिफॉल्टर सहित) का नाम, पता, फोटोग्राफ, सुरक्षा विवरण और ऐसी अन्य जानकारी प्रकाशित करें, जैसा कि ऋणदाता उचित समझता है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में, और इस तरह के प्रकाशन में इस तरह के डिफॉल्ट का तथ्य भी शामिल होगा; और उधारकर्ता और गारंटर इस बात से सहमत हैं कि ऋणदाता ऐसी जानकारी के प्रकाशन के कारण उधारकर्ता और/या गारंटर को होने वाले किसी भी नुकसान और/या क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है, चाहे वह मौद्रिक हो या अन्यथा;

(१०) डिफॉल्ट की घटना और जारी रहने पर, ऋणदाता और/या ऋणदाता के समूह की किसी भी कंपनी को किसी भी समय, उधारकर्ता और/या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रस्तुति, मांग, विरोध या अन्य नोटिस के बिना, इस तरह के किसी भी नोटिस को स्पष्ट रूप से माफ कर दिया जाता है, सेट ऑफ करने के लिए और ऋणदाता द्वारा झूठ बोले गए या जमा किए गए या रखे गए किसी भी और सभी धन को उचित और लागू करने के लिए और/या किसी भी ऋणदाता समूह की कंपनियों। उधारकर्ता सहमत है, घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या किसी अन्य लागू भारतीय कानून के किसी भी प्रावधान, या इस समझौते में निहित इसके विपरीत किसी भी नियम और शर्तों के बावजूद, ऋणदाता और/या ऋणदाता समूह की कोई भी कंपनी, अपने पूर्ण विवेक पर, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को उचित कर सकती है।

यह समझौता या ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन द्वारा या अन्यथा वसूल की गई कोई भी राशि, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय देय राशि और/या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच किए गए अन्य समझौतों के लिए और किसी भी तरीके से।

8.3. ग्रहणाधिकार/सेट ऑफ

यहां जो कहा गया है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता द्वारा ऋण या किसी अन्य ऋण/सुविधा के तहत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, चाहे वह उधारकर्ता या गारंटर के रूप में हो या अन्यथा, किसी भी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अलावा, जिसके लिए बैंक या उसकी कोई सहायक कंपनी/सहयोगी कानून द्वारा हकदार हो सकती है, बैंक, उधारकर्ता और/या गारंटर के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अपने किसी भी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता और/या गारंटर के किसी भी खाते (सावधि जमा खाते सहित) में उधारकर्ता और/या गारंटर (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य या अन्य के साथ) बैंक या किसी के साथ किसी भी खाते में उधारकर्ता और/या गारंटर के क्रेडिट के लिए खड़े किसी भी अन्य धन या राशि को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस समझौते के तहत उधारकर्ता और/या गारंटर से बकाया राशि के भुगतान में या उसके लिए इसकी सहायक कंपनी/सहयोगी। इस समझौते के तहत बैंक के अधिकार अन्य अधिकारों और उपायों (बिना किसी सीमा के सेट ऑफ के अधिकार सहित) के अतिरिक्त हैं जो बैंक के पास लागू कानून के तहत या अन्यथा हो सकते हैं। उधारकर्ता और गारंटर ने सामान्य ग्रहणाधिकार का एक पत्र निष्पादित किया है और इस संबंध में इसके साथ संलग्न किया है।

8.4 क्रॉस कोलैटरलाइजेशन

उधारकर्ता आगे स्वीकार करता है कि ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा बनाए गए सुरक्षा ब्याज को बैंक के साथ दर्ज किए गए या दर्ज किए जाने वाले अन्य समझौतों के तहत सुरक्षा माना जाएगा, और ऐसी सुरक्षा को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि ऋण और/या अन्य ऋण/सुविधाओं/सुविधाओं के तहत संपूर्ण बकाया राशि उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जाती है बैंक का। उधारकर्ता और गारंटर स्पष्ट रूप से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक के साथ किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा किए जाने वाले डिफॉल्ट की स्थिति में, जिसके तहत उधारकर्ता और/या गारंटर वित्तीय/ऋण सुविधा का आनंद ले रहा है, ऐसी घटना को इस समझौते के तहत हुई चूक की घटना के रूप में माना जाएगा, और बैंक इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जिसमें ऋण के तहत बकाया राशि के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर के क्रेडिट के लिए खड़ी किसी भी राशि के संबंध में सेट ऑफ करने का अधिकार शामिल है और/या अन्य ऋण/सुविधा (सुविधाओं) में उधारकर्ता और/या बैंक से गारंटर द्वारा प्राप्त किया गया/प्राप्त किया जाना है। उधारकर्ता और गारंटर ने सामान्य ग्रहणाधिकार का एक पत्र निष्पादित किया है और इस संबंध में इसके साथ संलग्न किया है।

नौ. उधारकर्ता के वकील के रूप में बैंक की नियुक्ति

उधारकर्ता और/या गारंटर बैंक को अपने सच्चे और वैध वकील के रूप में नियुक्त करेगा, जो उधारकर्ता और/या गारंटर के नाम पर और उसकी ओर से और निष्पादित करेगा, और जहां उधारकर्ता और/या गारंटर एक से अधिक व्यक्ति हैं, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, सभी या कोई भी कार्य, कर्म और चीजें, उसमें निर्दिष्ट हैं। बैंक में इस प्रकार निहित शक्तियां अपरिवर्तनीय होंगी और बैंक के पक्ष में तब तक बनी रहेंगी जब तक कि उधारकर्ता की बैंक को सभी बकाया देय राशि पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए।

दस. प्रतिभूतिकरण / असाइनमेंट और स्थानांतरण

ऋणदाता किसी भी समय, उधारकर्ता और/या गारंटर की किसी भी सहमति या नोटिस के बिना, इस समझौते या अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के अधिकार और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को और ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर स्थानांतरित करने का हकदार होगा जो ऋणदाता तय कर सकता है।

ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, नवीनीकरण, प्रतिभूतिकरण या हस्तांतरण निर्णायक रूप से उधारकर्ता और/या गारंटर को बाध्य करेगा। उधारकर्ता और/या गारंटर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असाइन करने, बेचने, सुरक्षित करने, नवीनीकृत करने या किसी भी तरह से हस्तांतरण करने का हकदार नहीं होगा।

ग्यारह. सूचना का प्रकटीकरण/साझाकरण

ग्यारह. एक. उधारकर्ता और/या गारंटर किसी भी समय और किसी भी तरह से बैंक से सहमत होता है और किसी भी तरह से बैंक की किसी भी एजेंसियों, ब्यूरो, सहयोगियों या सहायक कंपनियों, संघों और अन्य व्यक्तियों को प्रकट करता है और/या उपलब्ध कराता है, जो उधारकर्ता और/या गारंटर के या उससे संबंधित कोई भी जानकारी (व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी सहित) और दस्तावेज हैं, किसी भी क्रेडिट जानकारी सहित, ऐसे

मामलों में जहां बैंक उचित समझता है, जहां इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति है या कानून द्वारा या उसके तहत आवश्यक है या जहां बैंक का विचार है कि बैंक के हितों को इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता है या उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता या बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित अन्य व्यक्तियों से संबंधित क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट राय तैयार करने, प्रकाशन और वितरण के लिए ऐसी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। इस खंड के प्रावधान इस समझौते की समाप्ति से बचेंगे। बैंक को ऋण एजेंसियों, ऋण ब्यूरो, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधारकर्ता/गारंटर/बंधक से संबंधित समान जानकारी/रिपोर्ट प्राप्त करने का भी अधिकार होगा, जैसा कि बैंक उचित समझे।

ग्यारह.दो. उधारकर्ता और/या गारंटर इस बात से सहमत है कि यदि उधारकर्ता और/या गारंटर इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक या देरी करता है या इस समझौते के तहत देय कोई भी राशि, जो भी उधारकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो बैंक के पास उधारकर्ता/बंधककर्ता और गारंटर और/या उनके निदेशकों के नाम और विवरण का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा चूककर्ताओं (इरादतन चूककर्ताओं सहित), यदि कोई हो, के रूप में और ऐसे माध्यम से जैसे बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार चूककर्ता के रूप में (फोटोग्राफ और खातों के विवरण सहित) को उचित समझे।

ग्यारह.तीन. उधारकर्ता और/या गारंटर यह समझता है कि: क. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग कर सकती है, उनके द्वारा उचित समझी जाने वाली विधि से संसाधित कर सकती है, और ख. ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋण अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित सूचना और डेटा या उसके उत्पादों को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

ग्यारह.चार. उपरोक्त अधिकार ऋणदाता के लिए उपलब्ध होगा, इसके अलावा समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार का अपमान नहीं होगा।

ग्यारह.पाँच. उधारकर्ता और/या गारंटर सहमत है और समझता है कि ऋणदाता उधारकर्ता या बंधककर्ता या गारंटर से संबंधित किसी भी जानकारी/दस्तावेजों का खुलासा किसी भी तीसरे पक्ष को कर सकता है, जिसमें ऋणदाता समूह की कंपनियों को प्रचार उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए शामिल किया जा सकता है, जैसा कि ऋणदाता उचित समझता है।

ग्यारह.छः. घोषणाएं (यदि उधारकर्ता एक कंपनी है): इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता एतद्वारा घोषणा करता है कि इसकी तारीख के अनुसार, इसका कोई भी निदेशक या गारंटर (या इसका कोई निदेशक, यदि लागू हो) एक बैंकिंग कंपनी के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, या ऋणदाता के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी के निर्दिष्ट निकट संबंध में नहीं है। बैंक को बताई गई सीमा को छोड़कर, किसी भी सहयोगी या समूह कंपनियों (यदि लागू हो) के साथ उधारकर्ता के सभी अनुबंध या समझौते, या उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता हाथ की लंबाई के आधार पर है। इसके अलावा, बैंक का कोई भी निदेशक उधारकर्ता/इसकी सहायक कंपनी/होलिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध एजेंट, कर्मचारी या गारंटर नहीं है या उधारकर्ता/इसकी सहायक कंपनी/होलिंग कंपनी में पर्याप्त हित रखता है और अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशकों और सहायक कंपनियों के निदेशकों सहित किसी भी अन्य बैंक के निदेशकों /

म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी पर्याप्त हित रखते हैं या निदेशक के रूप में या उधारकर्ता के गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं। उधारकर्ता या किसी भी उधारकर्ता (गारंटर सहित) के कोई भी निदेशक/प्रमोटर/सहयोगी चिंताएं/नहीं हैं और उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार:

- (१) निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की निर्दिष्ट अनुमोदन सूची पर; या
- (२) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया; या
- (३) भारतीय रिज़र्व बैंक की विलफुल डिफॉल्टर/चेतावनी सूची में; या
- (४) ऋणदाता की डिफॉल्टर सूची में; या
- (५) या लागू कानून के अनुसार निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य नहीं है।

ऐसे मामले में जहां उपरोक्त नकारात्मक पुष्टियां/घोषणाएं सत्य नहीं हैं, तो उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसे संबंधों के विवरण के साथ एक लिखित घोषणा प्रदान करेगा। यदि सुविधा की अवधि के दौरान इस तरह की घोषणा का विवरण बदल जाता है, तो उधारकर्ता तुरंत ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में ऋणदाता को एक लिखित घोषणा प्रदान करेगा।

11.7. उधारकर्ता इसके द्वारा बैंक को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("कोड") की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' का प्रकटीकरण/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है, जिसे संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और लागू होता है और समय-समय पर उसके तहत निर्दिष्ट किया जाता है, संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों और समय-समय पर आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, संहिता की धारा 3(21) में परिभाषित किसी भी 'सूचना उपयोगिता' ("आईयू") को समय-समय पर बैंक से प्राप्त क्रेडिट/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में और इसके द्वारा बैंक द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने के लिए विशेष रूप से सहमत होते हैं, जब भी संबंधित आईयू द्वारा अनुरोध किया जाता है।

12. विविध

इस समझौते को समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है और प्रत्येक समकक्ष को मूल माना जाएगा। यह समझौता ऋणदाता के उत्तराधिकारियों और समनुदेशनों के लाभ के लिए होगा, और उधारकर्ता/बंधक/गारंटर, उसकी संपत्ति, प्रभाव, उत्तराधिकारियों, कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों और अनुमत समनुदेशितों पर बाध्यकारी होगा, जिसमें (i) उधारकर्ता और/या गारंटर के भागीदार जहां उधारकर्ता और/या गारंटर एक साझेदारी फर्म है, और प्रत्येक भागीदार संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट; (ii) उधारकर्ता और/या गारंटर का मालिक (ess) जहां उधारकर्ता और/या गारंटर एक एकमात्र स्वामित्व फर्म है, जो उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादक, प्रशासकों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशित है; (iii). उधारकर्ता और/या गारंटर के उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशन जहां उधारकर्ता और/या गारंटर एक कंपनी या एलएलपी है; (iv). कर्ता और एचयूएफ के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य और उनके उत्तरजीवी (ओं) और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादक, प्रशासकों में से जहां उधारकर्ता और/या गारंटर एक एचयूएफ है; (v) इस घटना में कि उधारकर्ता और/या गारंटर एक सोसायटी है, सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य और उस पर निर्वाचित, नियुक्त या सहयोजित कोई भी नया सदस्य; (vi) इस घटना में कि उधारकर्ता और/या गारंटर एक ट्रस्ट है, ट्रस्टी या ट्रस्टी उस समय के लिए और उनके संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उत्तराधिकारी),

पार्टियों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि अनुसूची में निर्धारित शर्तों को समय-समय पर ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता और गारंटर को लिखित संचार के माध्यम से संशोधित, संशोधित, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऋणदाता के बीच इस तरह के पत्राचार और उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा उसकी स्वीकृति को इस समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा और इसके संयोजन में पढ़ा जाएगा।

स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट सभी या कोई अन्य शर्तें इस समझौते का एक अभिन्न अंग होंगी और स्वीकृति पत्र का उपयोग हमेशा हर समय इस समझौते के साथ किया जाएगा।

12. 1. बैंक द्वारा थर्ड पार्ट/रिक्वरी एजेंटों की नियुक्ति

बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्ष (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से।

उधारकर्ता और गारंटर बैंक को इस बात की पुष्टि करते हैं और स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं कि चूक की घटना होने पर, बैंक या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तृतीय पक्षों (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से, उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग उधारकर्ता/गारंटर से संपर्क करने के लिए करता है, जिसमें उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि और परिवार के सदस्य शामिल हैं और उनसे संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रकट करते हैं ऋण के लिए।

बैंक ने बोर्ड द्वारा बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति ब्याज के पुनः कब्जे की नीति को मंजूरी दे दी है जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति देय राशि के संग्रह और प्रतिभूति के पुनः कब्जे के संबंध में उचित प्रथाओं को सूचीबद्ध करती है और इस प्रकार ग्राहकों के विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को

बढ़ावा देती है। बैंक बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति के पुनः कब्जे के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। विस्तृत नीति को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है: <https://www.au.bank.in/Notice-Slider-3-3-policy-on-collection-of-dues-and-repossession-of-security.pdf> 12.2. सूचना की सेवा

- अ) उधारकर्ता और/या गारंटर को दी जाने वाली कोई भी सूचना वैध रूप से दी गई मानी जाएगी यदि उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रदान किए गए ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से उधारकर्ता और/या गारंटर को दिया गया हो या कूरियर द्वारा भेजा गया हो या उधारकर्ता और/या गारंटर के पते पर छोड़ दिया गया हो, जैसा कि ऋणदाता को या उधारकर्ता और/या गारंटर के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर प्रदान किया गया है।
- आ) कूरियर द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी नोटिस को उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा पोस्टिंग के समय से 48 (अड़ठातीस) घंटों के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा।
- इ) अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जैसा कि ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष के पास इस समझौते के तहत और भारतीय कानून के तहत, डिफॉल्ट की घटना की घटना पर, ऋणदाता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट और ऋणदाता द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं)/प्रतिनिधि(ओं), बंधककर्ता गारंटर (यदि कोई हो) और उधारकर्ता और/या गारंटर के परिवार के सदस्यों सहित तीसरे पक्ष) जिनकी जानकारी उधारकर्ता और/या गारंटर ने ऋणदाता को प्रदान की है। इसके अलावा, उधारकर्ता और/या गारंटर इसके द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए समय-समय पर अनुस्मारक प्राप्त करने के लिए स्पष्ट सहमति प्रदान करता है।
- ई) पते में परिवर्तन की स्थिति में, उधारकर्ता और/या गारंटर बिना किसी असफलता के पते के इस तरह के परिवर्तन की सूचना देगा और पते में इस तरह के परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर बैंक को संचार के लिए नया पता प्रस्तुत करेगा।
- उ) उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा "डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" में अपना संपर्क नंबर पंजीकृत नहीं करने के लिए ऋणदाता से सहमत और सहमति देता है।

बारह.तीन. विच्छेदनीयता

यदि इन नियमों और शर्तों के तहत किसी अनुबंध का प्रावधान किसी भी अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैरकानूनी और/या अप्रवर्तनीय होने के लिए निर्धारित किया जाता है, तो अन्य प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

बारह.चार. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता और/या गारंटर ऋणदाता (या उसके निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, एजेंटों और उनके सहयोगियों) को मांग पर, किसी भी लागत, हानि, कर, क्षति, दंड, दावों, कार्यों, निर्णयों, मुकदमों के कारण, बकाया या देयता (कानूनी शुल्क और जेब से बाहर के खर्च) के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा। कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और एजेंटों और उनके सहयोगियों के परिणामस्वरूप: (ए) ऋणदाता ऋण दस्तावेजों में प्रवेश करता है और उधारकर्ता को ऋण प्रदान करता है; (ख) चूक की घटना क्या है; (ग) किसी भी घटना की जांच करना जिसे ऋणदाता यथोचित रूप से मानता है कि वह एक डिफॉल्ट है; (घ) उधारकर्ता और/या गारंटर से किसी भी नोटिस, अनुरोध या निर्देश पर कार्य करना या उस पर भरोसा करना, जिसे ऋणदाता यथोचित रूप से वास्तविक, सही और उचित रूप से अधिकृत मानता है; (ई) किसी भी लेनदेन दस्तावेज में प्रवेश करने और/या प्रदर्शन या ऋण की आय के उपयोग से संबंधित कोई कानूनी कार्यवाही (चाहे ऋणदाता उसका एक पक्ष हो या नहीं); (च) ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई किसी भी सुरक्षा को लेना, धारण करना, उसकी रक्षा करना या लागू करना; (छ) गलत बयानी, वादे का उल्लंघन; (ज) समझौते या कानून द्वारा निहित किसी भी अधिकार, शक्तियों, विवेकों या उपायों का प्रयोग करना; या (i) ऋणदाता, उनके संबंधित संवाददाताओं या पुष्टि करने वाले बैंकों या एजेंटों के खिलाफ की गई या की गई कोई भी कार्यवाही या कार्यवाही; ऋणदाता (या उसके निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और एजेंटों और उनके सहयोगियों) की घोर लापरवाही या जानबूझकर कदाचार के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति देनदारियों या खर्चों को छोड़कर।

बारह.पाँच. संपूर्ण समझौता और सर्वोच्चता और संशोधन

दोनों पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समझौता और इसकी अनुसूची, मुख्य तथ्य विवरण और प्रासंगिक अनुलग्नक और इसके अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, दोनों पक्षों के बीच एक एकल समझौते का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अनुबंध इस समझौते की विषय वस्तु के संबंध में पार्टियों के बीच इस समझौते की तारीख से पहले सभी चर्चाओं और समझौतों (चाहे मौखिक या लिखित, सभी पत्राचार सहित) का स्थान लेता है। इस समझौते को केवल प्रत्येक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से विधिवत निष्पादित लेखन द्वारा संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

बारह.छः. अधित्याग-पत्र

इस समझौते के संबंध में इस समझौते या दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने में बैंक की ओर से कोई भी विफलता और/या देरी इसकी छूट के रूप में काम नहीं करेगी, और न ही इस तरह के किसी भी अधिकार या शक्ति का कोई एकल या आंशिक प्रयोग किसी अन्य या भविष्य के प्रयोग या किसी अन्य शक्ति या अधिकार के प्रयोग को रोकेगा। इस समझौते में प्रदान किए गए बैंक के अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार या उपचार से अलग नहीं हैं।

12.6 समाप्ति

यहां कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, ऋणदाता किसी भी समय अपने पूर्ण विवेक पर ऋण को रद्द कर सकता है और इस समझौते को समाप्त कर सकता है, बिना कोई कारण दिए और उधारकर्ता और/या गारंटर को बिना किसी पूर्व सूचना के, जिस हद तक लागू भारतीय कानून के विपरीत नहीं है। ऋण के तहत सभी शुल्क (यदि कोई हो) के साथ सभी धन तुरंत देय और देय हो जाएंगे 12.6 बी समाप्ति के परिणाम

किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति उधारकर्ता और/या गारंटर को इस समझौते में निर्धारित किसी भी देनदारियों या दायित्वों से राहत नहीं देगी, जो (ए) उधारकर्ता और/या गारंटर ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है कि इस तरह की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएगा; या (बी) प्रदर्शन किया जाना है या उनकी प्रकृति से इस तरह की किसी भी समाप्ति या समाप्ति के बाद लागू होने का इरादा होगा।

12.7. शासी कानून, विवाद समाधान और क्षेत्राधिकार

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि सभी मामले, प्रश्न, विवाद, डिफॉल्ट, मतभेद और/या दावे, जो इस समझौते से संबंधित और/या संबंध में और/या इस समझौते के उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे इस समझौते के तहत किसी एक या दोनों पक्षों के दायित्व इस तरह के विवाद या मतभेदों के समय निर्वाह कर रहे हों या नहीं, और इस समझौते को समाप्त कर दिया गया है या समाप्त या पूरा किया गया है, यह जयपुर, राजस्थान और/या अन्य संबंधित मंचों के न्यायालय/न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा और यह विशिष्टता उधारकर्ता और/या गारंटर को बाध्य करेगी।

हालांकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक के लिए उपलब्ध उपायों के अलावा, बैंक किसी अन्य स्थान पर सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य न्यायालय में इसे आगे बढ़ाने का हकदार होगा; और यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसा कोई विवाद या मतभेद या चूक ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा से कम है, तो ऐसे विवाद या अंतर या चूक को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए पार्टियां बिना शर्त सहमत होती हैं और स्वीकार करती हैं कि, इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी मामले, प्रश्न, मतभेद और/या विवाद, विवाद, या दावा, या इसके उल्लंघन को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से हल किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात से भी अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि सभी/किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की सीट जयपुर में होगी और पार्टियों ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए ऑनलाइन मोड को स्वीकार कर लिया है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही वर्तमान समझौते की अनुसूची ए में उल्लिखित किसी भी मध्यस्थ/चयनित ओडीआर (ऑनलाइन विवाद समाधान) संस्थान के तत्वावधान में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यदि उधारकर्ता/बाध्यकर्ता ओडीआर के स्थान पर भौतिक मध्यस्थता कार्यवाही का विकल्प चुनता है/चुनता है, तो वे इस संबंध में ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के 7 दिनों के भीतर चयनित ओडीआर संस्थान को मध्यस्थता के तय किए गए स्थान/जयपुर में एक प्रासंगिक लिखित संचार भेजकर इसका विकल्प चुनेंगे।

मध्यस्थ/ओडीआर संस्थानों की सूची का चयन पार्टियों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई अवधारणा, प्रक्रिया, उप-नियमों और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के बाद किया गया है और दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से इसका पालन करने के लिए सहमत हैं। ऐसे ओडीआर संस्थानों के तत्वावधान में चयनित मध्यस्थ/ओडीआर संस्था द्वारा सक्षम मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और समझौते के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

उन मामलों के संबंध में जहां यह पिछले पैराग्राफ के अनुसार आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में निर्धारित किया जाता है कि (i) ऐसे पैराग्राफ में प्रदान की गई मध्यस्थता कार्यवाही अप्रवर्तनीय है; या (ii) भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत इसकी विषय वस्तु गैर-मध्यस्थ है, जैसा कि संशोधित किया गया है, ऐसी स्थिति में, जयपुर, भारत में अदालतों और/या अन्य प्रासंगिक मंचों के पास ऐसे मामलों के संबंध में विशेष क्षेत्राधिकार होगा, प्रत्येक पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से उन अदालतों में से किसी में की जा रही कार्यवाही पर आपत्ति करने के लिए किसी भी अधिकार को छोड़ देता है, यह दावा करने के लिए कि कार्यवाही एक असुविधाजनक मंच में लाई गई है या यह दावा करने के लिए कि उन अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

12.8 शिकायत निवारण तंत्र:

इस समझौते से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के निवारण के लिए, उधारकर्ता और/या गारंटर बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित निवारण तंत्र को अपना सकते हैं, जिसे www.au.bank.in बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और/या मैट्रिक्स के अनुसार नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और इस समझौते से संलग्न केएफएस में दिए गए ईमेल/फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

12.9. डिजिटल हस्ताक्षर:

अ. इस समझौते के निष्पादन की तारीख अनुसूची में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस समझौते की अनुसूची के तहत तारीख को खाली रखा जाता है और दस्तावेज डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होता है, तो इस समझौते के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब समझौते पर अंतिम बार किसी भी पक्ष द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधाओं के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

आ. उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या इस समझौते और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए किसी भी तरीके से सहमत और सहमति देता है, जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जाता है, जिसमें शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

आधार या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करना।

- इ. उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और बैंक को उधारकर्ता और/या का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है।
उधारकर्ता और/या गारंटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए गारंटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार विवरण और कोर बायोमेट्रिक जानकारी। उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि ओटीपी दर्ज करके और/या उधारकर्ता और/या गारंटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का फिंगरप्रिंट इंप्रेशन (बायोमेट्रिक केवाईसी) प्रदान करके, इसे पैन को मान्य करने और आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए बैंक को उधारकर्ता और/या गारंटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की निहित और स्वेच्छा से सहमति के रूप में माना जाएगा और उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा बैंक को प्राधिकृत करता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से क्रमशः उधारकर्ता और/या गारंटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करें।
- ई. उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है, सहमति देता है और स्वीकार करता है कि समझौते और संबंधित दस्तावेजों को बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से निष्पादित/डिजिटल रूप से मुद्रांक/संग्रहीत किया जा सकता है और निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग, डेटा भंडारण आदि से संबंधित ऐसे प्लेटफॉर्म की शर्तों को भी स्वीकार करता है। उधारकर्ता और/या गारंटर स्वीकार करता है कि ऐसे ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किए गए और/या निष्पादित दस्तावेज, उधारकर्ता और/या गारंटर पर वैध और बाध्यकारी होंगे और बैंक द्वारा साक्ष्य के एक उचित रूप के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है और उस पर स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठाने का वचन देता है। बैंक या ऐसे तृतीय-पक्ष विक्रेता आईपी पते, निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर या अन्य उपकरण के स्थान और लेनदेन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित उधारकर्ता और/या गारंटर के सभी डेटा एकत्र करने के हकदार होंगे।
- उ. उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंक/तृतीय-पक्ष विक्रेताओं/एजेंटों आदि से प्राप्त और/या भेजा गया कोई भी संचार, चाहे वह उधारकर्ता और/या गारंटर/उधारकर्ता और/या बैंक के पास उपलब्ध गारंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों/ईमेल आईडी पर एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से हो, उधारकर्ता और/या गारंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं पर वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। उधारकर्ता और/या गारंटर भी सहमत होता है, सहमति देता है और स्वीकार करता है कि बैंक उधारकर्ता और/या गारंटर/उधारकर्ता और/या गारंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को संचार के लिए वैध और अनुमत सेल नंबर/ईमेल आईडी के रूप में मानने के लिए स्वतंत्र होगा।
- ऊ. उधारकर्ता के खाते में सुविधाओं का संवितरण सुविधाओं का लाभ उठाने और समझौते और संबंधित दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर की सहमति निहित होगी और यह उधारकर्ता और/या गारंटर पर वैध और बाध्यकारी होगा और प्राधिकृत भागीदारों/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार के संबंध में या अन्यथा निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा बैंक के पक्ष में।
- ऊ. उधारकर्ता और/या गारंटर अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा किसी भी ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित/ईसाइन/चिपकाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि बैंक द्वारा वांछित हो सकता है। उधारकर्ता और/या गारंटर समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता और/या गारंटर इस अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से अपडेट रखेगा और किसी भी वायरस, खराबी या साइबर से संबंधित खतरों से सुरक्षित रखेगा। उधारकर्ता और/या गारंटर इस बात से सहमत है कि न तो बैंक या कोई ई-सेवा/सॉफ्टवेयर प्रदाता मध्यस्थ को उधारकर्ता और/या गारंटर के उपकरण, अन्य सॉफ्टवेयर, सुविधाओं, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा नियोजित तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की किसी भी विफलता या दोष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा या बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता और इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल मुद्रांकन और/या इस समझौते और संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन।
- ल. खंड 12.9 (ए) - 12.9 (जी) में उल्लिखित प्रावधान सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ताओं और/या गारंटर द्वारा डिजिटल रूप से निष्पादित सभी दस्तावेजों पर लागू होंगे।
- एँ. उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब-आधारित साधनों के माध्यम से किसी भी परिशिष्ट सहित इस समझौते की ऑनलाइन स्वीकृति पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का परिणाम है।
- ऐ. उधारकर्ता और/या गारंटर को पता है कि इस समझौते के संचरण, इस अनुबंध के परिशिष्ट, नियम और शर्तें, निर्देश, स्वीकृति और संचार ('संचार') इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से कई जोखिम शामिल हैं, जिनमें धोखाधड़ी वाले परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति शामिल है। हालांकि, उधारकर्ता और/या गारंटर इस समझौते के तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैंक से संचार प्राप्त करने और उसे संचार प्रदान करने का इच्छुक है, जिसमें सुविधा और उसके संचालन के संबंध में शामिल है।
- ए. बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता और/या गारंटर एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, बैंक को निम्नानुसार पुष्टि करता है और वचन देता है: (ए) बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का हकदार होगा (और इसे वास्तविक मानते हैं)। इस प्रश्न के मामले में कि कौन से संचार प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए थे, बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। (ख) उधारकर्ता और/या गारंटर ने यह सुनिश्चित किया है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रदान किए गए हैं और एतद्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (ग) उधारकर्ता और/या गारंटर इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक संचार के पूरे या किसी भी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार संप्रेषित संचार में दिखाई दे सकता है और यह

उधारकर्ता और/या गारंटर के एकमात्र जोखिम पर होगा। (घ) बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी भी कार्य या कार्य करने से इनकार या चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (ङ) बैंक को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस समझौते के तहत या अन्यथा बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। (च) बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में उधारकर्ता और/या गारंटर को प्रदान की गई सुविधा/सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है। (छ) उधारकर्ता और/या गारंटर को इस बात की जानकारी है और वह इस बात की पुष्टि करता है कि बैंक इस खंड में निहित वचन और क्षतिपूर्तियों के कारण और उन पर भरोसा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है।

अनुसूची ए

1	न्यायालय (न्यायालयों) और न्यायाधिकरणों के पक्ष में विशेष क्षेत्राधिकार	जयपुर
2	मध्यस्थता / मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ संस्थानों / ऑनलाइन विवाद समाधान मंच की सूची	ए) नाम: सीएलआरएमडीआर पता: डी-871 ग्राउंड फ्लोर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली -110025 सम्पर्क करने का विवरण: 9717012845 ईमेल आईडी:- info@clrmdr.com ब) नाम: Resolvere पता: डी-871 दूसरी मंजिल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली -110025 संपर्क विवरण: 011-45131430 ईमेल आईडी:- resolvere.info@gmail.com ग) नाम: आसान समाधान नया पता: जी-18/41, रूप फ़र्श, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110089 सम्पर्क करने का विवरण: 9212710624 ईमेल आईडी:- DJRBCLEGAL18@YAHOO.COM द) नाम: SYNERGY ARBITRATION HUB PRIVATE LIMITED पता: सी-17, एलजीएफ, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व), नई दिल्ली-110065 सम्पर्क करने का विवरण: 9999964750 ईमेल आईडी:-admin@synergyarbitration.com ए) नाम: न्याय 24/7 (टुथ बीट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) पता: डी-126, दूसरी मंजिल, जन पथ, श्याम नगर, ऊपर हाँ बैंक, जयपुर, राजस्थान, 302019 सम्पर्क करने का विवरण: 7738357454 ईमेल आईडी:-atul.mathur@nyay247.com
3	मध्यस्थता की सीट	कार्यवाही भौतिक रूप से आयोजित होने के मामले में जयपुर मध्यस्थता के लिए सीट/स्थल होगा। हाइब्रिड और ऑनलाइन विवाद समाधान कार्यवाही के मामले में, जयपुर को मध्यस्थता की सीट माना जाएगा
4	मध्यस्थ कार्यवाही की पसंदीदा भाषा	अंग्रेज़ी
5	स्वीकृति पत्र का विवरण	दिनांक: रेफरी:

6	मध्यस्थता/मध्यस्थता की कार्यवाही ऑनलाइन करने के लिए उधारकर्ता/गारंटर के समन्वय।	
	कर्जदार:	पंजीकृत मोबाइल नंबर : पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर : पंजीकृत ई-मेल आईडी:
	सह-उधारकर्ता 1	पंजीकृत मोबाइल नंबर : पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर : पंजीकृत ई-मेल आईडी:
7	निष्पादन का विवरण:	दिनांक: स्थान:

नोट: - उधारकर्ता और अन्य बाध्यकर्ता, यदि कोई हो, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर और पंजीकृत ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देते हैं। ऋणदाता के साथ रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए ऐसे संपर्क नंबर और ईमेल आईडी में बैंक को पंजीकृत मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करने में विफल रहने के मामले में संबंधित पक्ष का समन्वयक बना रहेगा और ऐसे समन्वयकों को भेजे गए किसी भी संचार को एक वैध सेवा माना जाएगा, इसके विपरीत/असफल वितरण स्थिति या रिपोर्ट के बावजूद। इस तरह के समन्वयों का उपयोग करके आयोजित की गई कार्यवाही वैध होगी और एक आदेश/पंचाट के माध्यम से उसका निष्कर्ष उसके पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

ड्रॉडाउन शेड्यूल

ड्रॉडाउन प्रारंभ तिथि	
अगली किश्त की तारीख	
अगली किश्त की तारीख	
अगली किश्त की तारीख	
ड्रॉडाउन समाप्ति तिथि	
उपलब्धता अवधि	

अनुसूची 1

के निष्पादन की तिथि और स्थान करारनामा	स्थान:	रीवा
	दिनांक:	
स्वीकृति पत्र का विवरण	रेफरी नहीं: दिनांक:	
उधारकर्ता का विवरण	नाम:	
	संविधान:	

	ईमेल पता, पैन और मोबाइल नंबर:	
	पता:	
सह-उधारकर्ता का विवरण	नाम:	
	संविधान:	
	ईमेल पता, पैन और मोबाइल नंबर:	
	पता:	
गारंटर का विवरण	नाम:	
	संविधान:	
	ईमेल पता, पैन और मोबाइल नंबर:	
	पता:	
ऋणदाता की शाखा	शाखा का नाम	

	पता:	
ऋण का उद्देश्य		

	ऋण का विवरण	ऋण आवेदन पत्र तिथि: ऋण राशि: ₹ कार्यकाल : महीने उपलब्धता अवधि: ऋण आवेदन संख्या:				
	लागू ब्याज दर	☐☐☒ तैरता हुआस्थायीफ्लेक्सी फ्लोटिंग रेट लोन के मामले में: मासिक आराम के साथ 14% (एमसीएलआर/ईबीआर 5.25% + 8.75%) प्रति वर्ष। फ्लेक्सी योजना की ब्याज दर के मामले में: उधारकर्ता को दी जाने वाली ब्याज दर शुरुआती 3 वर्षों के लिए तय की जाती है। नियत अवधि की प्रारंभिक अवधि के पूरा होने के बाद, ब्याज दर को फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा जो रीसेट की तारीख को प्रचलित सीमांत ऋण दर (एमसीएलआर)/बाहरी बेंचमार्क दर (ईबीआर) से जुड़ी होगी।				
	ब्याज के रीसेट की आवृत्ति	भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज दर को चतुर्थांश रीसेट के अधीन रीसेट किया जाएगा				
<table><tr><td>पहला रीसेट</td><td>अगला रीसेट</td></tr><tr><td>पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी</td><td>अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।</td></tr></table>		पहला रीसेट	अगला रीसेट	पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी	अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।	
पहला रीसेट		अगला रीसेट				
पहले 3 साल के लिए ब्याज दर तय की जाती है। इसके बाद इसे परिवर्तनीय दर में बदल दिया जाएगा और पहली रीसेट तिथि पहली संवितरण तिथि की तारीख से 36 वें महीने की सालगिरह की तारीख को होगी	अगली रीसेट तिथि अंतिम रीसेट तिथि से हर 3 महीने की सालगिरह की तारीख पर होगी।					
	मोड समूह का ब्याज दर का में संचार परिवर्तन	"एसएमएस/ई-मेल"				
	पूर्व-समान मासिक चुकोती ब्याज (पी-ईएमआई) (लागू निर्माण लिंकड के त लिए या निर्माण गुण)	ब्याज दर: पी-ईएमआई राशि: रु: पी-ईएमआई अवधि:				
	चुकोती / समान मासिक पुनर्भुगतान ब्याज (ईएमआई)	ईएमआई राशि: ईएमआई की कुल संख्या: ईएमआई शुरू होने की तारीख: ईएमआई की देय तिथि: ईएमआई आवृत्ति: मासिक अधिस्थगन: __ पहले संवितरण की तारीख से महीने				
	दंड शुल्क	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क: 1000 रुपये (या उसके हर हिस्से) पर 0.65 रुपये प्रति बकाया किस्त पर रोजाना शुल्क लिया जाएगा।				

	ब्याज पर ओवरड्यू ईएमआई / किस्त/राशि/ब्याज	ब्याज की अनुबंधित दर पर (ऋण आईआरआर)
	तारीख पर उन द वार्षिक अंक बकाया राशि जारी की जाएगी	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर
	प्रोसेसिंग शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)	ऋण राशि का 1.5%

	पुनर्भुगतान का तरीका	ई-जनादेश
	शुल्क	अनुसूची 2 के अनुसार
	देय शुल्क	अनुसूची 2 के अनुसार
	आगे की घोषणाएं	a). संवितरण में देरी या प्रगति की स्थिति में, ईएमआई शुरू होने की तारीख उस महीने के बाद के महीने का पहला दिन होगा जिसमें संवितरण पूरा हो चुका होगा। ऐसे मामले में, पहली ईएमआई के भुगतान की देय तिथि ऐसे महीने के बाद के महीने के हर महीने की 12 तारीख होगी। उधारकर्ता प्रत्येक संबंधित महीने के अंत में बाद की ईएमआई का भुगतान करने का प्रयास करेगा, लेकिन किसी भी मामले में अगले महीने के हर महीने की 12 तारीख को या उससे पहले भुगतान करेगा। ग) इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक उधारकर्ता को नोटिस द्वारा ऋण के आगे के संवितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि ऋण की तारीख से 180 महीनों के भीतर पूरी तरह से नहीं लिया गया है स्वीकृति पत्र यदि स्वीकृति पत्र की तारीख से 180 महीने की अवधि के भीतर उधारकर्ता द्वारा ऋण पूरी तरह से नहीं लिया जाता है, तो ईएमआई में बदलाव किया जा सकता है और ऋण को इस तरह से वितरित राशि में घटाया जाएगा और इस हद तक कि बैंक अपने विवेकाधिकार से निर्णय ले सकता है और उक्त परिवर्तन के अनुसार पुनर्भुगतान किया जाएगा, समझौते और अनुसूची में कुछ भी कहा गया है, इसके बावजूद
	प्रतिभूति	ऋणदाता के पक्ष में नीचे सूचीबद्ध संपत्ति पर बंधक के माध्यम से पहला और अनन्य शुल्क: 1. संपत्ति के मालिक का विवरण: मूल शीर्षक विलेखों का विवरण:
	उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण	, , ,

अनुसूची 2 (शुल्कों की अनुसूची)

S.No।	शुल्क पैरामीटर	होम लोन/नॉन-होम लोन एलएपी/सीपीपी
1	ब्याज दर	न्यूनतम: रेपो दर/ईबीआर अधिकतम: 22% तक।
2	प्रोसेसिंग शुल्क/प्रशासनिक शुल्क	ऋण राशि का 2% तक
3	मुद्रांकन शुल्क	राज्य के स्टाम्प अधिनियम के अनुसार
4	मुद्रांकन व्यय	₹ 100 (जीएसटी सहित)
5	अतिदेय ईएमआई पर ब्याज	ब्याज की अनुबंधित दर पर
6	ईएमआई डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क	₹ 0.65 प्रति ₹ 1,000 (या उसके हर हिस्से) का शुल्क बकाया ईएमआई पर प्रतिदिन लिया जाएगा

7	कानूनी और कूरियर शुल्क	₹ 1100
8	संग्रह शुल्क	₹ 600 प्रति विज़िट
9	चेक/एसआई/एसीएच/ईसीएस रिटर्न शुल्क	₹ 500
10	खाते का विवरण	₹ 500
11	फौजदारी विवरण शुल्क	₹ 500
12	डुप्लिकेट परिशोधन/पुनर्भुगतान अनुसूची	₹ 500
13	स्वैप शुल्क (पीडीसी का प्रतिस्थापन/बैंक का परिवर्तन)	₹ 1000
14	किस्त की तारीख में बदलाव	₹ 500 प्लस अंतर अवधि ब्याज (यदि कोई हो)
15	संपत्ति/ऋण दस्तावेज की डुप्लिकेट प्रति	₹ 1000
16	संपत्ति/संपत्ति/संपार्श्विक का प्रतिस्थापन	₹ 2500
17	एसेट सत्यापन शुल्क	वास्तविक में
18	संपत्ति मूल्यांकन शुल्क	₹ 1500 प्रति संपत्ति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पांडिचेरी के लिए ₹ 2500 अन्य राज्यों के लिए प्रति संपत्ति
19	संपत्ति कानूनी शुल्क	दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के लिए ₹ 5500 प्रति संपार्श्विक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल के लिए ₹ 1800 प्रति संपार्श्विक नाडु, तेलंगाना, पांडिचेरी अन्य राज्यों/स्थानों के लिए ₹ 3500 प्रति संपार्श्विक
20	प्रगति रिपोर्ट / बाद की मूल्यांकन रिपोर्ट	₹ 750
21	संपत्ति शोधपत्र पुनर्प्राप्ति के लिए सत्यापन/ निरीक्षण/ के लिए पट्टा विलेख से विकास प्राधिकरण/नगर पालिका	₹ 1500
22	CERSAI शुल्क	₹5 लाख तक के ऋण के लिए ₹50 और ₹5 लाख से अधिक के ऋण के लिए ₹100 या CERSAI द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार।
23	आरसीयू शुल्क	₹ 500
24	अनंतिम/अंतिम ब्याज प्रमाण पत्र	शून्य
25	फिक्स्ड से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग में रूपांतरण निश्चित या दर में कमी या संरचना में परिवर्तन	बकाया मूलधन का 1%
26	ऋणदाता एनओसी/सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	न्यूनतम: ₹ 10000 और अधिकतम: ₹ 50000
27	आरओसी भरने का शुल्क	वास्तविक में
28	चेक/संवितरण/ऋण ऋण रद्द करना (प्रति मामला)	₹ 1000 (चेक जारी करने की तारीख के 7 दिनों के भीतर) ₹ 1000 प्लस कैसल अवधि तक ब्याज

29	नकद संग्रह शुल्क (फौजदारी / पूर्व भुगतान) (यदि नकद संग्रह 20,000 रुपये से अधिक है)	नकद संग्रह के लिए ₹ 5 प्रति हजार	
30	नो ड्यूज सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट इश्यू	₹ 500	
31	टेली कलेक्शन शुल्क	₹ 40	
32	डिफ़ॉल्ट संग्रह शुल्क (यदि पुनर्भुगतान मोड बैंक के पास उपलब्ध नहीं है)	₹ 250	
33.	संपत्ति की अदला-बदली शुल्क	दिल्ली एनसीआर और मुंबई के लिए 7500 रुपये प्रति संपत्ति	
		₹ 5000 प्रति संपत्ति शेष राज्यों के लिए	
34	कानूनी/सरफेसी/आकस्मिक आरोप	मुकदमेबाजी का प्रकार	शुल्क
		मध्यस्थता	5100 रुपये तक
		निष्पादन का मध्यस्थता पुरस्कार	6800 रुपये तक
		धारा 138 (एनआई अधिनियम)/25 के तहत शिकायत (पास अधिनियम)	6800 रुपये तक
		(ख) की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करना सरफेसी अधिनियम	11100 रुपये तक
		धारा 14 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई सरफेसी अधिनियम	17000 रुपये तक
		बैंक द्वारा या उसके खिलाफ की गई कोई अन्य कानूनी कार्रवाई	वास्तविक में
		*उत्पाद के अनुसार मुकदमेबाजी लागू	

35 - पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क

होम लोन स्कीम/नॉन-होम लोन/एलएपी/कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद	
आंशिक पूर्व भुगतान में पूर्व भुगतान शुल्क	
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 6 महीने तक भुगतान किया जाता है	राशि का 5% जो आंशिक प्रीपेड है
यदि 6 महीने के बाद और अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	यदि वित्त वर्ष में कुल राशि पीओएस के 25% तक जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा (वित्त वर्ष की शुरुआत) वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 5 प्रतिशत, यदि सभी पार्ट प्रीपेड का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में मूलधन खोलने की 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाता है, यानी शुल्क उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्रीपेड कुल राशि पर लागू होगा।

यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	यदि पीओएस के 25% तक राशि जमा की जाती है तो कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा (वित्त वर्ष की शुरुआत)
	वित्त वर्ष में कुल आंशिक प्रीपेड राशि का 3%, यदि सभी भाग पूर्व भुगतान का योग वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक मूलधन के 25% को पार कर जाता है। उसी वित्त वर्ष में आंशिक रूप से प्रीपेड की गई कुल राशि पर शुल्क लागू होगा।
प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क पूर्ण समापन में	
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने के बाद भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 4%

*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा। नोट:

- शुल्कों की अनुसूची एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- उपरोक्त शुल्क अधिकतम हैं; उपरोक्त से कम के लिए अनुमोदन के अनुसार संबंधित प्राधिकरण के साथ अनुमोदित किया जाएगा।
- प्रचलित दर के अनुसार लागू जीएसटी और अन्य सरकारी कर शुल्क और शुल्क के अतिरिक्त लिए जाएंगे।
- यदि ग्राहक किश्तों में आंशिक भुगतान करता है, तो जिस किश्त में वित्त वर्ष में किए गए कुल भाग पूर्व-भुगतान वित्त वर्ष की शुरुआत में पीओएस के 25% को पार कर जाते हैं, तो उसी वित्त वर्ष में पहले किए गए सभी आंशिक भुगतानों पर पूर्व भुगतान शुल्क लागू होंगे।
- प्रशासनिक शुल्क केवल पीएमएवाई-सीएलएसएस/आईएसएस मामलों में लागू है, पीएमएवाई-सीएलएसएस/आईएसएस मामलों में, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क केवल गैर-पीएमएवाई-सीएलएसएस/आईएसएस मामलों में लागू है, गैर-पीएमएवाई-सीएलएसएस/आईएसएस मामलों में, कोई प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- उपरोक्त सभी शुल्क और शुल्क समय-समय पर बैंक के विवेक के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। शुल्क और शुल्क में परिवर्तन बैंक की वेबसाइट (www.au.bank.in) पर अपडेट किए जाते हैं।
- शुल्क लगाने की तारीख पर लागू और बैंक के प्रभारों की अनुसूची में परिलक्षित होने वाले प्रभार लागू और बाध्यकारी होंगे।

अनुलग्नक ए

मुख्य तथ्य कथन

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/शुल्क)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.		ऋण का प्रकार	गृह निर्माण
2	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)			
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम रूप से। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें			चरणों में संवितरण कृपया स्वीकृति पत्र में संवितरण के तरीके के खंड का उल्लेख करें
4	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)			महीने
5	किस्त का विवरण			

किश्तों का प्रकार		ईएमआई की संख्या		ईएमआई (₹)		मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
मासिक पत्रिका						हर महीने की 12 तारीख	
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या परिवर्तनीय या फ्लेक्सी)				14% (फ्लेक्सी)		
7	ब्याज की परिवर्तनीय दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी						
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('R' में 25 bps परिवर्तन के लिए, बदलें: ३.)	
				जन्म	दक्षिणी	ईपीआई (₹)	नहीं। ईपीआई की संख्या
रेपो दर	एन / ए	एन / ए	एन / ए		-	-	एन / ए
8	शुल्क/शुल्क						
		आरई (ए) के लिए देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय			
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या लागू प्रतिशत (%)	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो		
1	प्रोसेसिंग फीस	एक बार	11045.00				
2	प्रशासनिक शुल्क	एक बार	0.00				
3	मूल्यांकन शुल्क	एक बार	2950.00				
4	कानूनी आरोप	एक बार	4130.00				
5	आरसीयू शुल्क	एक बार	0.00				
6	Cersai शुल्क	एक बार	118.00				
7	संपार्श्विक बीमा (संपत्ति)			एक बार	0.0		
8	ऋण सुरक्षा प्रीमियम			एक बार	0.0		
9	केयर सीआई और पीए			एक बार	14042.00		
10	चोला, एमएस, पीए और HDC_HL			एक बार	0.00		
11	स्टार HI, PA और HDC_HL			एक बार	0.00		
12	स्टार HI GCI और PA_HL			एक बार	0.00		
13	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीपीए और एचडीसी एचएल			एक बार	0.00		
14	अभि पीए और HDC_HL			एक बार	0.00		
15	आईसीआईसीआई Lombard_BGR_HL			एक बार	0.00		
16	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीसीआई और पीए एचएल			एक बार	0.00		
17	केयर पीए और HDC_HL			एक बार	0.00		

18	आईसीआईसीआई Lombard_AUSS			एक बार	0.00						
19	आदित्य बिड़ला सीआईपीए v2.0 एचएल			एक बार	0.00						
20	ABHI_AUSS			एक बार	0.00						
21	CARE_AUSS			एक बार	10209.00						
22	एयू एसएस Insurance_TATA AIG_HL			एक बार	0.00						
23	एयू एसएस Insurance_CHOLA MS_HL			एक बार	0.00						
24	स्टार HI AU SS_HL			एक बार	0.00						
25	कोटक जीवन Insurance_AHL			एक बार	0.00						
26	स्टैंडअलोन ईएमआई प्रोटेक्ट			एक बार	0.0						
27	PA+ EMI प्रोटेक्ट			एक बार	0.0						
28	सीआईपीए			एक बार	0.0						
29	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड- Hospicash_AHL			एक बार	0.00						
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)		15.43 %								
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)										
(i)	भुगतान में देरी के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो,			ईएमआई डिफॉल्ट पर दंड शुल्क: 0.65 रुपये प्रति रुपये 1000 (या उसका हर हिस्सा) होगा							
				अतिदेय किस्त पर प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है।							
(iii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो			एनए							
(iii)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो			<table><tr><td>यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है</td><td>बंद होने के समय शेष राशि का 5%।</td></tr><tr><td>अगर भुगतान बाद में 12 महीने और 36 महीने तक पिछला संवितरण तिथि</td><td>बंद होने के समय शेष राशि का 4%।</td></tr><tr><td colspan="2">*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।</td></tr></table>		यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।	अगर भुगतान बाद में 12 महीने और 36 महीने तक पिछला संवितरण तिथि	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।	*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।	
यदि अंतिम संवितरण तिथि से 12 महीने तक भुगतान किया जाता है	बंद होने के समय शेष राशि का 5%।										
अगर भुगतान बाद में 12 महीने और 36 महीने तक पिछला संवितरण तिथि	बंद होने के समय शेष राशि का 4%।										
*गृह ऋण/व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए परिवर्तनीय/फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, पूर्व भुगतान शुल्क शून्य होगा।											
(iv)	ऋणों को वेरिएबल/फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋणों को बदलने के लिए शुल्क			बकाया मूलधन का 1%							
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)			(प्रभारों की अनुसूची के अनुसार) - https://www.au.bank.in/service-fee							

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	उपवाक्य का ऋण करारनामा संबंधित वसूली एजेंटों की सगाई के लिए	बैंक, अपने विवेकाधिकार में, समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तीसरे पक्ष (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से। उधारकर्ता बैंक को इस बात की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से सहमति देता है कि चूक की घटना होने पर, बैंक या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने नियुक्त तृतीय पक्षों (वसूली एजेंटों सहित) के माध्यम से उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करने के लिए उधारकर्ता/गारंटर से संपर्क करने के लिए अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए बैंक को प्रदान करता है और उन्हें संबंधित प्रासंगिक विवरण का खुलासा करता है। ऋण। बैंक ने बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति ब्याज के कब्जे की नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीति देय राशि के संग्रह और प्रतिभूति के पुनः कब्जे के संबंध में उचित प्रथाओं को सूचीबद्ध करती है और इस प्रकार ग्राहकों के विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देती है। बैंक बकाया राशि के संग्रह और प्रतिभूति के पुनः कब्जे के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। विस्तृत नीति को नोटिस बोर्ड के तहत एयू बैंक की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।									
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	समझौते/नियम और शर्तों से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के निवारण के लिए, उधारकर्ता बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित निवारण तंत्र को अपना सकता है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है www.au.bank.in और/या मैट्रिक्स के अनुसार नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है और यहां दिए गए ईमेल/फोन नंबर पर संपर्क कर सकता है।									
3	नोडल का फोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायत निवारण अधिकारी	<table border="1"> <tr> <td>स्तर 1</td><td>कॉल सेंटर</td><td> कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं। </td></tr> <tr> <td></td><td>शाखा</td><td> (कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं) </td></tr> <tr> <td>स्तर 2</td><td>क्षेत्रीय नोडल अधिकारी</td><td> ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https:// www.au.bank.in/shikayat_nivaran_tantra_grievanceredressalmechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें। </td></tr> </table>	स्तर 1	कॉल सेंटर	कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं।		शाखा	(कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं)	स्तर 2	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https:// www.au.bank.in/shikayat_nivaran_tantra_grievanceredressalmechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें।
स्तर 1	कॉल सेंटर	कॉल करें: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in प्रतिक्रिया/शिकायतें: कृपया "हमसे संपर्क करें" लिंक या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर www.au.bank.in पर जाएं।									
	शाखा	(कृपया निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए www.au.bank.in पर जाएं)									
स्तर 2	क्षेत्रीय नोडल अधिकारी	ग्राहक की संतुष्टि के लिए 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को भेज सकता है। कृपया "हमसे संपर्क करें" पर www.au.bank.in पर जाएं और "प्रधान नोडल अधिकारी और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों का विवरण" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी: https:// www.au.bank.in/shikayat_nivaran_tantra_grievanceredressalmechanism.pdf के विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक पर पहुंचें।									

		स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या यदि ग्राहक 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो विभिन्न शिकायत समाधान चैनलों से संपर्क करने के बाद भी, शिकायत को प्रधान नोडल अधिकारी के पास भेजा जा सकता है: श्री पंकज गुप्ता पता: CP3- 235, औद्योगिक क्षेत्र, वेश-भूषा पार्क, विशाल भवन रोड जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन - 302022 संपर्क नंबर:0141-6660645 ईमेल:pno@aubank.in
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में हो सकता है,			
	विषय सेवा मेरे स्थानांतरण सेवा मेरे आरई या प्रतिभूतिकरण (हां/नहीं)	हाँ		
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-उधार/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:			
मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ		मिश्रित ब्याज दर
एन / ए		एन / ए		एन / ए
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:			
(i) संशोधित अनुमान के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा		एन / ए		
(ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए प्राधिकृत एलएसपी का ब्यौरा		एन / ए		

अनुलग्नक बी

गृह निर्माण के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

Sr.No।	प्राचल	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 2 - भाग 1)	
2	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 4 - भाग 1)	
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो,	

d)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 5 - भाग 1)	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या परिवर्तनीय या फ्लोइंग) (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 6 - भाग 1)	
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 6 - भाग 1)	
5	स्वीकृति तिथि को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
A	आरई के लिए देय (केएफएस टेम्पलेट-भाग 8 का एसएल नंबर 1)	
जन्म	आरई के माध्यम से रूट किए गए तृतीय-पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट का एसएल नंबर 8बी - भाग 1)	
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 की राशि) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट-भाग 1 का क्रम संख्या 9)	
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

उधारकर्ता और गारंटर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस समझौते की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है अनुसूची, मुख्य तथ्य विवरण और उसके अनुलग्नक, और इस समझौते के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जिसका प्रमाण है। उधारकर्ता और गारंटर आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस समझौते के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस समझौते के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता और गारंटर इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समझौते में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उधारकर्ता और गारंटर ने स्वेच्छा से इस समझौते में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का अर्थ इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस समझौते को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस समझौते को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

अनुलग्नक- A

(एसएमए, एनपीए वर्गीकरण और सावधि ऋण मामलों के एनपीए उन्नयन का उदाहरण)

1. आईआरएसी परिपत्र पैरा नंबर 2.1.2 का उल्लेख करें (i) - सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है

उदाहरण विवरण- अतिदेय तिथि के आधार पर सावधि ऋण मामलों का एसएमए और एनपीए वर्गीकरण।

उदाहरण विवरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि को डेएंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे नीचे दी गई तालिका के रूप में और विस्तृत किया गया है:

तारीख	डीपीडी	वर्गीकरण
31-मार्च-21 (नियत तारीख)	1/अतिदेय	एसएमए-0

आईआरएसी परिपत्र पैरा संख्या 4.2.5 का उल्लेख करें - यदि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है, तो खाते को अब गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और इसे 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

एनपीए खाते का उन्नयन: एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, यदि ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाता है।

तारीख	देय राशि	डीपीडी	वर्गीकरण

*बैंक द्वारा उधारकर्ता से कुल लंबित देय राशि _____ प्राप्त होने के बाद खाते का मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है

2. आईआरएसी परिपत्र संदर्भ पैरा नंबर 4.2.7 (सी) -परिसंपत्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होना चाहिए और सुविधा-वार नहीं

पैरा संख्या 4.2.7.1 - ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जब उधारकर्ता को केवल एक सुविधा/उधारकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूतियों में एक निवेश एक समस्या ऋण/निवेश बन जाता है, न कि अन्य। इसलिए, बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में माना जाएगा, न कि विशेष सुविधा/निवेश या उसका हिस्सा जो अनियमित हो गया है।

उदाहरण विवरण - एनपीए वर्गीकरण उधारकर्ता के आधार पर और सुविधा के अनुसार नहीं।

उदाहरण: यदि ग्राहक की किसी भी सुविधा को आज की तारीख में दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ग्राहक की सभी सुविधाओं को उसी दिन एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसे नीचे दी गई तालिका के रूप में समझाया गया है:

कस्टमर आईडी	सुविधा का नाम	तारीख	एनपीए कारण

आईआरएसी परिपत्र पैरा नंबर 4.2.5 का उल्लेख करता है - यदि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है, तो खाते को अब गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और इसे 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण विवरण - एनपीए खाते का उन्नयन: एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को अपग्रेड किया जा सकता है यदि उधारकर्ता की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है

कस्टमर आईडी	सुविधा का नाम	तारीख	एनपीए कारण
A			
A			
A			
A			
A			
A			

*उधारकर्ता के खातों का मानक में उन्नयन तब किया जा सकता है जब उधारकर्ता की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान किया जाता है

उधारकर्ता का नाम	(हस्ताक्षर)
सह-उधारकर्ता का नाम	(हस्ताक्षर)
गारंटर का नाम	(हस्ताक्षर)

अनुलग्नक बी

सामान्य ग्रहणाधिकार का पत्र और सेट ऑफ

सेवा मेरे
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,
32, सी हेडगेवार नगर रीवा, रेडियो कॉलोनी के सामने
("ऋणदाता/बैंक"),

ऋणदाता के पक्ष में सृजित जमाओं/ऋण शेषों/माजन भुगतानों/धनियों के संबंध में सेट-ऑफ और ऋणदाता द्वारा 1000 रुपये का ऋण/सुविधा प्रदान करने या उपलब्ध कराने को जारी रखने के विचार में संपत्तियों, प्रतिभूतियों, परिसंपत्तियों, प्राप्तिओं और प्रतिभूति हितों (प्रतिभूति) के क्रॉस कोलैटरलीकरण/क्रॉसलिंग के संबंध में सेट-ऑफ।

_____ अधोहस्ताक्षरी को hindi _____ ("सुविधा") में, स्वीकृति पत्र रेफरी की शर्तों के अनुसार दिनांक _____

अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि: -

एक. बैंक, किसी भी समय, अधोहस्ताक्षरी (जो भी प्रकृति का) के सभी या किसी भी मौजूदा खातों को संयोजित या समेकित कर सकता है और किसी भी अन्य खाते पर या किसी अन्य संबंध में बैंक के प्रति अधोहस्ताक्षरी की किसी भी देनदारियों की संतुष्टि के लिए किसी भी एक या अधिक ऐसे खातों के क्रेडिट में खड़ी किसी भी रकम को सेट या स्थानांतरित कर सकता है, चाहे मूलधन के रूप में, या जमानत के रूप में या अन्यथा, चाहे ऐसी देनदारियां वर्तमान या भविष्य, वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक और कई या संयुक्त हों।

दो. अधोहस्ताक्षरी: - (ए) न तो ऐसी किसी भी राशि को वापस लेगा और न ही वापस लेने का हकदार होगा (ताकि बैंक के पास अधोहस्ताक्षरी को ऐसी किसी भी राशि को जारी करने या चुकाने का कोई दायित्व नहीं होगा) और ऐसा कोई कार्य या काम नहीं करेगा जो किसी भी तरह से ऐसी रकम को बनाए रखने के बैंक के अधिकार में देरी या पूर्वाग्रह कर सकता है और/या ऐसी रकम के सभी या किसी भी हिस्से को इस तरह के भुगतान में या उसके लिए लागू कर सकता है, निर्वहन या संतुष्टि; (बी) बंधक, प्रभार, गिरवी, परिकल्पना या अन्यथा भार नहीं देगा या असाइन नहीं करेगा, सुरक्षित करेगा, नवीकरण करेगा, हस्तांतरण करेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा या किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों को उत्पन्न करने के लिए या उसके खिलाफ (बैंक के पक्ष में पहले से ही बनाए गए भार को छोड़कर) और/या पूरी या ऐसी रकम का कोई हिस्सा नहीं करेगा।

तीन. बैंक अपने पूर्ण विवेक में, किसी भी समय और समय-समय पर किसी भी अन्य लेनदार को सूचित करने के लिए अधिकृत है यहाँ निर्धारित शर्तों और उपक्रमों के अधोहस्ताक्षरी;

चार. समझौते और/या समझौते के तहत बढ़ाई गई ऋण/सुविधा को आगे बढ़ाने में निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद या ऋणदाता द्वारा पहले से ही बढ़ाई गई सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए निष्पादित किया गया है या ऋणदाता द्वारा बढ़ाया जाना है (जिसमें ऋणदाता की सहायक कंपनियां, सहयोगी / सहयोगी संस्थाएं शामिल होंगी) भविष्य की तारीख ("लेनदेन दस्तावेज") में।

अ. वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत प्राप्त सुविधा (सुविधाओं) के लिए अधोहस्ताक्षरी या किसी अन्य बाध्यकारी द्वारा बनाई गई सुरक्षा भी इसके लिए एक सतत सुरक्षा होगी:

(१) अन्य सभी धनराशि जो पहले से ही प्राप्त की गई या ऋणदाता से प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा देय और देय हो सकती है।

(२) समय-समय पर घोषित अधोहस्ताक्षरी समूह कंपनियों/सहयोगियों/सहयोगियों को दी गई सुविधा/जारी रखी गई है।

आ कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा बनाई गई कोई भी प्रतिभूति और/या, किसी अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत निष्पादित या ऋणदाता के पक्ष में निष्पादित किया जाना है और जिसके खिलाफ ऋणदाता पहले ही विस्तारित कर चुका है या सुविधा का विस्तार करेगा, वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत विस्तारित सुविधा के लिए एक सतत सुरक्षा होगी और सुरक्षा पहले से ही बढ़ाई गई या बढ़ाई जानी है, तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक कि ऋणदाता से पहले से ही प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली सभी सुविधाओं का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है।

इ कि ऋणदाता के पास किसी भी लेनदेन के तहत ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई ऐसी सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ का अधिकार होगा वर्तमान में, अतीत में या भविष्य में, और अधोहस्ताक्षरी के सभी धन, जमा, संपत्ति और अन्य संपत्तियों के खिलाफ निष्पादित दस्तावेज, जो अधोहस्ताक्षरी को 07 दिनों की पूर्व सूचना देकर ऋणदाता (या इसकी किसी भी समूह कंपनी) के साथ/नियंत्रण में जमा किए जाते हैं।

ई ऋणदाता अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोकने और/या कोई बकाया प्रमाण पत्र जारी करने को रोकने और/या अपने विवेकाधिकार में, किसी भी ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा के लिए बनाई गई प्रतिभूति को रोक सकता है, जो वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा का लाभ उठाने से पहले या बाद में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त अन्य सभी ऋण/सुविधा/ऋण सुविधा के बंद होने तक लंबित है।

उ समझौते के तहत बनाई गई प्रतिभूति और अधोहस्ताक्षरी की देयता को किसी भी अधोहस्ताक्षरी के नाम में किसी भी परिवर्तन, विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) द्वारा प्रभावित, बिगड़ा या निर्वहन नहीं किया जाएगा।

ऊ ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए जा रहे किसी भी चूक की स्थिति में, जिसके तहत अधोहस्ताक्षरी वित्तीय/ऋण सुविधा का आनंद ले रहा है, ऐसी घटना को वर्तमान लेनदेन दस्तावेजों के तहत होने वाली चूक की घटना के रूप में माना जाएगा और ऋणदाता समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा, जिसमें किसी भी राशि के संबंध में सेट ऑफ करने का अधिकार शामिल है। बैंक से प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले किसी भी ऋण/सुविधा (ऋण) में अधोहस्ताक्षरी का ऋण।

पाँच. यहाँ कुछ भी बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ या अन्य अधिकारों या उपचारों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करेगा, चाहे वह कानून द्वारा हो या अन्यथा, और सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ और क्रॉस कोलैटरलाइजेशन का यह पत्र बैंक द्वारा अभी या इसके बाद आयोजित किसी भी ग्रहणाधिकार, गारंटी, बंधक, हाइपोथिकेशन या सुरक्षा के प्रति प्रतिकूल और प्रतिकूल प्रभाव के बिना है;

छः. सामान्य ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ और क्रॉस कोलैटरलाइजेशन का यह पत्र भारत के कानूनों के अनुसार शासित है और इसका अर्थ लगाया जाएगा और इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी जयपुर में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करता है। अधोहस्ताक्षरी आगे बैंक के अनुरोध पर, अधोहस्ताक्षरी की ओर से भारत में किसी भी कानूनी प्रक्रिया की सेवा स्वीकार करने के लिए भारत में एक पते के साथ एक एजेंट को नामित करने का वचन देता है और ऐसा एजेंट बैंक को लिखित रूप में स्वीकार करेगा कि ऐसे एजेंट के रूप में इसकी नियुक्ति और ऐसे एजेंट पर कानूनी प्रक्रिया की सेवा को अधोहस्ताक्षरी पर सेवा का गठन माना जाएगा।

सात. अधोहस्ताक्षरी स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस पत्र की तारीख इस पत्र में उल्लिखित तारीख होगी। यदि इस पत्र में तारीख खाली रखी गई है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार उधारकर्ता/निष्पादक द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

नाम	दस्तखत देखिए।	तारीख	स्थान
कर्जदार			
सह-उधारकर्ता			
प्रतिभू			

पावती पत्र

कृपया ("उधारकर्ता") को दिए गए Rs _____ ("ऋण") के ऋण को ध्यान में रखते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") को जमा किए गए चेकों का विवरण नीचे देखें।

चेक का प्रकार	चेकों की संख्या	चेक नंबर	बैंक का नाम
पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)	0		
सुरक्षा पीडीसी (एसपीडीसी)	0		
अतिरिक्त चेक	0		

बैंक पुष्टि करता है कि भौतिक चेक उपरोक्त अनुसूची के साथ मिलान किए गए थे और सही पाए गए थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नीचे दी गई हमारी स्वीकृति की जानकारी/शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपनी सहमति के प्रतीक के रूप में, कृपया इस पत्र की डुप्लिकेट प्रति पर हस्ताक्षर करें और इसे हमें वापस कर दें।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने बैंक को 0 नंबर सौंप दिया है। बैंक से लिए गए ऋण के लिए ईएमआई (पीडीसी) और/या प्रतिभूति (एसपीडीसी) के रूप में चेकों की संख्या और यह कि सभी चेक "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित किए गए थे और सभी चेकों के पीछे की ओर मेरा नाम भी दर्ज किया गया था। मैं/हम एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार उक्त चेक पर तारीख और राशि भरने और सभी प्रकार से चेक को पूरा करने और भुगतान के लिए प्रस्तुत करने के लिए बैंक के अधिकार को अधिकृत और पुष्टि करते हैं। मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चेक का सम्मान किया जाए। मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि मैंने/हमने उधारकर्ता द्वारा बैंक को दिए गए कानूनी ऋण के निर्वहन में स्वेच्छा से उपरोक्त चेक जारी किए हैं। मैं/हम सहमत हूं, स्वीकार करता हूं और पुष्टि करता हूं कि चेक का उपयोग बैंक द्वारा बैंक द्वारा किए गए विभिन्न संवितरणों के तहत उधारकर्ता से बैंक को देय कानूनी ऋणों की वसूली के लिए किया जाना है और इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए चेक का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है। मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मेरे द्वारा जारी किए गए और भुगतान के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी चेक का कोई भी अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के तहत अपराध होगा और बैंक मुझे/हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता है जैसा कि सलाह दी जा सकती है। मेरे द्वारा जारी किए गए चेक समाप्त होने से पहले, मैं/हम बैंक को नए चेक जारी करेंगे, और ऐसे लिखत इस पत्र के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। मैं/हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, जो किसी भी तरह से बैंक को उसके तहत भुगतान को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना रखता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, भुगतान रोकने के निर्देश शामिल हैं। इस घटना में कि इसके संबंधित बैंक खातों (खातों) के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में कोई परिवर्तन होता है, मैं/हम या तो उस बैंक को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय निर्देश देंगे जिस पर चेक निकाले गए हैं ताकि ऐसे सभी चेक (जिनका विवरण बैंक को प्रदान किया जाएगा) को मंजूरी दे और सम्मानित किया जा सके, जिसमें परिवर्तन से पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर हों या, विकल्प में, मैं/हम बैंक को नए चेक जारी करेंगे या नए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नए चेक जमा करेंगे, जैसा भी मामला हो। जबकि बैंक द्वारा चेकों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और उन्हें एजेंटों, कूरियर एजेंसियों, संवाददाता बैंकों (बैंकों) के माध्यम से उठाया जाएगा, संसाधित किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी, यह पूरी तरह से मेरे जोखिम और लागत पर होगा। यदि मुझे/हमारे द्वारा उपर्युक्त रूप से जारी किया गया कोई भी चेक पारगमन में खो जाता है या गुम हो जाता है या किसी भी कारण से हो जाता है, तो मैं/हम इस संबंध में बैंक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत बैंक को प्रतिस्थापन चेक देने के लिए सहमत हैं। यदि मैं/हम बैंक को दिए गए चेक रद्द कर देते हैं या संबंधित बैंक खाते (खातों) को बंद कर देते हैं या संबंधित बैंक खाते के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बदल देते हैं या बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना चेक रद्द करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कार्यों को बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आपराधिक इरादे से किया गया माना

जाएगा और इसे डिफॉल्ट की घटना के रूप में माना जाएगा और बैंक हकदार होगा लागू कानून (कानूनों) के तहत बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपराधिक कार्यवाही सहित उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए।

डिजिटल साइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

- एक. इस पावती पत्र ("एसपीडीसी पावती पत्र") के निष्पादन की तारीख नीचे उल्लिखित तिथि होगी। यदि तारीख को नीचे खाली रखा गया है और दस्तावेज़ डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस एसपीडीसी पावती पत्र के निष्पादन की तारीख वह तारीख होगी जब एसपीडीसी पावती पत्र पर अंतिम बार किसी भी पक्ष द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधाओं के संबंध में निष्पादित दस्तावेज़ों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज़ पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
- दो. मैं/हम इस एसपीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टैम्पिंग और/या निष्पादन के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और सहमति देते हैं पावती पत्र और संबंधित दस्तावेज़ बैंक द्वारा किसी भी तरीके से फिट समझे जाते हैं, जिसमें आधार या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करना शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है।
- तीन. मैं/हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, सहमति देते हैं और बैंक को इसे प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए मेरे/हमारे/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार विवरण और कोर बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और सहमति देते हैं कि ओटीपी दर्ज करके और/या मेरे/हमारे/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का फिंगरप्रिंट इंफ्रेशन (बायोमेट्रिक केवाईसी) प्रदान करके, मैं/हम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बैंक को पैन को मान्य करने और आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण का उपयोग करने के लिए निहित और स्वेच्छा से सहमति देते हैं और मैं/हम एतद्वारा बैंक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और विशिष्ट पहचान से मेरे/हमारे/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं भारतीय प्राधिकरण (यूआईडीएआई) क्रमशः
- चार. मैं/हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, सहमति देते हैं और स्वीकार करते हैं कि एसपीडीसी पावती पत्र और संबंधित दस्तावेज़ों को बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता के माध्यम से निष्पादित/डिजिटल रूप से मुद्रांकन/संग्रहीत किया जा सकता है और निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग, डेटा भंडारण आदि से संबंधित ऐसे प्लेटफॉर्म की शर्तों को भी स्वीकार किया जा सकता है। मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि इस तरह के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार किए गए और/या निष्पादित दस्तावेज़, मुझे/हमारे लिए वैध और बाध्यकारी होंगे और बैंक द्वारा साक्ष्य के उचित रूप के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता है और मैं/हम इस पर स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निष्पादित दस्तावेज़ों के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न नहीं उठाने का वचन देते हैं। बैंक या ऐसे तृतीय पक्ष विक्रेता आईपी पते, कंप्यूटर के स्थान या निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण और लेनदेन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित सभी डेटा एकत्र करने के हकदार होंगे।
- पाँच. मैं/हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंक/तीसरे पक्ष के विक्रेताओं/एजेंटों आदि से प्राप्त और/या भेजा गया कोई भी संचार, चाहे बैंक के पास उपलब्ध मुझे/हम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी (आईडीओ) पर एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से हो, मुझे/हमारे लिए वैध और बाध्यकारी माना जाएगा। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं, सहमति देते हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक मुझे/हमारे/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को संचार के लिए वैध और अनुमत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी के रूप में मानने के लिए स्वतंत्र होगा।
- छः. मेरे/हमारे/उधारकर्ता के खाते में सुविधाओं का संवितरण सुविधाओं का लाभ उठाने और एसपीडीसी पावती पत्र और सुविधा समझौते और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज़ों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए मेरे/हमारे/उधारकर्ता और/या गारंटर की निहित सहमति होगी और यह मुझे/हमारे लिए वैध और बाध्यकारी होगा और अधिकृत भागीदारों/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार के संबंध में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा। बैंक के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज़ों का सम्मान।
- सात. मैं/हम अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं और सहमति देते हैं कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा किसी भी ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित/ई-हस्ताक्षर/चिपकाने के लिए अधिकृत है, जैसा कि बैंक द्वारा वांछित हो सकता है। मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं/हम इस एसपीडीसी पावती पत्र के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह से अद्यतन और किसी भी वायरस, खराबी या साइबर संबंधी खतरों से सुरक्षित रखेंगे। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि न तो बैंक या कोई ई-सेवा/सॉफ्टवेयर प्रदाता मध्यस्थ मेरे/हमारे उपकरणों, अन्य सॉफ्टवेयर, सुविधाओं, मेरे द्वारा नियोजित तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की किसी भी विफलता या दोष के लिए या बैंक के ई-प्लेटफॉर्म/डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में या बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी विक्रेता और इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल मुद्रांकन और/या निष्पादन के माध्यम से किसी भी कारण से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस एसपीडीसी पावती पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की।
- आठ. खंड 1-7 में उल्लिखित प्रावधान सुविधाओं के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा डिजिटल रूप से निष्पादित सभी दस्तावेज़ों पर लागू होंगे।
- नौ. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं, स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि वेबसाइट या ऐसे अन्य इंटरनेट या वेब-आधारित साधनों के माध्यम से किसी भी परिशिष्ट सहित इस एसपीडीसी पावती पत्र की ऑनलाइन स्वीकृति पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध में परिणाम देती है।

दस. मैं/हम जानते हैं कि इस एसपीडीसी पावती पत्र, इसके किसी भी परिशिष्ट और नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार ("संचार") को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से प्रसारित करने में धोखाधड़ी वाले परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम शामिल हैं। हालांकि, मैं/हम इस एसपीडीसी पावती पत्र के तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैंक से संचार प्राप्त करने और उसे संचार प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिसमें सुविधा और उसके संचालन के संबंध में भी शामिल हैं।

बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने को ध्यान में रखते हुए, मैं/हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, पुष्टि करते हैं और बैंक को निम्नानुसार वचन देते हैं: (क) बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने का हकदार होगा (और इसे वास्तविक मानते हैं)। इस प्रश्न के मामले में कि कौन से संचार प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए थे, बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा। (ख) मैं/हमने यह सुनिश्चित किया है और यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं और मैं/हम एतद्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (ग) मैं/हम एतद्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक संचार के संपूर्ण या किसी भी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार संप्रेषित संचार में दिखाई दे सकता है और यह मेरे/हमारे एकमात्र जोखिम पर होगा। (घ) बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी भी कार्य या कार्य करने से इनकार या चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (ङ) बैंक को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले लिखित रूप में संचार की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और लिखित रूप में ऐसे संचार की गैर-डिलीवरी और गैर-अनुरूपता किसी भी तरह से इस एसपीडीसी पावती पत्र या अन्यथा के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। (च) बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार के संबंध में उधारकर्ता को प्रदान की गई सुविधाओं/सुविधाओं को वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है या जोड़ सकता है। (छ) मैं/हम इस बात से अवगत हैं कि बैंक इस खंड में निहित वचन और क्षतिपूर्तियों के कारण और उन पर भरोसा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी संचार पर कार्रवाई करने के लिए सहमत है।

उधारकर्ता और गारंटर इस दस्तावेज की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ने और समझने की बात स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस दस्तावेज में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इस दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जो इसका प्रमाण देता है। उधारकर्ता और गारंटर आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता और गारंटर ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले इसके ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

दिनांक और स्थान	दिनांक: स्थान: रीवा
खाताधारक का नाम	
खाताधारक के हस्ताक्षर	

डेबिट प्राधिकरण पत्र

प्रति,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
19-ए, धुलेश्वर गार्डन,
अजमेर रोड,
जयपुर - 302001

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: डेबिट प्राधिकरण

यह स्वीकृति पत्र संदर्भ संख्या के संदर्भ में है। 900239629 दिनांक 30/04/2026 ("स्वीकृति पत्र") एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत हमें 624,000 रुपये की सीमा तक गृह निर्माण ("ऋण") के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया है।

मैं/हम, एतद्वारा बैंक को अपरिवर्तनीय रूप से मेरे ऋण खाते को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसमें आवेदन संख्या 900239629 और/या एसबी/सीए/सीसी/उपरोक्त ऋण के संबंध में और पूर्वोक्त स्वीकृति पत्र में उल्लिखित स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क, ब्याज, किस्त, व्यय, अन्य शुल्क, कमीशन, लागत, बीमा प्रीमियम और मूल राशि के लिए इंडियन बैंक, रीवा मुख्य शाखा में बैंक के साथ ओडी खाता संख्या 21006717684 रखा जाता है।

मैं/हम जानते हैं कि इस पत्र में व्यक्त किए गए अभ्यावेदन और आश्वासनों पर, बैंक मुझे/हमें उक्त ऋण स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है।

मैं/हम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि इस पत्र की तारीख नीचे बताई गई है। यदि तारीख खाली रखी जाती है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार मेरे / हमारे द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। आपका अपना

दिनांक और स्थान:	तिथि : स्थान :
उधारकर्ता का नाम:	(हस्ताक्षर)
सह-उधारकर्ता का नाम:	(हस्ताक्षर)

अंतिम उपयोग पत्र

प्रति,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
32, सी हेडगेवार नगर रीवा, रेडियो कॉलोनी के सामने

रेफरी: ऋण आवेदन संख्या। _____ के नाम पर _____
उप: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") से उधार लिए गए धन का अंतिम उपयोग

प्रिय महोदय,

दिनांक _____ के अनुसार, मैं/हम ऋण समझौते दिनांक ("ऋण समझौते") के माध्यम से _____ रुपये ("सुविधा") की ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

इस सुविधा का उपयोग नीचे दिए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है/किया जाएगा:

घर का निर्माण

Other _____ (कृपया टिक-मार्क, जो भी लागू हो। मैं/हम एतद्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और किसी भी तरह से सट्टा या अवैध नहीं है।

मैं/हम आगे सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि सुविधा के तहत धन के उपयोग का उद्देश्य सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा/नहीं किया गया है; या यह कि उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन केवल बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के साथ होगा।

मैं/हम सहमत हैं कि पूर्वगामी में से किसी भी या किसी भी उल्लंघन का अनुपालन करने में कोई भी उल्लंघन या चूक ऋण समझौते के तहत चूक की घटना होगी और इसके परिणामस्वरूप बैंक अपने विवेकाधिकार पर आवश्यक त्वरित कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें सुविधा को वापस लेना और/या दंड शुल्क और/या अतिदेय ईएमआई/किश्त/राशि/ब्याज पर ब्याज लेना शामिल है। मैं/हम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि इस पत्र की तारीख नीचे बताई गई है। यदि तारीख खाली रखी जाती है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार मेरे / हमारे द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

दिनांक और स्थान:	तिथि : स्थान :
उधारकर्ता का नाम:	(हस्ताक्षर)
सह-उधारकर्ता का नाम:	(हस्ताक्षर)

सहमति पत्र

प्रति,
प्रबंधक,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
19-ए, धुलेश्वर गार्डन,
अजमेर रोड, जयपुर - 302001

पुनः _____ पक्ष में भुगतान करने के लिए सहमति

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं/हम बैंक से अनुरोध करते हैं कि वह स्वीकृति पत्र संख्या 199 के अनुसार ऋण _____ towards के पक्ष में 394,306 रुपये (आंकड़ों में) तीन लाख चौरानबे हजार तीन सौ छह (शब्दों में) के लिए चेक/डीडी/आरटीजीएस जारी करे। _____ dated एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी _____

मैं/हम बैंक को आश्वस्त करते हैं कि ऋण के तहत ईएमआई का पुनर्भुगतान मुझे/हमारे द्वारा ईएमआई की नियत तारीख यानी हर महीने की 12 तारीख को किया जाएगा मैं/हम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि इस पत्र की तारीख नीचे बताई गई है। यदि तारीख खाली रखी जाती है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार मेरे / हमारे द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

विवरण के पक्ष में भुगतान

Sr.No	प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड	बैंक का नाम	शाखा	भुगतान मोड समूह	कुल धनराशि
1							

आपको धन्यवाद,
आपका ईमानदारी से

दिनांक और स्थान:	तिथि : स्थान:
उधारकर्ता का नाम:	(दस्तखत)
कंपनी का नाम -कर्जदार:	(दस्तखत)
घोषणा बीटी मामलों के लिए	

मैं/हम, ____S/ओ ____R/____

एक. यह घोषणा करने वाला 1000 लाख रुपए की राशि के रूप में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है/कर रहा है। .

दो. कि संपत्ति _____ में स्थित है
("संपत्ति") वर्तमान में घोषणाकर्ता के स्वामित्व में गिरवी रखी गई है और संपत्ति के संबंध में सभी मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज क्रेडिट सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में जमा किए जाते हैं।

तीन. यह कि संपत्ति को क्रॉस कोलैटरलाइज्ड नहीं किया गया है और/या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान से घोषणाकर्ता द्वारा प्राप्त किसी अन्य ऋण सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं रखा गया है।

चार. यह कहना है कि घोषणाकर्ता 1000 करोड़ रुपए की संपूर्ण बकाया राशि अंतरित करने का इच्छुक है/कर रहा है। उक्त ऋण सुविधा के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") को ऋण के रूप में ऋण सुविधा के साथ-साथ घोषणाकर्ता का अपना योगदान (यदि कोई हो) के साथ।

पाँच. कि जमा की गई संपत्ति के संबंध में सभी मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज तभी जारी किए जाएंगे जब क्रेडिट सुविधा के तहत पूरी बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा और क्रेडिट सुविधा खाता बंद हो जाएगा।

छः. उस रिलीज के बाद, उपरोक्त संपत्ति के संबंध में मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज घोषणाकर्ता द्वारा बैंक द्वारा स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की सुरक्षा के रूप में बैंक के पास जमा किए जाएंगे।

कि घोषणाकर्ता, इसके द्वारा आगे घोषणा करते हैं और निम्नानुसार कार्य करते हैं:

घोषणाकर्ता एतद्वारा आश्वासन देता है और व्यक्तिगत रूप से सभी ऋणों और शुल्कों से मुक्त उपरोक्त संपत्ति के संबंध में मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और क्रेडिट सुविधा खाते के बंद होने के तुरंत बाद 45 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के साथ जमा करेगा।

घोषणाकर्ता एतद्वारा बैंक को ऋण सुविधा निकासी प्रमाण पत्र/बकाया नहीं प्रमाण पत्र सौंपने का वचन देता है, जो उपरोक्त ऋण सुविधा खाता बंद होने के बाद जारी किया जाएगा।

घोषणाकर्ता एतद्वारा यह वचन देता है कि निर्धारित अवधि के भीतर, बैंक के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और/या बैंक में जमा किए गए दस्तावेज अमान्य या अवैध पाए जाते हैं, तो यह बैंक के साथ निष्पादित ऋण दस्तावेजों के तहत चूक की घटना के बराबर होगा और बैंक स्वतंत्र होगा और शुरू करने का हकदार होगा ऋण दस्तावेजों और लागू कानूनों के तहत इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई उपलब्ध है।

घोषणाकर्ता एतद्वारा बैंक और उसके अधिकारियों को उपरोक्त संपत्ति के संबंध में मूल शीर्षक विलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने या बैंक के साथ अमान्य और अवैध दस्तावेजों को साझा करने में उपरोक्त विफलता के कारण बैंक को हुए या किए गए या किए गए या हुए किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

घोषणाकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि इस पत्र की तारीख नीचे उल्लिखित तिथि होगी। यदि तारीख को खाली रखा जाता है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार घोषणाकर्ता ("अंतिम डिजिटल तिथि") द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे।

दिनांक और स्थान	तिथि : स्थान : रीवा
घोषणाकर्ताओं का नाम: 1. 2.	हस्ताक्षर: 1. _____ 2. _____

उपक्रम

मैं/हम, _____ वर्ष की आयु के _____ की _____ son/बेटी/पत्नी, जो _____ house, _____ में रहती हैं। ("आवेदक") _____ aged वर्ष के with _____ बेटे/बेटी/पत्नी के साथ, residing _____। (क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (क) क्या यह सच है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से स्वीकृति के निबंधन और शर्तों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इस उपक्रम की तारीख तक, हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि संपत्ति _____ ("संपत्ति") जिसे मुझे/हमारे द्वारा खरीदा जाना आवश्यक है और/या निर्माण किया जाना आवश्यक है, वह पहली आवासीय इकाई है और न तो मैं/हम और न ही मेरे/हमारे परिवार के किसी सदस्य के पास भारत के किसी भी हिस्से में आवासीय इकाई/आवासीय घर है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हैं कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए जो भी बयान मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं, और किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाया या गलत नहीं बताया गया है।

मैं/हम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि इस पत्र की तारीख नीचे बताई गई है। यदि तारीख खाली रखी जाती है और यदि दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो इस पत्र की तारीख वह तारीख होगी जब पत्र पर अंतिम बार मेरे / हमारे द्वारा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे ("अंतिम डिजिटल तिथि")। सुविधा/ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के संबंध में, वही समझ लागू की जाएगी जहां दस्तावेज पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

दिनांक और स्थान	तिथि : स्थान : रीवा
आवेदक का नाम:	(हस्ताक्षर)
सह-आवेदक का नाम:	(हस्ताक्षर)

उधारकर्ता द्वारा उपक्रम

(स्व निर्माण के लिए)

यह वचन Date _____ को रीवा में किया जाता है, by _____ के बेटे/बेटी/पत्नी _____ आयु _____ (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो और इसमें इसके उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारी (ओं) और पहले भाग के अनुमत असाइन (ओं) को शामिल किया जाए।

के पक्ष में:

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत एक लघु वित्त बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर - 302001, राजस्थान में है और एक शाखा कार्यालय है: Rewa_Hedgewar नगर इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है (जो अभिव्यक्ति होगी, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, दूसरे भाग के इसके उत्तराधिकारियों और असाइन करने वालों का मतलब समझा जाए और इसमें शामिल किया जाए।

जबकि:

एक. बैंक के पास अग्रिम गृह ऋण सुविधा ("ऋण") थी, जिसमें ऋण आवेदन no. _____ था, संपत्ति के पते _____ पर स्थित आवासीय भूखंड की खरीद के लिए और बाद में उस पर आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए, स्वीकृति पत्र संख्या में निर्धारित नियमों और शर्तों पर। _____ dated 30/04/2026 ("स्वीकृति पत्र") और बैंक के साथ निष्पादित ऋण समझौता ("ऋण समझौता") बैंक के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ।

दो. उक्त ऋण को आगे बढ़ाने के विचार में, बैंक ने उधारकर्ता से यह वचन पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- अ. उधारकर्ता को पता है और एतद्वारा स्वीकार किया जाता है कि बैंक द्वारा स्वीकृत वर्तमान ऋण के तहत, ऋण खाते में ऋण राशि का वितरण किशतों में किया जाएगा। आवासीय भूखंड की खरीद के लिए बैंक द्वारा पहली किशत का वितरण किया जाएगा और बाद में किशतों के वितरण को उधारकर्ता द्वारा उपरोक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों के निर्माण के चरण से जोड़ा जाएगा।
- आ. उधारकर्ता को इस बात की जानकारी है और एतद्वारा स्वीकार किया जाता है और इस बात से सहमत है कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधा स्थानीय कानूनों, अनुमोदन प्राधिकरण, राज्य / जिला विकास प्राधिकरण, कानूनों द्वारा भवन और अन्य प्राधिकरणों के परिपत्रों द्वारा विनियमित है, जिसमें उपरोक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों का आवश्यक निर्माण उधारकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक है। उधारकर्ता एतद्वारा स्वीकार करता है और बैंक द्वारा ऋण के पहले संवितरण की तारीख से 18 महीने के भीतर उक्त भूखंड पर आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू करने का वचन देता है।
- इ. उधारकर्ता बैंक द्वारा ऋण की पहली किशत के संवितरण से 12 महीने के भीतर उपरोक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू करने के लिए सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है और बैंक द्वारा ऋण की पहली किशत के संवितरण से 18 महीने के भीतर उक्त निर्माण को पूरा करेगा।
- ई. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि उधारकर्ता सरकारी प्राधिकरण विभाग द्वारा विधिवत अनुमोदित स्वीकृत योजना का उल्लंघन नहीं करेगा, और उपरोक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों का निर्माण अनुमोदित स्वीकृत योजना के अनुसार सख्ती से होगा, और यह उधारकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह आवास इकाइयों के निर्माण के पूरा होने के 3 महीने के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उपरोक्त आवासीय भूखंड।
- उ. यह उधारकर्ता जानता है और इसके द्वारा पुष्टि करता है और सहमत होता है कि बैंक को परिसर में प्रवेश करने और उपरोक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति और चरण का निरीक्षण और आकलन करने का पूर्ण अधिकार है। उधारकर्ता आगे सहमत होता है और पुष्टि करता है कि बैंक को इस उपक्रम के खंड सी में निर्धारित समय के भीतर आवास इकाइयों का निर्माण शुरू करने या पूरा करने में उधारकर्ता द्वारा विफलता की स्थिति में ऋण के तहत और / या आवासीय इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में अस्पष्टीकृत देरी और/या ऋण को वापस लेने का भी अधिकार है, यदि कोई हो, ऋण के तहत और / या आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में अस्पष्टीकृत देरी और/या उपर्युक्त आवासीय भूखंड पर आवासीय इकाइयों का निर्माण लागू भवन उप-नियमों/अनुमोदित स्वीकृति भवन योजना/भवन मानदंडों के अनुसार नहीं है और/अथवा उधारकर्ता द्वारा आवासीय इकाइयों के निर्माण के पूरा होने के 3 माह के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है।
- ऊ. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि उधारकर्ता द्वारा इस उपक्रम के खंड सी के तहत विशेष रूप से कवर की गई मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक उधारकर्ता के ऋण को "गैर-गृह ऋण" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा और "गैर-गृह ऋण" के लिए प्रचलित ब्याज दर के अनुसार ब्याज की लागू दर को रीसेट करेगा जो जोखिम समायोजित मूल्य निर्धारण के अनुसार होगा इस तरह के वर्गीकरण के बाद बैंक की नीति।
- ऋ. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि यह पूर्वोक्त अभ्यावेदनों, उपक्रमों और आश्वासनों के विश्वास पर है कि बैंक ऋण वितरित करने के लिए सहमत हो गया है और उधारकर्ता ऋण के तहत धन के किसी भी विचलन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि उधारकर्ता द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन और उपक्रमों के उल्लंघन या किसी भी गलत बयानी को ऋण समझौते और उपरोक्त ऋण के संबंध में बैंक के साथ निष्पादित अन्य दस्तावेजों के तहत चूक की घटना के रूप में माना जाएगा, और बैंक इस तरह के ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों और लागू कानूनों के तहत उपलब्ध उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ल. उधारकर्ता क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति, बचत, हानिरहित रखेगा और बैंक और उसके अधिकारियों का बचाव करेगा,

किसी भी दावे के खिलाफ, तीसरे पक्ष के मुकदमेबाजी, जोखिम, कार्यवाही, कार्यवाही, हानि, परिणाम, प्रभार, मांग, लागत, देनदारियां और व्यय, जो बैंक या बैंक के किसी भी निदेशक, लेखाकार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ किया जा सकता है या मांग की जा सकती है, उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी गलत प्रतिबद्धताओं या आश्वासन के कारण।

जिसके गवाह में उधारकर्ता ने इन उपहारों को दिन, महीने और वर्ष पर निष्पादित किया है, पहले यहां ऊपर उल्लेख किया गया है।

उधारकर्ता और गारंटर इस दस्तावेज़ की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ने और समझने की बात स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस दस्तावेज़ में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जो इसका प्रमाण देता है। उधारकर्ता और गारंटर आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता और गारंटर ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज़ में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले इसके ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

उधारकर्ता के लिए

उपर्युक्त उधारकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

नाम: हस्ताक्षर:

भीतर नामित उधारकर्ता की ओर से

घोषणा यदि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/बंधक(ओं) स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर करते हैं

ऋण आवेदन, स्वीकृति पत्र, ऋण करार, मुख्तारनामा की सामग्री, मालिकाना हक विलेखों के जमा करने का ज्ञापन, घोषणा, वचन पत्र और अन्य दस्तावेजों जैसे गारंटी पत्र और किसी भी अन्य संबंधित सहायक दस्तावेजों में नियम और शर्तें मेरे द्वारा आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता को हिंदी में समझाई गई हैं(उस भाषा का नाम जिसमें आवेदक/सह-आवेदक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं) और इसे आवेदक/सह-आवेदक/जमानतकर्ता/बंधककर्ता द्वारा समझा गया है।

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने विषय-वस्तु की व्याख्या की है	
उस व्यक्ति का नाम जिसने विषय-वस्तु की व्याख्या की है	मनीष केवट/483926
उस व्यक्ति का पता जिसने सामग्री की व्याख्या की है	32, सी हेडगेवार नगर रीवा, रेडियो कॉलोनी के सामने

English	☐	I/We confirm that the contents of the Application Form/ Loan Agreement / Sanction Letter / Terms and Conditions in other documents were read out and explained to me/us in English and I/We confirm to have understood the same.
Hindi	☒	मैं/हम यह पुष्टि करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि आवेदन पत्र / ऋण अनुबंध / स्वीकृति पत्र / अन्य दस्तावेजों में नियम और शर्तों की विषय-वस्तु को पढ़कर मुझे / हमें हिन्दी में समझा दिया गया है और मैं/हम इसे समझने की पुष्टि करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।
Assamese	☐	মই/আমি এইটো নিশ্চিত কৰো/ মই সেই আবেদন পত্ৰখন কৰো/কৰো/ ঋণ চুক্তি/ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ পত্ৰ অন্যান্য নথিপত্ৰত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাবলীৰ বিষয়বস্তু পঢ়ি, মোক/আমাক অসম ভাষাত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু মই/আমি নিশ্চিত কৰো যে আমি ইয়াক বুজি পাইছো। মই এইটো কৰিম। বলা কৰোঁ।
Bengali	☐	আমি/আমরা এটা নিশ্চিত করছি/ আমি সেই আবেদন ফর্মটি করি / করি / করি / ঋণ চুক্তি/ গ্রহণযোগ্যতার চিঠি অন্যান্য নথিতে শর্তাবলীর বিষয়বস্তু পড়ার পরে, আই/ ইউ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি/ আমরা নিশ্চিত করি যে আমরা এটি বুঝতে পেরেছি। আমি এটা করবো। চলা এটা করি।
Gujarati	☐	હું/અમે આની પુષ્ટિ કરીએ છીએ/ હું તે અરજીપત્રક કરું/કરું છું/ બીન કરાર/ સ્વીકૃતિની પત્ર અન્ય દસ્તાવેજોમાં નિયમો અને શરતોની સામગ્રી વાંચીને, મને/ અમને ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યા છે અને હું / અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે અમે તેને સમજીએ છીએ. હું તે કરીશ. ચાલો તે કરીએ.
Kannada	☐	ನಾನು/ನಾವು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ/ ನಾನು ಆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ / ಮಾಡುತ್ತೇನೆ/ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ/ ಸ್ವೀಕಾರ ಪತ್ರ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು / ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು / ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ.
Konkani	☐	हांव/आमी हाची पुष्टी करतात/ हांव तो अर्ज फॉर्म करता/करता/ कर्जाचो करार/ मान्यतेचें पत्र हेर दस्तावेजांतले शब्द आनी शर्तीचो मजकूर वाचून म्हाका/आमकां कोंकणी भाशेंत उलोवप केलें आसा आनी आमकां तें समजटा हाची खात्री हांव/आमी दितात. हांव करतलो. चल करुया तें.
Maithili	☐	हम एकरा पुष्टि करैत छी हम ओ आवेदन फार्म करैत छी/ ऋण संविदा/ स्वीकृति क पत्र आन दस्तावेजमे नियम आ शर्तक विषयवस्तु के पढ़ि हमरा मैथिली भाषामे स्पष्ट कएल गेल अछि आ हम पुष्टि करैत छी जे हम एकरा बुझैत छी। हम एकरा करब। चलु ई करैत छी.
Malayalam	☐	ഞാൻ /ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു/ ആ അപേക്ഷാ ഫോം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു/ ചെയ്യുന്നു/ വായ്പാ കരാർ/ സമ്മതപത്രം മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകളിലെ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഉള്ളടക്കം വായിക്കുന്നതിലൂടെ, I/Us മലയാള ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തോളാം. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം.
Marathi	☐	मी/ आमी याची पुष्टी करतो / मी तो अर्ज करतो/ कर्ज करार/ मान्यतेचे पत्र इतर दस्तऐवजामधील अटी व शर्तीचा मजकूर वाचून मला/आम्हाला मराठी भाषेत समजावून सांगितले आहे आणि मला/आम्हाला ते समजले आहे याची खात्री पटते. मी ते करीन. चला ते करूया।
Odiya	☐	ଝୁଆଣେ ଏବା ଚିଣ୍ଟିତ କରୁଛୁ / ଝୁଆଣେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କରେ / କରେ / ରାଶି ଚୁକ୍ତିନାମା/ ଶ୍ରାବ୍ତ ପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାବଳୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଝୁଆଣେରବାବୁ ଚିହ୍ନିଆ ରାଶିରେ ଚିହ୍ନିବା ବରାପାରିଛୁ ଏବଂ ଝୁଆଣେ ଚିଣ୍ଟିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆଣେ ଏବାକୁ ରୁଝୁଛୁ । ଝୁଆଣା କରାବି । ଗଲୁ ଆଣେ ଏବା କରାବି।
Punjabi	☐	ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ/ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ/ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੀਏ।
Sindhi	☐	آئون / اسان هن جي تصديق ڪريون ٿا / آئون اهو درخواست فارم ڪندو آهيان / ڪندو آهيان / قرض جو معاوضو / قبوليت جو خط ٻين دستاويزن ۽ اصطحن جي مواد کي پڙهي، آءٌ / اسان کي سنڌي زبان ۾ بيان ڪيو ويو آهي ۽ آئون / اسان تصديق ڪريون ٿا ته اسان ان کي سمجهون ٿا. آئون / اسان سمجهون ٿا ته اسان اهو ڪندس. اچو ته ڪري وٺون.
Tamil	☐	நான்/நாங்கள் இதை உறுதி செய்கிறோம்/ அந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை நான் செய்கிறேன்/ செய்கிறேன்/ கடன் உப்பந்தம்/ ஏற்புக் கடிதம் பிற கூவணங்களில் உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் உள்ளடக்கங்களைப் படிப்பதன் மூலம், நான் / எங்களுக்குத் தமிழ் மொழியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் அதைப் புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதை நான் / நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறேன். அதை நான் செய்வேன். அதை செய்வேமாம்.
Telugu	☐	నేను/మేం దీనిని ధృవీకరిస్తున్నాం. నేను ఆ అప్లికేషన్ ఫారమ్ చేస్తాను/చేస్తాను/ లోన్ కాంట్రాక్ట్/ అంగీకార పత్రం/మాకు ఇతర దాఖలుమొదలలోని నియమబంధనలలోని విషయాలను చదవడం ద్వారా, నేను/మాకు తెలుగు భాషలో వివరించబడ్డాయి మరియు మేము దానిని అర్థం చేసుకున్నామని నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము. నేను చేస్తాను. మనం చేద్దాం.
Urdu	☐	ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں/ میں یہ درخواست فارم کرتا / کرتا ہوں / قرض کا معاوضہ / قبولیت کا خط دیگر دستاویزات میں شرائط و ضوابط کے مندرجات کو پڑھ کر مجھے اردو زبان میں سمجھایا گیا ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ میں یہ کروں گا چلو یہ کرتے ہیں۔

उधारकर्ता और गारंटर इस दस्तावेज की सभी पूर्वगामी शर्तों को पढ़ने और समझने की बात स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस दस्तावेज़ में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर/सामान्य मुहर लगा रहा है, जो इसका प्रमाण देता है।

उधारकर्ता और गारंटर आगे सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि पार्टियों को इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस दस्तावेज़ के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होंगे।

उधारकर्ता और गारंटर ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज़ में प्रवेश किया है, इसके प्रभाव की पूरी जानकारी के साथ और अंतिम पृष्ठ पर इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ और अन्य सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के रूप में माना जाएगा।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस दस्तावेज़ को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है, जो पहले इसके ऊपर लिखा गया है, हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है।

उधारकर्ता का नाम	(हस्ताक्षर)
सह-उधारकर्ता का नाम	(हस्ताक्षर)
गारंटर का नाम	(हस्ताक्षर)
गवाह का नाम	(हस्ताक्षर)
ऋणदाता के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम	एयू स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए मनीष केवट/483926 और 32, सी हेडगेवार नगर रीवा, रेडियो कॉलोनी के सामने (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

Disclaimer - Please note that above mentioned credit facility agreement, terms & conditions, key fact statement and other associated documents are translated from the original document in English using technology for customer's Convenience and to improve transparency in communication. which can have few aberrations, brevity and grammatical errors hence for any legal purposes English version of document (appended) will be referred.